



# छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर

## राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2010–11

छत्तीसगढ़ शासन,  
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर<sup>1</sup>  
राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2010–11

छत्तीसगढ़ शासन  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
विभाग रायपुर

## अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्रारंभिक	01
2	प्रशासनिक संरचना	03
3	संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएँ	10
3.1	वन विभाग	10
3.2	ऊर्जा विभाग	13
3.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	16
3.4	कृषि विभाग	19
3.5	पशुपालन विभाग	24
3.6	मत्स्योद्योग विभाग	25
3.7	संस्कृति विभाग	28
3.8	गृह विभाग (पुलिस)	29
3.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	30
3.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	33
3.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	34
3.12	सहकारिता विभाग	36
3.13	समाज कल्याण विभाग	37
3.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	38
3.15	आबकारी विभाग	40
3.16	ग्रामोद्योग विभाग	41
3.17	जलसंसाधन विभाग	45
3.18	लोक निर्माण विभाग	45
3.19	आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग	47
3.20	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	52
3.21	जनसंपर्क विभाग	53
3.22	स्कूल शिक्षा विभाग	54

3.23	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	55
4.0	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	59
4.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	61
4.2	पशुपालन विभाग	62
4.3	मत्स्य विभाग	63
4.4	सहकारिता विभाग	64
4.5	वन विभाग	66
4.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	69
4.7	ऊर्जा विभाग	70
4.8	रेशम एवं ग्रामोद्योग विभाग	71
4.9	जल संसाधन विभाग	74
4.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	75
4.11	स्कूल शिक्षा विभाग	76
4.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	77
4.13	उच्च शिक्षा विभाग	88
4.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	88
4.15	समाज कल्याण विभाग	90
4.16	महिला एवं बाल विकास विभाग	92
4.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	93
4.18	लोक निर्माण विभाग	94
4.19	राज्य योजना मण्डल	99
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	99
4.21	चिकित्सा शिक्षा विभाग	101
4.22	संस्कृति विभाग	102
4.23	नगरीय प्रशासन एवं विकास	102
4.24	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	103
4.25	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	103
4.26	भौमिकी तथा खनिक कर्म विभाग	104

4.27	आयुर्वद, योग एवं प्रा.चिकि.यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	104
5	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	105
6	आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	110
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	119
8	अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	121
9	औद्योगिक नीति – 2009	134
<b><u>परिशिष्ट</u></b>		
1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	144
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	145
2 अ	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्रों का परिदृश्य	146
2 ब	उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति	147
3 अ	अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं	148
3 ब	अनुसूचित क्षेत्र के विकासखंडों का वर्गीकरण	152
4 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	154
4 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	167
4 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	181
4 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	189
4 इ	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि वर्ष 2010–11	197

# छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2010–11

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010–11

## अध्याय – 1

### प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 18 जिले हैं, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कर्वाचौर (कबीरधाम), बस्तर, (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जाजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड हैं जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 44 सीटें (34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) सुरक्षित हैं।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण—परिशिष्ट–1(अ) एवं (ब) में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2001) 66.16 लाख है। जनगणना 2001 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 91.45 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 54.34 लाख (59.42%) है। अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या 80.03 लाख (जनगणना 2001) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 48.84 लाख (60.42%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, ढोरला, आदि हैं। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है, अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 0.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माड़ा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 18 जिले (9 पूर्ण एवं 9 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विस्तृत विवरण परिषिष्ट-2 (अ) 2 (ब) पर दर्शाया गया है।


1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित है। वर्ष 2002 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.14 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडों तथा भुजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर (सरगुजा) में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद (रायपुर) में भुजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

\* \* \* \* \*

## अध्याय-2

### विभाग की संरचना



### **2.1.1 राज्य स्तर (मंत्रालय)**

विभाग का प्रमुख प्रशासकीय पद सचिव का है। राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित राज्य शासन के समस्त संबंधित प्रशासकीय विभागों के विकास कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन कार्य लिए जाए तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो तथा इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्राप्त आवंटन का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों के विकास में हो।

### **2.1.2 विभागाध्यक्ष**

विभाग में सचिव के बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के प्रशासनिक दायित्व का विभागाध्यक्ष के रूप में निर्वहन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के विकास के साथ-साथ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए आयोजना निर्माण तथा इस कार्य हेतु अन्य विकास विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल के रूप में कार्य किया जाता है। विभागाध्यक्ष का प्रमुख दायित्व विभाग के बजट का नियंत्रण होता है।

### **2.1.3 विभाग का दायित्व**

1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन और आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी की भूमिका अदा करना।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
3. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं विकास योजनाओं का अनुश्रवण व मूल्यांकन।
4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षिक संस्थाओं का संचालन।
5. विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण तथा इनका क्रियान्वयन।
6. विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

### **2.1.4 विभाग का कार्य**

1. विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
2. मांग संख्या— 41, 42, 68, 77 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

3. उपयोजना क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं एवं शिक्षा की अन्य प्रोत्साहनकारी योजनाओं का संचालन।
4. अनुसूचित जाति की योजनाओं हेतु मांग संख्या 64, 15 एवं 49 अंतर्गत बजट आवंटन उपलब्ध कराना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
6. विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन।
8. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
9. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण—पत्रों का परीक्षण/सत्यापन।
10. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन की समीक्षा।

### **2.1.5 जिला स्तर**

1. **विभागीय जिला स्तरीय कार्यालयः—**

प्रदेश में सभी 18 जिलों में विभागीय जिला कार्यालय स्थापित है।

2. **सहायक आयुक्त :-**

जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी 18 जिलों में सहायक आयुक्त पदस्थ है।

3. **परियोजना स्तर :-**

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त आवंटन से स्थानीय आवश्यकतानुरूप कार्यों का निर्धारण एवं एजेन्सी के माध्यम से कार्यों का निष्पादन का दायित्व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा तथा लघु अंचल का है। वर्तमान में राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें, 9 माडा पॉकेट तथा 2 लघु अंचल संचालित हैं।

### **2.1.6 विकासखण्ड स्तर**

1. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी :-**

राज्य के 85 विकास खण्ड, आदिवासी विकास खण्ड के रूप में घोषित हैं, जिनमें विभागीय मुख्य कार्य पालन अधिकारी पदस्थ है। इनके द्वारा विभाग की

योजनाओं के साथ—साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इन विकास खण्डों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया है।

## 2. खण्ड शिक्षा अधिकारी :—

राज्य के आदिवासी विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। विकासखण्ड स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलापों के समुचित क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इस अधिकारी का है।

## 2.1.7 परियोजना स्तर :—

1. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेश में परियोजना प्रशासक के कुल 19 पद स्वीकृत हैं।
2. प्रदेश में निवासरत 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जिला स्तरीय 6 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों में से 4 अभिकरण परियोजना प्रशासक के नियंत्रण में तथा 2 अभिकरण सहायक आयुक्त के नियंत्रण में कार्यरत हैं।

## 2.1.8 जनजातीय अनुसंधान संस्थान एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएँ :—

### अ. आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान :—

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की सामाजिक—आर्थिक स्थिति, इनके रीति—रिवाज, रहन—सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाई महसूस हुई थी। जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 1954 में पूर्ववर्ती म.प्र., उड़ीसा, बिहार एवं पं. बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

01 नवंबर 2000 को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा अनुसार देश के 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में दिनांक 02 नवंबर 2004 को इस संस्थान का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत किया गया।

संस्थान का प्रमुख कार्य :—

- 1 राज्य के अनुसूचित जनजातियों/जातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
- 2 अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- 3 आदिवासी संस्कृति का प्रलेखन एवं संरक्षण करना।
4. अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- 4 जाति प्रमाण—पत्र जारीकर्ता अधिकारियों एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ विभिन्न विकास विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
5. गलत / फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच करना।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त राज्य सरकारों को दिये गये निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व जाति प्रमाण—पत्रों की जांच एवं सत्यापन करना तथा फर्जी जाति प्रमाण—पत्रों को निरस्त करना।

2010–11 में संस्थान द्वारा संपादित कार्य

1. अनुसंधान
  1. भुईया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
  2. बिंजिया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रशिक्षण
  - 1 दिनांक 11.12.2010 को जिला कार्यालय रायपुर में जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी सहित कुल 69 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
3. जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन

01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं शासकीय सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश/ नियुक्ति हेतु 1,43,042 आवेदकों को उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच कर जाति सत्यापन प्रमाण

पत्र प्रदाय किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति के 42,428, अनुसूचित जाति के 21,428 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 79,186 जाति प्रमाण पत्र सत्यापित किये गये।

गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति/चयन संबंधी शिकायतों पर जांच कर 25 प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये।

#### ब. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें :-

1. आदिवासी समुदाय की समस्याओं को दूर कर इन्हें विकास की ओर अग्रसर करने हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
2. आदिवासी विकास हेतु संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
3. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना माडा/लघु अंचल एवं विशेष पिछड़े अभिकरणों के माध्यम से आदिवासी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न विकास विभागों को प्रदत्त राशि एवं संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

### 2.2 विभिन्न विकास विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

संविधान की मंशानुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र में बेहतर कार्मिक-प्रशासनिक व्यवस्था की जाना है। अनुसूचित क्षेत्र सरल किन्तु संवेदनशील क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में जनजातियों की प्रशासन के प्रति आस्था व विश्वास होना अति आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं सामान्य क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई हैं तथापि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय अमले को कुछ सुविधाएं व रियायते नियमानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। शासन का यह प्रयास है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से की जाए।

#### 2.2.1 अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत शासकीय सेवकों को दी जाने वाली सुविधाएः—

अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के उन्नयन तथा योग्य शासकीय सेवकों की पद स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में लागू की गई व्यवस्था प्रतिवेदन वर्ष में निरंतर रही। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है :—

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जाता है।
2. प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने गृह नगर के लिए उपलब्ध कराई जा रही अवकाश यात्रा सुविधा में सामान्य क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रथम 80 किलोमीटर की यात्रा का व्यय वहन करना पड़ता है परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में अपने गृह जिले से बाहर पदस्थ कर्मचारियों के प्रकरण में दूरी का यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है तथा अपने गृह जिले में पदस्थ कर्मचारियों के लिए दूरी का प्रतिबंध घटाकर 20 किलोमीटर किया गया है।

(संलग्न परिशिष्ट 3 (अ) एवं (ब))

3. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
4. अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी विभागों के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश तथा 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2.2.2 अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जाने तथा प्रत्येक विभाग के अधिकारी को अपनी सेवा अवधि में अनिवार्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ रहकर सेवा देने, का निर्णय लिया गया।

\*\*\*\*\*

## अध्याय – 3

### संरक्षणात्मक उपाय तथा विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दिया गया है। इन वर्गों के हित-संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 388 द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएँ बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। विधान सभा एवं संसदीय क्षेत्र का आरक्षण अनुच्छेद 334, में एवं अनुच्छेद 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है इन प्रावधानों को दण्डात्मक प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रभावी भी बनाया गया है।

संवैधानिक संरक्षणात्मक नीति को राज्य में कड़ाई से लागू करने तथा क्षेत्र में आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योजनाएँ बनाने एवं उनके कारगर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की यह मंशा है कि योजनाएँ न केवल परिणाम मूलक हो वरन् इनमें पारदर्शिता, सुस्पष्टता तथा गतिशीलता का होना भी आवश्यक है।

राज्य के विभिन्न विकास विभागों के द्वारा संचालित संरक्षणात्मक तथा विकास की योजनाएँ :—

#### 3.1 वन विभाग :—

##### 3.1.1 बिगड़े वनों का पुनरोद्धार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों में किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से धिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रूप में हैं। अधिकांश क्षेत्रों में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रूप में है। योजना का मुख्य उद्देश्य भू-जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 3600.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 3576.18 लाख का व्यय किया गया।

##### 3.1.2 बांस वनों का पुनरोद्धार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिरे जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिरे की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुथे हुए अविकसित भिरे में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एवं रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिरे की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिरे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बांसों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बांस की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 1800.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 1797.32 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.3 पर्यावरण वानिकी**

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में रु. 400 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 396.53 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.4 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधी रोपण**

प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संर्वधन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में रु. 580 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 560.55 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.5 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास**

राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में रु. 180 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 182.80 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.6 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य**

इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय भवन निर्माण, विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों एवं वन मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में रु. 650 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध रु. 649.81 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.7 लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना**

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 300 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 300 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.8 पौधा प्रदाय योजना**

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने “पौधा प्रदाय योजना” प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 60 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 58.78 लाख का व्यय किया गया।

### **3.1.9 हरियाली प्रसार योजना**

कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 80 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध

रु.81.83 लाख का व्यय किया गया। 23 लाख पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 23 लाख पौधों की उपलब्धि रही।

### 3.1.10 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू-क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा “नदी तट वृक्षारोपण योजना” प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 360 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 349.46 लाख का व्यय किया गया।

### 3.1.11 सामाजिक वानिकी

इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 210 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 209.84 लाख का व्यय किया गया।

### 3.1.12 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 240 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 134.99 लाख का व्यय किया गया।

### 3.1.13 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 250 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 249.64 लाख का व्यय किया गया।

## **3.2 ऊर्जा विभाग (केडा / विद्युत मंडल)**

**3.2.1 ग्रामीण विद्युतीकरण** :— इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरे – टोलो को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाता है। जो वनबाधित है तथा जिनका पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नहीं है।

**3.2.2 घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना** :— राज्य में बहुतायत में पशुधन उपलब्ध है। ग्रामों में उपलब्ध पशुधन के गोबर तथा पानी के मिश्रण का उपयोग कर बायोगैस संयंत्रों का संचालन किया जाता है। इन बायोगैस संयंत्रों से उत्पादित गैस का उपयोग भोजन तैयार करने तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु किया जाता है एवं अपांशुष्ट के रूप में प्राप्त उत्तम कोटि की खाद का उपयोग खेती में किया जाता है। केडा द्वारा वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में रु. 136.05 लाख के परिव्यय से 1443 नग घरेलू बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है।

**3.2.3 सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र** :— राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों, अर्धसैनिक बालों के कैम्प तथा राहत शिविरों में केडा द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान कुल रु. 229.32 लाख के परिव्यय से 75 नग सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र स्थापित किये गये है। इससे नक्सली हमले के दौरा ट्रांस्फार्मर उड़ाने या ब्लैक–आउट करने जैसी घटनाओं के दौरान भी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

**3.2.4 अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों का सौर विद्युतीकरण** :— वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदेश के अविद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजाति के 51 छात्रावासों/आश्रमों को केडा द्वारा सौर फोटोवोल्टाईक प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है, जिस पर रु. 134.27 लाख का व्यय किया गया। इन छात्रावासों/आश्रमों में सौर विद्युतीकरण हो जाने से निवासरत छात्र-छात्राओं को वर्षा, आंधी-तूफान या परीक्षा के दिनों में बिजली गुल होने व लो-वोल्टेज आदि की समस्याओं से मुक्ति मिली है।

**3.2.5 सोलर कुकर** :— आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत रु 3.06 लाख की लागत से 311 नग सोलर कुकर का प्रदाय वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया है। सोलर कुकर में तैयार भोजन पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है तथा इन सोलर कुकर से भोजन तैयार करने में पारंपरिक ईंधन की बचत के साथ-साथ पेड़ों की कटाई में कमी आने के कारण पर्यावरण की रक्षा होती है।

**3.2.6 ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम** :— केडा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत ग्रामों में उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 06 ग्रामों के अंतर्गत रु. 41.49 लाख का व्यय किया गया है।

### 3.2.7 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना :—

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र शासन/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे दिनांक 18.03.2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छ.ग. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हेतु “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना” के अंतर्गत राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने जिलेवार योजना बनाने से लेकर विद्युतीकरण तक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने हेतु केन्द्र शासन के तीन उपक्रमों यथा एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. एवं पी.जी.सी.आई.एल. को अधिकृत किया गया है। योजनांतर्गत 90% राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 10% राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी 18 जिलों (दो नये जिलों को शामिल कर) में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, छ.ग. शासन, छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी मर्या. एवं पृथक—पृथक सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य चार पक्षीय अनुबंध किये गये हैं। इनमें से एन.एच.पी.सी. को सात जिले, एन.टी.पी.सी को पांच जिले एवं पी.जी.सी.आई.एल. को चार जिले सौंपे गये हैं। पी.जी.सी.आई.एल. को सौंपे गये 04 जिलों में से नक्सली प्रभावित 02 जिले यथा बस्तर (जिला नारायणपुर सहित) एवं दंतेवाड़ा (जिला बीजापुर सहित) के विद्युतीकरण के कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी मर्या. को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अक्टूबर 2009 में निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन दो जिलों यथा कोरिया एवं जशपुर की योजनाएँ स्वीकृत नहीं हुई हैं एवं जिनके कार्य क्रमशः पी.जी.सी.आई.एल. एवं एन.टी.पी.सी. द्वारा किये जाने थे, उनके कार्य भी विद्युत वितरण कंपनी को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य में अभी तक 16 जिलों की योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं तथा इन सभी जिलों में विद्युतीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कुल रु. 1158 करोड़ की योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं। मार्च 2011 तक इस योजनांतर्गत रु. 536.97 करोड़ खर्च हो चुके हैं।

इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में राज्य शासन के बजट में रु. 1652.60 लाख का प्रावधान किया गया था एवं रु. 1652.60 लाख का आवंटन के विरुद्ध शत प्रतिशत काम हुआ। इस राशि से 12 अविद्युतीकृत/डी इलेक्ट्रिफाइड ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 72405 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया। उक्त भौतिक प्रगति वर्ष 2010–11 में किये गये कुल व्यय के विरुद्ध हैं जिसमें से 90% राशि केन्द्र शासन तथा 10% राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की गई।

### **3.2.8 कृषि पंपों का ऊर्जीकरण :—**

राज्य गठन से पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे जबकि राज्य गठन के पश्चात मात्र 11 वर्षों की अल्पावधि में 193481 अतिरिक्त पंप कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 266850 ऊर्जीकृत कृषि पंप हो गये हैं। वर्ष 2010–11 में 20000 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था। लक्षित कार्यों के पूर्ण करने हेतु राज्य शासन के बजट में रु. 3500.00 लाख का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग एवं मण्डी बोर्ड से क्रमशः रु. 2000.00 लाख एवं रु. 3000.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कृषि पंपों के विद्युतीकरण हेतु रु. 880.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राज्य शासन से रु. 880.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, उक्त राशि से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 2316 कृषकों के कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत लाईन का विस्तार किया गया।

### **3.2.9 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय :—**

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। इस योजना हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2010–11 में 152.00 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध रु. 152.00 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ।

वर्ष 2010–11 में इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रु. 5800.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु. 5800.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिससे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के (5 अश्वशक्ति के) 44150 कृषकों को 6000 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया गया। उक्त प्रदाय किये गये विद्युत की दावा राशि रु. 2823.89 लाख राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।

### **3.2.10 एकलबत्ती (बीपीएल) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान :—**

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 30 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2010–11 में रु. 5010.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध 5010.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ।

वर्ष 2010–11 में इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रु. 1903.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु. 1903.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 466063 उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 30 यूनिट तक प्रति माह खपत की गई विद्युत की दावा राशि रु. 2714.44 लाख राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

**3.2.11 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में नक्सलवाद प्रभावित सलवा जुड़म अभियान से जुड़े व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे राहत शिविरों में विद्युतीकरण कार्य :—**

दंतेवाड़ा जिले में सलवा जुड़म अभियान से जुड़े व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे राहत शिविरों में निर्माणधीन आवास गृहों के विद्युतीकरण एवं एकल बत्ती कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु छ. रा. विद्युत मंडल/छ. रा. विद्युत वितरण कंपनी को शासन से रु. 2,39,30,960/- उपलब्ध कराई गयी थी जिसके विरुद्ध दिनांक 31.03.2011 तक 31 राहत शिविरों में रु. 3,10,97,851/- के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा इन शिविरों में 3544 एकल बत्ती कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

**3.2.12 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित आई.ए.पी. योजना :—**

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 10 जिलों में विभिन्न विद्युतीकरण कार्य हेतु आई.ए.पी. योजनांतर्गत केन्द्र शासन से जिला कलेक्टरों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में उपलब्ध कराई गई राशि से 217 कार्य स्वीकृत हुए एवं 31 कार्य पूर्ण, 114 कार्य प्रगति पर है।

### **3.3 महिला एवं बाल विकास विभाग**

**3.3.1 आयुष्मति योजना :—** ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 1 सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रुपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2010–11 में 28.54 लाख की राशि का व्यय किया गया है।

**3.3.2 महिला जागृति शिविर :—** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते हैं। योजना

का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हे जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करना है। वर्ष 2010–11 में 27.72 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

**3.3.3 स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान :—** महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

**3.3.4 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :—** इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व.सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 रु. 4.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

**3.3.5 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :—** पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में 8662.94 लाख की राशि व्यय की गई।

**3.3.6 राज्य की पोषण आहार नीति :—** छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से समन्वय करते हुए एक समग्र आहार नीति तैयार की गई है। जिसे मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इसमें संबंधित विभागों के दायित्वों को निर्धारित किया गया है। राज्य की सुपोषण नीति के अंतर्गत छ.ग. राज्य के पृष्ठ भूमि एवं स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी सकारात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के पोषण लक्ष्यों पर आधारित है। जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक सशक्त प्रयास किया जाना है।

**नेशनल न्यूट्रीशन मिशन अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एनपीएजी) :—** नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत योजना आयोग भारत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क प्रति माह 6 किलो अनाज प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाना प्रारंभ किया गया था। राज्य शासन द्वारा मिनीमाता पोषण आहार योजना अन्तर्गत प्रति हितग्राही अतिरिक्त रूप से 4 किलो अनाज अर्थात् कुल 10 किलोग्राम अनाज प्रति हितग्राही प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया

था। इसमें से 4 किलो अनाज पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थों का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है।

**छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 :-** महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

**छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या विवाह योजना :-** यह अभिनव योजना राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्चों को रोकना एवं सादगी पूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।

योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को 4000/- रु. तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रु. 1000/- तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000/- रु. की सहायता राशि व्यय होगी।

**राज्य महिला आयोग :-** नवंबर 2000 में छ.ग. राज्य के गठन के उपरांत राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु तथा उनके हितों एवं अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण में, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कई कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के प्रति सदैव उदार सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला नीति का निर्धारण इसका परिचायक है। इस नीति के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा (3) के अंतर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया है।

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा समय – समय पर महिलाओं की स्थिति का आंकलन हेतु राज्य की विभिन्न जिलों का भ्रमण किया जाता है। महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली जाती है। आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जेल, चिकित्सालय, महिला थाना, छात्रावास संस्थान, महिला पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी एवं नारी निकेतन आदि संस्थाओं को निरीक्षण किया जाता है। आयोग ने महिलाओं की स्थिति का आंकलन कर उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में शासन को समय-समय पर सुझाव प्रेषित किये गये हैं।

महिला आयोग महिलाओं के उपर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न के मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है, इसके अलावा कार्यशाला, सेमीनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, निरीक्षण, विभिन्न जिलों का भ्रमण, समीक्षा बैठकें, टूटे परिवारों को समझाईश देने, समय—समय पर शासन के पास अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करना आदि महिला आयोग का नित्य जीवनचर्या बन गया हैं आयोग बालिका भ्रुण हत्या के संदर्भ में सकारात्मक आंदोलन “बालिका जन्मोत्सव”, “बेटिया” कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों का विशेषकर शाला में पढ़ने वाली बेटियां के साथ मिलकर उचित मार्गदर्शन तथा सभी विधिक एवं संवेदनात्मक पहलुओं की जानकारी देना, “बालिका शिक्षा अभियान” “चलो गांव की ओर” के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को बेहतर जीवन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करने तथा अन्याय एवं शोषण के खिलाफ आवाज बुलांद करने हेतु जागरूक करने का प्रयास महिला आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ की बेटिया सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ पूरे देश को गौरवान्वित करेंगी।

### **3.4 कृषि विभाग**

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ—साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

**3.4.1 अक्ती बीज संवर्धन** :—यह राज्य पोषित योजना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को आधार एवं प्रमाणित बीज के उपयोग के लिये प्रोत्साहन के उद्देश्य से योजना संचालित की गई।

**3.4.2 नाडेप** :— यह राज्य पोषित योजना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जनजाति के कृषकों को टाका निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपये प्रति टाका अनुदान दिये जाते हैं।

**3.4.3 रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना** :—यह राज्य पोषित योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासियों को रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के 5 जिले (जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जशपुर) योजना क्रियान्वित है। योजनांतर्गत बीज मिनीकिट पर शत प्रतिशत अनुदान ब्रीडर सीड खरीदी हेतु अधिकतम 6500 रु. प्रति किव., आधार बीज उत्पादन हेतु

500 रु. प्रति किंवि. प्रदर्शन पर 500 रु. प्रति प्रदर्शन एवं हस्तचलित, बैलचलित यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

**3.4.4 राज्य गन्ना विकास योजना** :— यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज क्रय, टिश्यू कल्वर पौध, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।

**3.4.5 अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान**:— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम ब्रेह्मेड़ा नारायणपुर द्वारा सुदूर अंचल में बसे आदिवासी कृषकों को कृषि संबंधी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

**3.4.6 जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन** :— अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान के लिये चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित करायी जा रही है। योजनान्तर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहन किया जाता है।

**3.4.7 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत सूखे की स्थिति निर्मित होने पर बीमित हितग्राहियों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।

**3.4.8 मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत नवीन मशीनों का क्रय किया जाता है तथा मशीनों को कस्टम हायरिंग पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में मशीनों का संचालन, रखरखाव / मरम्मत कार्य किया जाता है।

**3.4.9 दंडकारण्य (बस्तर) में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत जगदलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर परिणाम प्रेषित किया जाता है। साथ ही उचित उर्वरक उपयोग की अनुशंसा किया जाता है। प्रयोगशाला में मिट्टी कूटने हेतु मजदूर लगाये जाते हैं। रसायन यंत्र उपकरण आदि पर व्यय किया जाता है।

**3.4.10 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान दिया जाता है।

**3.4.11 वृष्टि छायाक्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत आदिवासी कृषकों को सफल / असफल नलकूप खनन पर रुपये 18000 एवं सफल होने पर पंप प्रतिस्थापन हेतु रुपये 25000 कुल राशि 43000 रुपये अनुदान देय है।

**3.4.12 शाकम्बरी योजना** :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को कुआं निर्माण पर 50 प्रतिशत तथा 5 अश्व शक्ति तक के डीजल / विद्युत पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

**3.4.13 लघु सिंचाई माइक्रोमाइनर सिंचाई योजनायें** :—यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत परकोलेशन टैंक, लघु सिंचाई तालाब तथा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण किया जाता है।

**3.4.14 नलकूप स्थापना पर अनुदान** :—यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत नाबार्ड द्वारा अनुमोदित दर पर नलकूप खनन (सफल/असफल) पर 50 प्रतिशत या रुपये 10000 जो भी कम है अनुदान देय है। सफल नलकूप पर पंप प्रतिस्थापन पर 50 प्रतिशत या रुपये 15000 अनुदान जो भी कम हो देय है।

**3.4.15 भू—जल संवर्धन योजना** :— यह योजना जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वहां कूप एवं नलकूप के पुर्नभरण कार्य द्वारा भू—जल संवर्धन किया जाता है। यह योजना सभी श्रेणी के लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5000 अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

**3.4.16 सूखम सिंचाई योजना** :—यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर हेतु अनुदान देने का प्रावधान है।

**3.4.17 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना** :—यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

**3.4.18 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना स्थानीय जरूरतों/फसलों के अनुकुल योजनाएं तैयार करना कृषि और समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना उपज अंतर को कम करना उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रावधान है।

**3.4.19 आईसोपाम विकास योजना** :— यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खण्ड प्रदर्शन, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

**3.4.20 मेक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान**:— यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के

संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यु इंटरवेशन, एवं कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित है।

नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम :-

कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2007–08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे हैं उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में धान 2961.24 एवं मक्का 73.30 के कुल 3035.54 विवंटल बीज वितरण किया गया है तथा 2014.50 एकड़ में जुताई की गई है।

उद्यानिकी :-

3.4.21 घरेलु बागवानी की आदर्श योजना :— इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को उनके निवास के साथ उपलब्ध भूमि में रोपण हेतु 4 से 5 प्रकार के सब्जी बीज कुल रूपये 25.00 के उपलब्ध कराये जाते हैं।

वर्ष 2010–11 में 312000 परिवारों को इस योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल राशि रु. 43.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध 43.00 लाख व्यय हुए एवं कुल 311997 परिवार लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 172000 एवं अ.जा. के 40000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 137000 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

3.4.22 फलोद्यान विकास योजना :— प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 में राशि रु. 110.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 2241 हे. क्षेत्र में फलोद्यान विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 108.61 लाख व्यय हुए एवं 3033 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अ.ज.जा. के 682 कृषक एवं अ.जा. के 705 कृषक लाभान्वित हुए हैं। योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 976 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.23 सब्जी विकास योजना :— प्रदेश में जन सामान्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सब्जी उत्पादन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विभिन्न किस्मों की सब्जियों के संकर (हाइब्रिड) बीज का उपयोग कर सब्जी उत्पादन की तकनीक से कृषकों को अवगत कराने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान पर संकर (हाइब्रिड) सब्जी बीज वितरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में संकर सब्जी बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य के विरुद्ध 4654 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 8568 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें

अजजा के 4891 एवं अजा के 1411 कृषक लाभान्वित हुए एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 2958 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.24 आलू विकास योजना :— विभिन्न सब्जियों में आलू एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विगत वर्षों में आलू के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। राज्य के किसानों में आलू फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आलू विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2010–11 में प्रदेश के कृषकों के प्रक्षेत्र पर 27800 आलू प्रदर्शन आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरुद्ध 27800 परिवार लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 8000 एवं अजा के 4800 कृषक लाभान्वित हुए हैं। योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत 11570 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

3.4.25 नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :— प्रदेश के अजजा क्षेत्रों के कृषकों को उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रूपये 72.00 लाख के विरुद्ध रूपये 71.93 लाख व्यय हुए। यह कार्यक्रम अजजा क्षेत्र के शासकीय विभागीय रोपणीयों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलू एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

3.4.26 उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :— प्रदेश में अजजा क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है। वर्ष 2010–11 में राशि रूपये 10.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरुद्ध रूपये 10.00 लाख व्यय हुए।

3.4.27 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :—

वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन प्रदेश के 11 जिलों में किया जा रहा है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका संचालन 85 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि से होता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में कियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

1. पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास
2. सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम
3. फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम
4. पुष्प क्षेत्र विस्तार
5. मसाला एवं औषधि तथा सुगंधित फसल विकास योजना
6. सिंचाई हेतु जल स्त्रोतों का विकास
7. संरक्षित खेती का विकास
8. अन्य गतिविधियाँ

3.4.28 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना :—

राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग हेतु वर्ष 06–07 से योजना प्रारंभ है। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार से एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार से किया जाना प्रावधानित है। योजना का क्रियान्वयन कृषि बीज एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कुल 16105 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें कुल 6484 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 2341 कृषक एवं अजा के 1245 कृषक लाभान्वित हुए एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 2521 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

### **3.4.29 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-**

यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रदेश मे संचालित है, योजनान्तर्गत सब्जी विकास हेतु 3125 हेक्टेयर, मसाला विकास हेतु 2460 हेक्टेयर, पुष्प विकास के अंतर्गत 131 हेक्टेयर, आई.पी.एम. मे 6400 हेक्टेयर, तथा जैविक खेती 1400 हेक्टेयर तथा संरक्षित खेती के विकास हेतु 2710 यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी शतप्रतिशत पूर्ति हुई है। साथ ही साथ शासकीय क्षेत्र में बाना प्रक्षेत्र रायपुर में 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 मे कुल 92326 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 30160 कृषक एवं अजा के 12025 कृषक लाभान्वित हुए एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 65947 कृषक लाभान्वित हुए है।

## **3.5 पशुपालन विभाग**

**3.5.1 बैंकयार्ड कुक्कुट पालन योजना :-** योजनान्तर्गत 18000 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है, जिससे प्रत्येक आदिवासी परिवार को औसतन रु. 3000.00 सालाना आय संभावित है। योजना अन्तर्गत अभी तक 9609 ईकाइयों का वितरण किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण कार्य प्रक्रियाधीन है।

**3.5.2 सूकरत्रयी वितरण योजना :-** योजनान्तर्गत 1150 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। अभी तक 735 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक हितग्राही को औसतन रु. 10000.00 की सालाना आय होती है। शेष ईकाइयों के वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

**3.5.3 सांडों के प्रदाय योजना :-** योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के 450 सांडों का प्रदाय किया जाना है, जिससे क्षेत्र में प्रति सांड औसतन 121 उन्नत नस्ल के वत्सों का उत्पादन अपेक्षित है। नस्ल सुधार के फलस्वरूप क्षेत्र में दुग्धोत्पादन बढ़ेगी। अभी तक 415 सांड प्रदाय किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण प्रक्रियाधीन है।

**3.5.4 बकरा प्रदाय योजना :-** योजनान्तर्गत 3999 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना से प्रति ईकाई औसतन राशि रु. 5000.00 सालाना आय होती है। अभी तक 176 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण प्रक्रियाधीन है।

**3.5.5 बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना :-** योजनान्तर्गत क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी मे उन्नति कर रहे हैं।

**3.5.6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-** अन्तर्गत राशि रु. 1428.54 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों मे भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि व्यय की गई है।

## 3.6 मत्स्योद्योग विभाग

**3.6.1 जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास :—** मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रग्रहण मात्रियकी (केष्चर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यों के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रु. 63.52 लाख प्रावधानित राशि में से रु. 55.33 व्यय कर उन्नत किस्म के 198.88 लाख स्टे.फाई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

**3.6.2 मत्स्य बीज उत्पादन :—** आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों में संचयन, नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है। उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रु. 87.00 लाख प्रावधानित राशि के विरुद्ध रु. 86.62 का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 3250 लाख स्टे. फाई का उत्पादन कर अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

**3.6.3 मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा :—** केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रु. 15.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर-बराबर अंशदान अर्थात् रु. 15.00 केन्द्रांश तथा रु. 15.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रु.15.00 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से “फिशकोफेड” नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है। फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रु.15.00 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रु. 50,000/- तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रु. 1,00,000/- का बीमा लाभ प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 5.75 लाख का शत्-प्रतिशत व्यय कर 38,333 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

**3.6.4 शिक्षण-प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण) :—** आदिवासी जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रु. 2500/- की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 750/- शिष्यवृत्ति, रु. 1500/- आवागमन व्यय तथा

रु. 250/- विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रु. 1.95 लाख का शत्-प्रतिशत व्यय कर 78 उन्नत मछली पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

**3.6.5 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** — यह योजना वर्ष 2007-08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :-

**3.6.5.1** मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना— सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/- तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

**3.6.5.2** संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता — सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं तृस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।

**3.6.5.3** मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता— शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी।

**3.6.5.4** मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता— सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रु. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/इंग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रु. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

**3.6.5.5** मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन — 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रु 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।

**3.6.5.6** तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम— तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फाई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रु 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।

**3.6.5.7** प्रदर्शन इकाई—तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रु 1.48 लाख (रु 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रु 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है।

**3.6.5.8** नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव—जाल — मछुआरों को नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव जाल प्रदाय करने हेतु रु 0.40 लाख तक (रु 0.30 लाख शासकीय एवं 0.10 लाख हितग्राही का अंश) सहायता दी जाती है।

**3.6.5.9** तालाबों में चूना प्रयोग— तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोग हेतु रु 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

**3.6.5.10** अध्ययन भ्रमण— मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रु.0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है।

3.6.5.11 कोल्ड चेन निर्माण— मत्स्य कृषकों को मत्स्य का उचित मूल्य दिलवाने एवं मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कोल्ड चेन निर्माण हेतु रु 1.00 लाख प्रति इकाई व्यय करने का प्रावधान है। घटक में प्रशीतन उपकरण, विक्रय स्थल तैयार करने आदि पर व्यय किया जाता है।

3.6.5.12 विस्तार सेवाएं— जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठि एवं मेले का आयोजन किया जाता है। इसके तहत योजनान्तर्गत रूपये 850.00 लाख का प्राप्त आबंटन के विरुद्ध 846.85 लाख व्यय कर 9896 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

### त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

#### 3.6.6 मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :—

- 3.6.6.1 झींगा पालन — झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रु.15000/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 3.6.6.2 नाव जाल आबंटन — प्रति मछुआ एक बार रु 10,000/- का नाव जाल प्रदाय किया जाता है।
- 3.6.6.3 फिंगरलिंग संचयन — हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/- का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है।
- 3.6.6.4 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन — नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है।
- 3.6.6.5 मत्स्य बीज संवर्धन — 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30,000/- की सहायता दी जाती है।
- 3.6.6.6 मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना— सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू-बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रु. 6000/- तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रु. 76.00 लाख में से रु. 75.83 लाख का व्यय कर 1439 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

#### 3.6.7 मत्स्य पालन प्रसार

केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत केन्द्र:राज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड-मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है।

स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबकि योजना व्यय 75:25 (के/रा) के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि

रु. 63.00 लाख में से रुपये 63.00 लाख व्यय किए गए। योजना के कार्यक्रमों अंतर्गत हितग्राहियों को दीर्घावधि तालाब पट्टों पर 401 को ऋण एवं 133 हितग्राहियों को अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया गया।

### 3.6.8 शिक्षण और प्रशिक्षण

आदिवासी जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 15 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रु. 1250/- स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रु. 50/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रु. 400/- की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रु. 100/- विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 9.25 लाख में से 8.91 लाख व्यय कर 740 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया।

### 3.6.9 मछुआ सहकारिता

आदिवासी मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन लगातार 3 वर्षों में रु. 25000/- तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 2.50 लाख में से शत्-प्रतिशत व्यय कर 30 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

## 3.7 संस्कृति विभाग

अनुसूचित क्षेत्र में पुरखोती मुक्तांगन संग्रहालय के निर्माण एवं प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुक्तांगन हेतु राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों यथा जगदलपुर, सरगुजा के अतिरिक्त समीपवर्ती राज्यों के आदिवासी/अनुसूचित जाति के कलाकारों को आमंत्रित कर निरन्तर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत विभाग की महत्वाकांक्षी योजना “मुक्तांगन संग्रहालय” का कार्य प्रगति पर है इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य के विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, लोक नृत्य, भाषा एवं बोलियों, दृश्य कलाओं और पर्यावरण से संबंधित वातावरण बनाया जावेगा, इसमें विभिन्न हस्तशिल्प जनजातियों के विभिन्न वाद्यों उनकी वेशभूषा विभिन्न उत्सवों आयोजन तथा विभिन्न जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति की संस्कृति विभाग इनके उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा आ.जा. एवं अ.जा. का अन्तर्राज्यीय सम्मेलन एवं आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी।

### **3.8 गृह विभाग (पुलिस)**

**3.8.1** नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न का त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क.प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ अति. पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्यरत है।

**3.8.2** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिए जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर बिलासपुर एवं सरगुजा में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाकर अ.जा.क. से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

**3.8.3** राज्य में 12 अ.जा.क. थाने क्रमशः जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर में स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं, अन्य 6 जिलों में अ.जा.क प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अ.जा.क. थाना एवं प्रकोष्ठ में उप पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की गई है।

**3.8.4** अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं। साथ ही अ.जा./ज.जा. (अत्याचार निवारण) के नियम-4 (1) के अनुसार विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के पेनल भी घोषित किये गये हैं।

**3.8.5** अ.जा./ज.जा.(अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण-पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम-1995 के नियम-15 के अंतर्गत की गई है।

**3.8.6** पुलिस द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

**3.8.7** महिलाओं पर घटित अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिला प्रकोष्ठ स्थापित है, जो राज्य में घटित महिला उत्पीड़न के अपराधों से संबंधित जानकारियां संकलित करते हैं। उक्त कार्य के लिये 01 उप निरीक्षक(अ) एवं आरक्षक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त राज्य के जिला रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, एवं सरगुजा में महिला थाना स्थापित है एवं शेष जिलों में परिवार परामर्श केन्द्र कार्यरत है।

### **3.9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :—**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, लेह्छी चावल का उपार्जन, नाप—तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

#### **3.9.1 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना —**

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या 18.75 लाख मान्य की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न का आबंटन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा था, जिसमें 7.19 लाख अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलित थे। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय करने में समस्या हो रही थी। भारत सरकार से राज्य के खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई, ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अप्रैल, 2007 से “मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना” प्रारंभ की गई। वर्तमान में 32.52 लाख हितग्राहियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अनुसूचित जाति के 4.96 लाख, अनुसूचित जनजाति के 11.39 लाख हितग्राही सम्मिलित हैं।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के अतिरिक्त 13.60 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत शामिल सभी हितग्राहियों को जुलाई, 2009 से 2.00 रुपए किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है।

### 3.9.1 बी.पी.एल. योजना –

भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. योजनांतर्गत राज्य के लिए 11.56 लाख परिवारों की संख्या मान्य की गई है तथा इस हेतु प्रत्येक माह 37864 मेट्रिक टन चावल एवं 2610 मेट्रिक टन गेहूं कुल 40474 मेट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किया जा रहा है।

बी.पी.एल.योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 31320 मि.टन गेहूं एवं 454368 मि.टन चांवल वितरित किया गया।

### 3.9.2 अन्त्योदय अन्न योजना –

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रुपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है। योजना पर समस्त आनुशांगिक व्यय एवं दुकानों को देय कमीशन राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अन्त्योदय अन्न योजना हेतु आबंटित खाद्यान्न 290660 मि.टन वितरित किया गया।

### 3.9.3 अन्नपूर्णा योजना –

यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है, प्रदेश में इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 17637 है। योजना पर समस्त आनुशांगिक एवं परिवहन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में अन्नपूर्णा योजना हेतु आबंटित खाद्यान्न 2376 मि.टन वितरण किया गया।

### **3.9.4 कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय**

इस योजना के अंतर्गत राज्य के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्रों को बी.पी.एल दर पर प्रति हितग्राही 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार की पूर्वानुमति से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन से अन्नपूर्णा दाल—भात केन्द्रों को बी.पी.एल. उपभोक्ता दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह 2,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न का आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का आबंटन बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। फलतः राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में आबंटित खाद्यान्न 24000 वितरण किया गया।

### **3.9.5 आयोडिनयुक्त नमक वितरण :—**

राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों (कार्डधारियों) को मुख्यमंत्री खाद्यान्न वाले हितग्राहियों (कार्डधारियों) को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 1 जुलाई, 2009 से प्रतिमाह 2 किलो निःशुल्क अमृत नमक प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 32.53 लाख निर्धन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अमृत नमक का 78507 मि.टन वितरण किया गया।

### **3.9.6 धान उपार्जन**

खरीफ वर्ष 2010–11 में समर्थन मूल्य पर 8.29 लाख किसानों से 51.15 लाख टन धान की खरीदी की गई है तथा भारतीय खाद्य निगम को 10.06 लाख टन धान का हस्तांतरण किया गया है। दिनांक 28.07.2011 तक 47.30 लाख टन धान की कस्टम मिलिंग कराई जा चुकी है तथा 3.85 लाख टन धान निराकरण हेतु शेष है तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 11.64 लाख टन चावल, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 18.76 लाख टन चावल, कुल 30.40 लाख टन चावल का उपार्जन किया गया है एवं 2.12 लाख टन लेघी चावल का उपार्जन किया गया है। इस वर्ष प्रदेश के किसानों को 50 रुपये प्रति विंटल बोनस की

राशि की घोषणा की गई थी। खरीफ वर्ष 2010–11 में किसानों को लगभग 5448 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

### 3.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :—

3.10.1 स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार :—राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु अल्माअटा घोषणा के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संरचना विकसित की गई है। जिसके अनुसार :—

- अ. आदिवासी क्षेत्र में 3000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- ब. आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।
- स. आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।

3.10.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम :—राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अन्तर्गत कुओं, हेण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकर्षिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 18 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणामस्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

3.10.3 जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना :— इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। प्रायः देखा

गया है कि आदिवासी हाट बाजारों में जरूर उपस्थित होते अतः बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

**3.10.4 इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना :—** राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में हैं कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 20,379 गांव एवं लगभग 54,000 टोला और 3818 उप—स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनमें बरसात में कई अगम्य हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरुआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे—बूढ़े, महिला, पुरुष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

### **3.11 जनशक्ति नियोजन विभाग**

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय संचालनालय के अधीन राज्य के 16 जिलों में 44 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त वर्तमान में 27 जिलों में 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित हैं। इन संस्थाओं में भारत शासन श्रम मंत्रालय, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 28 तकनीकी एवं 12 गैर तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि छः माह, एक वर्ष एवं दो वर्ष है। राज्य में संचालित 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 7104 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता है।

**सेंटर ऑफ एक्सीलेंस :—** उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विश्व स्तरीय कुशल कामगार तैयार करने बहुकौशलीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित योजना 22 संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है जिसमें से 09 संस्थायें क्रमशः बस्तर, डॉडी लोहारा, कोरबा, गौरेला, गीदम, म.कांकेर, केशकाल, गरियाबंद एवं अंबिकापुर अनुसूचित क्षेत्र में संचालित हैं।

**पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजनान्तर्गत संस्थाओं का उन्नयन :—** पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजनान्तर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 41 संस्थाओं का उन्नयन हेतु सहमति दी गई है, जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) कोरबा तथा एस.सी.सी.जामुल आदि प्रमुख हैं। इस योजनान्तर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था को राशि रु. 2.50 करोड़ का ब्याज

राहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया हैं उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 16 संस्थायें भी सम्मिलित हैं।

**3.11.1 तकनीकी शिक्षा** :— शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के मानव संसाधन को सुनियोजित विकास एवं दिशा देने के लिए राज्य शासन कृतसंकल्पित है। इस दिशा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, पॉलीटेक्निक विहीन जिलों में पॉलीटेक्निकों की स्थापना का प्रस्ताव, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम उपकरणों को संस्थाओं में उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, अधोसंरचना का विकास, उद्योगों से तालमेल जैसे कार्यक्रम प्रमुख हैं। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा आई.आई.टी. एवं आई.आई.आई.टी.की स्थापना करना। इण्डस्ट्री इंस्टीट्यूट को मूर्तरूप देना, एम.आई.एस. की स्थापना आदि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य, तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ आधार देने में सफल होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए निम्न हितकारी योजनाएं प्रभावशील है :—

1. बुक बैंक योजना :— इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को विषय से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों प्रदाय की जाती है।
2. ड्राइंग स्टेशनरी :— छात्र-छात्राओं को ड्राइंग सम्बंधित एवं अन्य स्टेशनी सामग्री प्रदाय की जाती है।
3. विशेष कोचिंग व्यवस्था :— इस योजना के अंतर्गत छात्रों हेतु संध्या कालीन कक्षाएं लगाई जाती है, ताकि छात्रों का अकादमिक स्तर उंचा उठ सके।
4. मशीन उपकरण / भवन निर्माण :— इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं को मशीन उपकरण क्रय करने एवं भवन निर्माण करने हेतु बजट प्रावधान किया जाता है।
5. छात्रवृत्ति :— शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके माता/पिता की आय रु. 2.00 लाख तक) के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। बी.ई. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 840 रु. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र-छात्राओं को 430 रु. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती हैं। इसी प्रकार पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 610 रु. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी

छात्र-छात्राओं को 430 रु. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रूपये दो लाख प्रतिवर्ष तक है, पूरी शिक्षण शुल्क में छूट तथा रूपये ढाई लाख तक की वार्षिक आय के लिए शिक्षण शुल्क में आधी छूट है।

6. बेरोजगारी भत्ता :— बेरोजगारी भत्ता योजना 2 अक्टूबर 1995 से म.प्र. शासन द्वारा प्रारंभ की गई है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से क्रियाविन्त की जा रही है। जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को दो वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पूर्व में रु. 300/- प्रतिमाह भत्ता दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के घोषणा के उपरांत दिनांक 01.04.2004 से रु. 500/- प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

### 3.12 सहकारिता विभाग

अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा हितों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है :—

1. केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन।
2. प्राथ.कृषि साख/कृषक सेवा/बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सह.समिति की अंशपूंजी में धनवेष्ठन।
3. सहकारी शाक्कर कारखाना।
4. विपणन सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान एवं धनवेष्ठन।
5. कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण ब्याज अनुदान।
6. वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को विपणन के अंशकरण हेतु अनुदान।
8. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का लैम्पस के अंश करण हेतु अनुदान।
9. जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान।
10. आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि विकास बैंक के हिस्सा पूंजी हेतु ऋण।

इस तरह आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सहकारी बैंक, सहकारी विपणन समितियों, सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनाना, समिति के माध्यम से अंशक्रय करने हेतु, सामाजिक उपभोग हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उनका शोषण रोकना एवं उनका जीवन स्तर उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

### 3.13 समाज कल्याण विभाग

3.13.1 निःशक्तजन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां :— अनुसूचित जन जाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/- प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक रूपये 60/- प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक रूपये 70/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा कक्षा 9 से 12 वीं एवं आई.टी.आई. तक दैनिक छात्र 85 रु., छात्रावासी 140 रु., स्नातक दैनिक छात्र स्तर तक 125 रु., छात्रावासी 180 रु. तथा स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक दैनिक छात्र 170 रु. छात्रावासी 240 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2010–11 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 3919 निःशक्त विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

3.13.2 कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :— निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 6 हजार तक मूल्य के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2010–11 में 1989 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय किया गया है।

3.13.3 स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान :— निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.13.4 निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम :— निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा–1 ली से कक्षा 05 वीं तक शिक्षा दी जा रही है।

**3.13.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:**— राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 65 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 300/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इसमें 200/- केन्द्र शासन से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं 100/- राज्य शासन का अंशदान है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा न्यूनतम आयु 65 वर्ष को घटाकर 60 वर्ष की गई है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों की पेंशन की केन्द्रीय सहायता 200/- से बढ़ाकर 500/- की गई है।

**3.13.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :**— राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 64 वर्ष आयुर्वर्ग के विधवा को 200/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा अधिकतम आयु 64 वर्ष को घटाकर 59 वर्ष की गई है।

**3.13.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :**— राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 64 वर्ष आयुर्वर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को 200/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा अधिकतम आयु 64 वर्ष को घटाकर 59 वर्ष की गई है।

**3.13.8 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :**— राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को 10,000/- की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

### **3.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**3.14.1 स्वर्ण जयंती ग्राम स्व—रोजगार योजना :**— गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता ऋण सहायता अनुदान के रूप उपलब्ध कराकर

उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला अनुदान परियोजना के प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह राशि अधिकतम 7500/- होगी, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10,000/- तक होगी। स्व-रोजगारी समूह के लिए अनुदान की राशि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हो सकेगी, जो 1.25 लाख से अधिक नहीं होगी। सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान राशि की कोई सीमा नहीं होगी। लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे। वर्ष 2010–11 में इस योजना अंतर्गत 793.44 लाख रु व्यय किये गये तथा अनु. जनजाति के 23843 हितग्राही लाभान्वित हुए।

**3.14.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** :— भारत शासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005–06 में पारित किया तथा उक्त अधिनियम में समस्त राज्यों को अपने राज्य हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करने कहा गया। इसके तहत 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजना अंतर्गत 5946.06 लाख रु.व्यय किये गये तथा अनुसूचित जनजाति के 405.42 लाख हितग्राही लाभान्वित हुए।

**3.14.3 इंदिरा आवास योजना** :— ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन कर रहे आवासहीनों व जिनके पास रहने के लिए उपयुक्त आवास नहीं होते हैं, उन्हें आवास निर्माण हेतु शत—प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी है।

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रु.1893.93 लाख के विरुद्ध रु. 1852.79 लाख की राशि व्यय की गई।

**3.14.4 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना** :— गांव को सङ्करण सम्पर्क उपलब्ध कराने से होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभ को मद्देनजर रखते हुए, सङ्करण सम्पर्क को अधिक से अधिक महत्व देने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतः इसका उद्देश्य बसाहटों की ऐसी बारहमासी

सड़कों के माध्यम से संपर्क देना है जो सबसे सस्ती एवं कम से कम दूरी की हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य बसाहट को प्राथमिकता दी जाती है।

**3.14.5 जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम** :—कृषि उत्पादन पर सुखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

### 3.15 आबकारी विभाग

**3.15.1 आबकारी (संशोधन)** अधिनियम, 1997 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध लागू किए गए, जिसकी धारा 61—घ (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आसवन द्वारा देशी मंदिरा का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात्—

1. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मंदिरा का निर्माण उत्पादन केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
2. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मंदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा।
3. इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मंदिरा का कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

**3.15.2** इस प्रकार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले आदिवासियों को स्वयं के उपभोग के लिए हाथभट्ठी से शराब बनाने की छूट है। एक परिवार द्वारा एक समय में 5 लीटर स्वयं के द्वारा विनिर्मित मंदिरा रखी जा सकती है।

**3.15.3** यदि किसी आदिवासी परिवार के विरुद्ध निर्धारित सीमा से अधिक मंदिरा रखने अथवा अवैध रूप से मंदिरा विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्संबंधी कार्यवाही हेतु पुलिस अथवा आबकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी अधिकारी द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जब तक कि उनके द्वारा ऐसे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिले के कलेक्टर से इस संबंध में लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो अर्थात् किसी भी आबकारी अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा कलेक्टर अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व अनुमति के बिना किसी आदिवासी परिवार के विरुद्ध आबकारी अपराध के प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

**3.15.4** आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 61-ड (2) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना कोई नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में मदिरा की नवीन दुकान खोलने के लिए संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति अथवा अनुज्ञा आवश्यक है।

### **3.16 ग्रामोद्योग विभाग**

रेशम ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही है :—

**1** प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :— उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, मलबरी, ईरी एवं धागाकरण के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर, मलबरी, ईरी स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर, मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधयां संपादित की जाती है।

**2** पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना :— प्रदेश के व्यवसायिक पालित टसर कृमिपालकों को विभाग द्वारा रु. 4/- प्रति स्वस्थ समूह की दर में रु. 3/- की सहायता राशि प्रदान की जाती है एवं कृमिपालक हितग्राहियों से मात्र टसर स्वस्थ समूह को रु. 1/- प्रति स्वस्थ समूह की दर पर प्रदाय किया जाता है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 129 विभागीय केन्द्रों में 5189 हेक्टेयर एवं 151 परियोजना केन्द्रों पर 3941 हेक्टेयर तथा प्राकृतिक वन खण्डों पर 9787 हेक्टेयर कुल उपलब्ध क्षेत्र 18917 हेक्टेयर है। उक्त क्षेत्र में से उपलब्ध टसर खाद्य पौधा क्षेत्र विभागीय केन्द्रों पर 2861 तथा परियोजना केन्द्रों पर 1891 व प्राकृतिक वन खण्डों पर 5178 इस प्रकार कुल 9930 हेक्टेयर साजा, अर्जुना पौधरोपण क्षेत्र का उपयोग कर आगामी वर्ष से टसर कृमिपालक हितग्राहियों को टसर स्वस्थ समूह रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाकर डाबा टसर ककून का उत्पादन किया जावेगा।

**3** बुनियादी सुविधा का विस्तार — रेशम एवं टसर केन्द्रों के लघु निर्माण कार्य :— उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग में पूर्व से स्थापित रेशम एवं टसर केन्द्रों में बुनियादी सुविधा एवं लघु निर्माण का कार्य निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वन विभाग तथा विभागीय रूप से केवल सुदृढ़ीकरण के कार्य निर्माण एजेंसी के तकनीकी मानक के अनुरूप किया जाता है।

बुनियादी सुविधा एवं लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत कृमिपालक गृह, ग्रेनेज भवन, ककून गोडाउन, चॉकी कृमिपालन भवन का उन्नयन एवं नवीन निर्माण के साथ-साथ फेसिंग और सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 123 लघु निर्माण एवं उन्नयन का कार्य

कराया गया। वर्ष 2010–11 में 136 लघु निर्माण एवं उन्नयन का कार्य किया जावेगा। लघु निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में राशि रु. 55.00 लाख का बजट प्रावधान था। वर्ष 2010–11 में राशि रु. 65.00 लाख का बजट प्रावधानित है।

4                  टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम :— वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 18917 हेक्टेयर साजा, अर्जुना का टसर खाद्य पौधरोपण कुल क्षेत्र है, जिसका विभागीय 129 विभागीय केन्द्रों के अंतर्गत 5189 हेक्टेयर प्राकृतिक वन क्षेत्रों के अंतर्गत 9787 हेक्टेयर रेशम परियोजना के 151 केन्द्रों के अंतर्गत 3941 हेक्टेयर कुल क्षेत्र उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में से विभागीय केन्द्र के अंतर्गत 2861 हेक्टेयर, प्राकृतिक वन क्षेत्रों के अंतर्गत 5178 हेक्टेयर, रेशम परियोजना के अंतर्गत 151 केन्द्रों पर 1891 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 9930 हेक्टेयर पौधरोपण युक्त क्षेत्र है।

5                  मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम :— वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 1654 एकड़ कुल क्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से 572 एकड़ क्षेत्र पौधरोपण युक्त उपलब्ध हैं योजना अंतर्गत 83 विभागीय केन्द्र, 03 मलबरी ग्रेनेज, 5 रीलिंग यूनिट, 05 ट्रिविस्टिंग यूनिट स्थापित है।

विभाग द्वारा हितग्राहियों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनांगत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून रु. 140/- एवं पीला मलबरी ककून रु. 120/- प्रति किलोग्राम है। विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यमसे परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

6                  नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम :— राज्य के दंतेवाड़ा, जगदलपुर उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, कोरिया जिले में हरितिमा का परिधान ओढ़े वनों से आच्छादित क्षेत्र है। उक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते हैं जो कि समाज के मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नहीं हैं। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं इसी क्रम में उक्त जिले में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नैसर्गिक बीज का प्रगुणन किया जाकर, उसे सघन वन क्षेत्रों में फैलाया जाता है। जिससे वनवासी हितग्राही द्वारा नैसर्गिक कोसा संग्रहण किया जाकर आय का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सके इस क्षेत्र में निवास करने वाले उक्त परिवार मूलतः वनों पर आधारित उपज का विपणन कर कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं।

उक्त जिले में वन खंडों में प्राकृतिक रूप से साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं इन वृक्षों में टसर कोसा की रैली, लरिया एवं बरफ प्रजाति के कोसाफल नैसर्गिक रूप से उत्पादित होते हैं।

7                   अरण्डी केस्टर पौधरोपण एवं ईरी ककून उत्पादन के विकास एवं विस्तार योजना :— हरितिमा परिधान ओड़े राज्य में ग्रामोद्योग रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर कृमिपालन कार्य परंपरागत है। राज्य शासन के संकल्प के अनुसार वन आधारित ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेशम प्रभाग संचालित योजनाओं एवं जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष योजना कियान्वित कर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाये जाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। रेशम प्रभाग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन कर संबंधित हितग्राही जो भूमिहीन एवं लघु सीमांत कृषक खेतीहार कार्य दिवसों के अतिरिक्त टसर/मलबरी/ईरी रेशम का कृमिपालन एवं धागाकरण कार्य के माध्यम से सीजनल/अंशकालीक रोजगार के आय प्रदान कर हितग्राहियों के वार्षिक आय में वृद्धि करते हुए, गरीबी रेखा से उपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है।

8                   केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम :— दसवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रायोजित उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी अन्वेषण, गुणवत्ता वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धिकर स्व रोजगार उत्पन्न करना है। उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के तहत मुख्य उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत चयनित हितग्राहियों को टसर शहतूती रेशम एवं ईरी कृमिपालन, ग्रेनेज उपकरण, किटाणुनाशक रसायन, ड्रीप सिंचाई तथा चॉकी कृमिपालन गृह एवं चॉकी कृमिपालन उपकरण तथा टसर निजी बीजोत्पादकों को सहायता प्रदान करना है साथ ही राज्य. पी.पी.सी. एवं धागाकरण इकाईयों का सुदृढीकरण कर उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणवत्तायुक्त सुधार तथा रोजगार उत्पादन में वृद्धि कर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।

राज्य द्वारा केन्द्र से सहायता प्राप्ति के उपरांत न केवल अपने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर उत्तरोत्तर प्रगति की है अपितु संसाधनों का अधिकतम दोहन कर संबंधित हितग्राहियों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराकर उनके लिये आर्थिक सामाजिक प्रगति के नये बहुआयामी मार्गों को प्रशस्त किया हैं फलस्वरूप ग्रामीण हितग्राहियों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में आज आमूल चूल प्रगतिवर्धक एवं उत्पादनवर्धक परिवर्तन दृष्टिगत है।

### ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (हाथकरघा) में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1.                  एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :— प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत हाथकरघा विकास योजना को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश के 10 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास/उत्थान के लिये बकावण्ड जिला — जगदलपुर कलस्टर के लिये कुल

प्रोजेक्ट राशि 60.00 लाख स्वीकृत है। इस योजना में 450 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं तथा गुप्त एप्रोच योजना के तहत एक समूह के लिए राशि रु 5.20 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें 20 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

2. छत्तीसगढ़ हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन :— हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को बढ़ावा देने तथा बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिये जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है जिसके लिये वर्ष 2010–11 में राशि रु. 15.00 लाख का बजट आबंटन के विरुद्ध राशि रु. 15.00 लाख का व्यय किया गया।

3. रिवाल्विंग फंड योजना :— बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील करघे में वृद्धि करने हेतु प्रति करघा राशि रु. 15,000/- के मान से अधिकतम 10 करघों के लिये राशि रु. 1.50 लाख की सहायता धनवेष्ठन के रूप में दी जाती है। उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना के लिये राशि रु. 5.00 लाख का बजट आबंटन के विरुद्ध राशि रु. 5.00 व्यय किया गया है जिसके द्वारा 23 बंद करघों को कार्यशील किया गया है।

### छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :—

खादी तथा ग्रामोद्योग में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1. जनश्री सामुहिक बीमा :— इस योजना के अंतर्गत कत्तिन/बुनकर से वर्ष में एक बार रूपये 12.50 जमा कराया जाता है जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। आयोग द्वारा 25/- प्रति बीमा के हिसाब से राशि मिलाकर कंपनी में जमा करता है इस तरह एक कार्यकर्ता के पीछे 37.50 जमा होता है जो बीमा नियमानुसार कात्तिन/बुनकरों को खादी आयोग द्वारा कार्यवाही करने पर प्रदाय होता है।

2. छात्रवृत्ति योजना :— बीमाधारित कारीगरों के बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हे रु. 1200/- सालाना छात्रवृत्ति खादी आयोग द्वारा प्रदाय किया जाता है।

3. कारीगर वर्कशेड योजना :— इस योजना के अंतर्गत वे कत्तिन बुनकर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके कार्य करने हेतु वर्कशेड निर्माण के लिये उन्हे रूपये 25000/- तक अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाता है।

4. स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान :— खादी वस्त्र चूंकि हाथ का कता धागा व हाथ का बुना कपड़ा होता है जिससे पारिश्रमिक लागत में कमी लाने के लिये राज्य शासन द्वारा सूत कताई पर 0.75 पैसे प्रति गुण्डी अनुदान के रूप में प्रदाय करती है इससे धागा की कीमत में संतुलन बना रहे और जिससे पारिश्रमिक में वृद्धि होकर रूपये 2.75 प्रति गुण्डी देय होता है।

5. उत्पादन अनुदान योजना :— राज्य शासन खादी वस्त्र उत्पादन में भी 10 प्रतिशत उत्पादन अनुदान प्रदान करता है इससे कपड़े की कीमत में संतुलन लाने के उद्देश्य से यह योजना लागू है। यह राशि बुनकर को उनके बुनाई मजदूरी में मिलाकर प्रदाय होता है।

6. कच्चा माल सहायता :— खादी आयोग द्वारा विभागीय उत्पादन केन्द्रों के कियान्वयन हेतु कच्चा—माल सहायता के रूप में अंशतः राशि बतौर अनुदान प्रदाय किया जाता है।

7. कामगार कल्याण कोष :— बोर्ड द्वारा कत्तिन—बुनकरों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कामगार कल्याण कोष के रूप में प्रत्येक कत्तिन—बुनकरों के मजदूरी से 10 प्रतिशत राशि उन्हीं के नाम से जमा कराता है और उस पर उतनी ही राशि (10 प्रतिशत) बोर्ड प्रदाय करता है जो संबंधित कत्तिन—बुनकरों को आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों जैसे—शादी, बीमारी आदि में उक्त जमा कुल राशि को प्रदान किया जाता है। यह राशि बोर्ड द्वारा राज्य शासन से प्राप्त कार्यशील पूँजी मद से वहन किया जाता है।

8. विभागीय विक्रय भंडारों का कियान्वयन :— बोर्ड द्वारा प्रदेश में तीन विक्रय भंडार क्रमशः रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में कियान्वित किया जा रहा है इन विक्रय भंडारों के माध्यम से खादी वस्त्रों एवं ग्रामद्योग वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, जो विभागीय रूप से एवं संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी वस्त्र तथा बोर्ड के सहयोग से स्थापित इकाईयों द्वारा उत्पादित ग्रामद्योग के सामानों का विक्रय होता है।

### 3.17 जलसंसाधन विभाग

3.17.1 आदिवासी उपयोजना :— आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम पचास प्रतिशत हो। तदनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में रु. 35103.25 लाख के विरुद्ध रु. 29154.63 लाख का व्यय वर्ष 2010–11 में किया गया।

### 3.18 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010–11 में कुल 40 सड़क कार्य पूर्ण और 61 सड़क कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों के अंतर्गत 551 कि.मी. सड़कों का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इसके अलावा 34 पुल कार्य पूर्ण एवं 113 पुल कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 113 कार्य पूर्ण एवं 224 कार्य प्रगति पर है। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहां आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासियों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

### 1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या—42)

- (अ) नाबाड़ :— इस योजना में 01 पुल कार्य प्रगति पर एवं 2010—11 में 35.00 करोड़ व्यय किया गया।
- (ब) 275(1) के तहत :— इस योजना में 01 पुल कार्य प्रगति पर वर्ष 2010—11 में इस योजना के तहत मात्र रूपये 0.24 लाख का व्यय किया गया है।
- (स) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :— इस योजना में 32 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 51 सड़क कार्य प्रगति पर है इस योजना के अंतर्गत 386 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रु. 61.95 करोड़ का व्यय किया गया है।
- (द) कॉरीडोर योजना के तहत :— इस योजना के 2 पूर्ण एवं 01 सड़क कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें 34 कि.मी. निर्माण कार्य कराया गया, 1 पुल कार्य पूर्ण एवं 03 पुल कार्य प्रगति पर हैं। जिसमें रु. 4.41 करोड़ का व्यय किया गया है।
- (इ) राज्य मार्ग :— इस योजना के अंतर्गत 01 सड़क कार्य प्रगति पर, जिसमें रु. 4.58 करोड़ का व्यय हुआ है।
- (ई) मुख्य जिला मार्ग :— इस योजना के अंतर्गत 02 सड़क कार्य प्रगति पर, जिसमें मात्र रु. 13.91 करोड़ का व्यय हुआ है।
- (ल) वृहत पुलों का निर्माण :— इस योजना के अंतर्गत 33 पुल पूर्ण तथा 105 पुल का कार्य प्रगति पर है जिसमें रु. 78.44 करोड़ का व्यय किया गया है।
- (व) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वृहत पुलों का निर्माण :— इस योजना के अंतर्गत 03 पुल का कार्य प्रगति पर है तथा इस पर रु. 0.36 करोड़ का व्यय किया गया है।

मांग संख्या —76 :—

- (अ) ए.डी.बी. सहायता के कार्य :— इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में 06 कार्य पूर्ण एवं 04 सड़कों का कार्य प्रगति पर है जिसमें 68 कि.मी. का सड़क कार्य किया गया है। इस वर्ष रु.116.57 करोड़ का व्यय किया गया है।

### 2. भवन कार्य (मांग संख्या —68)

- (अ) मांग संख्या — 68 :— मांग संख्या 68 में भवन कार्यों के तहत 113 नग भवन पूर्ण किये तथा 224 नग कार्य प्रगति पर है, इस योजना पर वर्ष 2010—11 में रु. 75.85 करोड़ व्यय किया गया है। महत्वपूर्ण भवन जो इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए हैं वह निम्नानुसार है :—

- 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 02 आदिवासी छात्रावास,
- 04 शिक्षक आवासगृह,
- 01 हाईस्कूल (शैक्षणिक संस्थान)
- 10 नग विकासखंड शिक्षा अधिकारी भवन निर्माण

### 3.19 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

#### फर्जी जाति प्रमाण—पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में जाति प्रमाण—पत्रों की जांच हेतु अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी प्रमाण—पत्र के आधार पर नौकरी करने संबंधी प्राप्त शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेवाओं में नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण—पत्रों की जांच एवं सत्यापन कराने पर विचार किया जा रहा है। ताकि वास्तविक अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण—पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार हैः—

#### जाति प्रमाण—पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

1.	प्रमुख सचिव / सचिव आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास	अध्यक्ष
2.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास छ.ग.रायपुर	सदस्य / सचिव
4.	संयुक्त संचालक (सोशियोलॉजी, इन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, संस्थान, रायपुर	सदस्य

5. अनुसंधान अधिकारी / सहायक संचालक (अनुसंधान) सदस्य  
 (सोशियोलॉजी, एन्थ्रोपोलॉजी,)  
 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण  
 संस्थान, रायपुर

### फर्जी जाति प्रमाण—पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण—पत्रों की जांच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण—पत्र जांच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती हैः—

1. शिकायत जनता से प्राप्त होने/विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।
2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण—पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।
3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण—पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण—पत्र धारक के पिता/पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण—पत्र धारक के माता/पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण—पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भराया जाता है।
4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल—खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।
5. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।
6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कर्से में इश्तहार भी जारी कराया जाता है।

7. समिति के समक्ष जाति प्रमाण—पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।
8. नियोक्ता को समिति के निर्णय की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लिखा जाता है।
9. फर्जी जाति प्रमाण—पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण—पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

### अत्याचार निवारण अधिनियम

ऐसा सर्वर्ण व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मानीटरिंग की जाकर समय—समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
2. राज्य में 12 अनुसूचित जाति कल्याण थाने क्रमशः पुलिस जिला—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद एवं जांजगीर में स्थापित किया जाकर कार्यरत है, अन्य 8 जिलों में क्रमशः जिला—बलरामपुर, धमतरी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, जांजगीर— चांपा, कोरबा, कोरिया एवं जशपुर में अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अनुसूचित जाति कल्याण थाना एवं प्रकोष्ठ में उप—पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की गई है।
3. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

4. राज्य में कुल 6 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला— रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं सरगुजा में स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं।

**सायकल प्रदाय योजना :—** आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सायकिल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। विभाग द्वारा सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की कक्षा 9वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क लेडिस सायकल प्रदाय की जाती है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के हाई स्कूल के बालकों को जेंट्रस सायकल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2010–11 में निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना अंतर्गत 28447 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

**मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :—** कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 700 अनुसूचित जनजाति एवं 300 अनु. जाति विद्यार्थियों को रूपये 10,000/- का एकमुश्त पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना का उददेश्य उच्च प्राप्तांकों के साथ कक्षा 10 वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं हेतु विद्यालयों में प्रवेश के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 700 विद्यार्थियों को योजना में लाभान्वित किया गया है।

**विशेष शिक्षण केन्द्र (कोचिंग) योजना :—** विभागीय छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं वाणिज्य इत्यादि कठिन विषयों के लिये विशेष कोचिंग संचालित करके विषयवार प्रावीण्यता में वृद्धि एवं परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना।

विशेष शिक्षण केन्द्र हेतु शिक्षक की व्यवस्था विकासखंड स्तर पर गठित समिति द्वारा। चयनित शिक्षकों को कक्षा 8वीं से 10 तक अध्यापन हेतु प्रति कालखंड (प्रति घंटा 75/- रु) एवं कक्षा 11वीं से 12वीं प्रति काल खंड (प्रति घंटा 100 रु) पारिश्रमिक देय।

वर्ष 2010–11 में उक्त योजना अंतर्गत रु. 161.15 लाख की राशि व्यय की गई एवं 21062 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।।

**कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :—** विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक आश्रम एवं प्री./पो.मैट्रिक छात्रावासियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र पर कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सामाग्री की व्यवस्था विभाग अथवा विभाग से अनुबंधित संस्था द्वारा की जाती है,

एक शिक्षा सत्र में प्रशिक्षण की संचालन अवधि अधिकतम 6 माह के लिए है। वर्ष 2010–11 में छात्रावास/आश्रमों में 20437 विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

**स्वरथ तन स्वरथ मन योजना** :— मेडिकल सुविधा अप्राप्त दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावासी विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग/दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र विहीन मुख्यालय पर संचालित छात्रावास/आश्रमों में लागू है। चिकित्सक की व्यवस्था जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। चिकित्सक द्वारा माह में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुबंधित चिकित्सक को 50 सीटर संस्था के लिए 500 रु प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर संस्था के लिए 800 रु प्रति भ्रमण मानदेय का भुगतान किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में संस्थाओं में निवासरत 60559 विद्यार्थी लाभान्वित किये गये।

**आगमन भत्ता** :— विभागीय पो.मै. छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को उनकी रुचि के अनुरूप दैनिक उपयोग की सामग्री (गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, थाली, गिलास, कटोरी इत्यादि) क्य करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। पो.मै. छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रथम तीन वर्ष तक योजना के लाभ की पात्रता। प्रथम वर्ष में 800 द्वितीय वर्ष 250 एवं तृतीय वर्ष में 200 रु की आर्थिक मदद स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 9433 विद्यार्थियों को 64.00 लाख की राशि वितरित की गई।

**जवाहर उत्कर्ष योजना** :—

- (1) **योजना प्रारंभ वर्ष** :— जवाहर उत्कर्ष योजना वर्ष 2002–03 से प्रारंभ की गई है।
- (2) **योजना का उद्देश्य** :— अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट निजी आवासीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाना है।
- (3) **चयन के मापदण्ड** :— पांचवीं कक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं दसवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- (4) **अद्यतन प्रगति** :— वर्ष 2010–11 तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 1180 थी। इसके लिए कुल 1500.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था। इसमें से 1351.11 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2009–10 में कक्षा छठवीं में अनुसूचित

जनजाति के 150 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जाति के 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया । इसी प्रकार कक्षा ग्यारहवी में 37 विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के एवं 13 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ।

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की युवतियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की 245 तथा अनुसूचित जाति की 155 युवतियों को प्रवेश दिलाने का प्रावधान है।

### 3.20 विधि एवं विधायी कार्य विभाग :—

राज्य शासन सभी नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने के संवैधनिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए समाज के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराती है।

1. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित मुख्य योजनाएँ :—

1. लोक अदालत
2. विधिक सहायता एवं सलाह
3. विधिक साक्षरता / विधिक जागरूकता शिविर
4. स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवायें)
5. निःशुल्क विधिक सेवा
6. सेवानिवृत्त पश्चात की उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत
7. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना
8. ऑनलाईन विधिक सेवा योजना
9. कारागार परिसर में विधिक सेवा केन्द्र योजना
10. न्याय-सदन का निर्माण
11. छोटे अपराधों में निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता
12. मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र
13. लीगल एवं क्लीनिक की स्थापना
14. पैरा लीगल वालिटियर्स योजना

2. ये योजनाएँ मुख्य रूप से स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत, विधिक सहायता एवं सलाह तथा विधिक साक्षरता के रूप में संचालित की जाती है। जिसके अंतर्गत निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :—

(अ) लोक अदालत :— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम—1987 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत राज्य के समस्त 16 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा 67 तालुका विधिक सेवा समितियों में प्रत्येक माह एक लोक अदालत तथा प्रत्येक तीसरे माह में एक वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी न्यायालयों की खण्डपीठ गठित कर अधिक से

अधिक प्रकरणों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर सिविल, बैंक, दाप्तिक एवं मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जा रहा है।

(ब) राज्य के सभी कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम सहित विभिन्न न्यायाधिकरण, में विशेष लोक अदालतें नियमित अन्तराल में आयोजित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(स) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर द्वारा उच्च न्यायालय स्तर पर प्रत्येक माह में दो पाक्षिक एवं एक मासिक लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

(ब) विधिक सहायता एवं सलाह :— राज्य में छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सेवाएं उपलब्ध कराती हैः—

- अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सदस्य।
- मनुष्यों का अवैध व्यापार किये जाने में आहत व्यक्ति।
- स्त्रियों अथवा बच्चे।
- अन्धापन, कुष्ठ रोग, एक स्थान से दुसरे स्थान पर चले जाने वाले खानाबदोश, बहरापन, दिमागी कमजोरी की निर्याग्यता से ग्रस्त व्यक्ति।
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्ग विशेष पर अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से ग्रस्त व्यक्ति।
- एक औद्योगिक कामगार।
- किशोर अपराधी अर्थात् 18 वर्ष तक आयु के व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये परिक्षणाधीन व्यक्ति जो हिरासत में, सुरक्षा गृह अथवा मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।

एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,00,000/- से कम है।

**3.21 जनसंपर्क विभाग :**— विभाग द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार —प्रसार निम्नानुसार किया गया :—

मांग संख्या — 41 एवं राजस्व अनुभाग 2220 सूचना और प्रचार 60 अन्य 101 विज्ञापन और दृश्य प्रचार 0102 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना 9797 आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में वर्ष 2010—11 में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का व्यापक प्रचार—प्रसार निम्नलिखित माध्यमों से किया गया :—

**3.21.1 नाचा दलों के माध्यम से प्रचार—प्रसार :**— संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित नाचा दलों, कला मंडलियों के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार—प्रसार छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी तथा सरगुजिया आदि स्थानीय बोलियों में नाचा तथा कठपुतली कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया गया। इन नाचा मंडलियों को प्रति कार्यक्रम 2000 रूपए के मान से 69 नाचा दलों को 22 लाख 8 हजार रूपए का मानदेय पंच—सरपंचों से प्राप्त प्रमाण पत्र और जिला जनसम्पर्क कार्यालयों के निष्पादन प्रमाण

पत्रों के आधार पर भुगतान किया गया। इन नाचा दलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 1104 स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें करीब एक लाख से अधिक लोगों ने देखा।

3.21.2 चलित छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार-प्रसार :— जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासन की योजनाओं पर आधारित आकर्षक फोटोग्राफ़स और फ्लेक्स पर आधारित 14 चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर राज्य के 16 जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं-कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों का चलित छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आदिवासी बहुल ग्रामों, हाट-बाजारों सहित नारायणपुर के मावली मेला, दंतेवाड़ा के फागुन मङ्गङ्ग, गिरौदपुरी, शिवरीनारायण और राजिम कुंभ मेला में चलित छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। लाखों लोगों ने इन चलित छायाचित्र प्रदर्शनी को देखा। चलित छायाचित्र प्रदर्शनी पर 22 लाख 90 हजार रुपए व्यय हुआ।

3.21.3 सूचना शिविरों के माध्यम से प्रचार-प्रसार :— प्रदेश के 16 जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जिला जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से हाट-बाजारों एवं बड़े गांवों में 204 स्थानों पर सूचना शिविरों का आयोजन कर शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया गया। प्रत्येक सूचना शिविर पर 2000 रुपए के मान से कुल 4 लाख 8 हजार रुपए व्यय हुआ और 30 हजार से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचायी गई।

3.21.4 फिल्म प्रदर्शन एवं प्रचार साहित्य वितरण :— शासन की विभिन्न योजनाओं पर आधारित डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म का प्रदर्शन नारायणपुर के मावली मेला, दंतेवाड़ा के फागुन मङ्गङ्ग, गिरौदपुरी, और शिवरीनारायण मेला में किया गया। साथ ही चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन, नाचा दलों और सूचना शिविरों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित ब्रोशर वितरित किए गए। साथ ही शासकीय योजनाओं पर आधारित छत्तीसगढ़ी गीत तैयार कराया गया था, जिसे चलित छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से वाहनों में साउंड सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया तथा आदिवासी विकास की योजनाओं पर आधारित टी.व्ही. स्पॉट एवं डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म तैयार कराकर प्रचार-प्रसार किया गया। इस पर 10 लाख 94 हजार रुपए व्यय हुआ। फिल्म प्रदर्शन को करीब 50 हजार लोगों ने देखा।

## 3.22. स्कूल शिक्षा विभाग

### विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण—

1. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस योजना अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किया जाता है
2. नेपजेल (बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम) :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस योजना अंतर्गत शत प्रतिशत बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने, बालिकाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने आदि के लिये सर्व शिक्षा अभियान से पृथक बालिकाओं के लिये एक अतिरिक्त योजना प्रारंभ की गई है।

3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :— इस योजनांतर्गत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9वीं एवं 10वीं की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती है।
4. सर्वशिक्षा अभियान :— यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अंतर्गत 06 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में शाला खोला जाना निर्माण कार्य व अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
5. विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम – प्राथमिक :— इस योजना में कक्षा 01 से 05 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—अपर प्राथमिक :— इस योजना अंतर्गत कक्षा 06 से 08 कक्षा में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रदाय — हाईस्कूल :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाती है।
8. पुस्तकालय योजना :— इस योजना अंतर्गत हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में लाईब्रेरी हेतु पुस्तकें प्रदाय किये जाने हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।
9. सूचना शक्ति योजना :— इस योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
10. सूचना एवं संचार तकनीकी :— इस योजना अंतर्गत समस्त हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में समस्त विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।
11. सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (साक्षरता) :— इस योजना अंतर्गत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये राज्य व जिला स्तरीय कार्यालय के व्यय हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।
12. यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम :— इस योजना में यूरोपियन कमीशन से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। इस योजना में नवीन योजना तथा पूर्व से संचालित योजना जिसके राशि की कमी हो उस योजना की पूर्ति हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है।

### 3.23 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पृथक से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तथापि विभाग की निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है—

#### 3.23.1 सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉइस केन्द्र):—

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 6 ग्रामों के समूह में एक केन्द्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इन केन्द्रों से ग्रामीणों को ऑनलाईन सेवा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें निजी एवं शासकीय सुविधाएं प्रदान की जायेगी। ऑनलाईन दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

### शासकीय सेवाएं—

1. जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. शासकीय फार्म की प्रदायगी
6. भू अभिलेख दस्तावेज की प्रदायगी।
7. रोजगार पंजीयन
8. जनशिकायत निवारण
9. बिजली बिल का भुगतान
10. टेलीफोन बिल का भुगतान
11. परीक्षा परिणाम की प्रदायगी

### निजी सेवाएं—

1. बीमा संबंधित सेवाएं।
2. बैंकिंग संबंधित सेवाएं।
3. कृषि संबंधित सेवाएं।
4. मोबाइल सेवाएं।
5. अन्य जनोपयोगी सेवाएं।

राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 887 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जहां से उपरोक्त दर्शाई सेवाएं दी जाने की व्यवस्था है। यह केन्द्र स्थानीय उद्यमी द्वारा स्ववित्त से प्रारंभ किये गये हैं यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम 2003 के आधार पर संचालित हैं।

#### 3.23.2. चॉइस केन्द्र :—

नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को शासन की सेवाएं/सुविधाएं ऑनलाईन प्रदान करने के लिए चॉइस केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। यह केन्द्र भी मुख्यतः नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सर्टिफिकेट से विभिन्न प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रदायगी करता है। इस परियोजना अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं—

- (1) आय प्रमाण पत्र
- (2) जाति प्रमाण पत्र
- (3) निवास प्रमाण पत्र
- (4) जन्म प्रमाण पत्र
- (5) मृत्यु प्रमाण पत्र

- (6) बी.पी.एल. प्रमाण—पत्र मुद्रण
- (7) बी.पी.एल. डाटा एन्ट्री (डाटा संग्रहण)
- (8) नजूल भूमि के लिये अनापत्ति प्रमाण—पत्र
- (9) जन शिकायत (न.नि.रा.)
- (10) जन शिकायत (कलेक्टोरेट)
- (11) नया राशन कार्ड
- (12) राशन कार्ड प्रतिलिपि
- (13) राशन कार्ड का समर्पण
- (14) राशन कार्ड में सुधार
- (15) भंडारण (विस्फोटक पदार्थ) अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन
- (16) भंडारण (केरोसीन) अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन
- (17) भंडारण (ऐट्रोल, डीजल) अनापत्ति प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन
- (18) औद्योगिक उद्योग लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र
- (19) विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र
- (20) नजूल भूमि के पट्टे के लिये पुराना डाटा संग्रहण
- (21) नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण
- (22) नजूल भूमि के पट्टे का नामान्तरण
- (23) न.नि.रा. के दुकानों का आबंटन
- (24) न.नि.रा. के आंबटित दुकानों का नवीनीकरण
- (25) न.नि.रा. के आबंटित दुकान का आधिपत्य हस्तांतरण
- (26) नया नल कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र
- (27) आयुध अनुज्ञाप्ति
- (28) आयुध अनुज्ञाप्ति नवीनीकरण
- (29) स्थापना पंजीयन
- (30) स्थापना पंजीयन का नवीनीकरण
- (31) नकल दस्तावेज
- (32) अनापत्ति प्रमाण—पत्र (रा.वि.प्रा.)
- (33) सम्पत्ति कर की रसीद
- (34) सम्पत्ति कर का नामान्तरण
- (35) विवाह पंजीयन

उपरोक्त सेवाओं में अनेक सेवाएं अभी प्रदान की जा रही है। चॉइस परियोजना अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के नगर निगम, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में इस परियोजना अंतर्गत 18 चॉइस केन्द्र कार्यरत हैं। यह केन्द्र स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्वयं के वित्त से संचालित किये जा रहे हैं।

### 3.23.3. स्टेटवाईड एरिया नेटवर्क :—

राज्य में स्टेटवाईड एरिया नेटवर्क तैयार किया गया है। इस नेटवर्क के माध्यम से वीडियो, आवाज तथा डेटा का स्थानान्तरण किया जा सकता है। इस नेटवर्क में रायपुर में राज्य स्तरीय प्रबंधन केन्द्र तैयार किया गया है, जिसमें सेटेलाईट अर्थ स्टेशन हैं, जो सीधा इंसेट से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों तथा विकासखंड मुख्यालयों में इस नेटवर्क के प्रबंधन केन्द्र तैयार किये गये हैं। जिसमें आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के जिला मुख्यालय तथा विकासखंड मुख्यालय भी सम्मिलित हैं। इसमें समस्त मुख्यालयों में वॉय-मैक्स या लोकल एरिया नेटवर्क की तकनीक से समस्त कार्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वॉय-मैक्स तकनीक से आस-पास के 8–12 किलोमीटर की परिधि में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिससे पंचायत भी कनेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा राज्य के 200 पुलिस थाने, जो लगभग सभी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में हैं, में वी-सेट के माध्यम से कनेक्टिविटी दी गई है। इससे सभी स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है।

\* \* \* \* \*

## अध्याय – 4

### विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए “आदिवासी उपयोजना” (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि / प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2010–11)

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	राज्य आयोजना			
			प्रावधान	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग	41	22283.75	20463.22	19536.30	
	योग		22283.75	20463.22	19536.30	95.47
2	उद्यानिकी	41	1934.56	1033.10	1031.33	
	योग		1934.56	1033.10	1031.33	99.82
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें विभाग	41	2644.62	2644.72	1960.06	
			70.00	70.00	63.82	
		82	2714.62	2714.72	2023.88	74.55
4	मत्स्योद्योग विभाग	41	1008.22	1008.22	996.50	
			150.75	150.75	150.24	
		82	1158.97	1158.97	1146.74	98.94
5	सहकारिता विभाग	41	4549.00	3939.82	3939.82	
			4549.00	3939.82	3939.82	100.00
6	वन विभाग	41	10807.00	10694.00	10509.47	
			10807.00	10694.00	10509.47	98.27
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	41	16048.03	16048.03	10120.67	
			16048.03	16048.03	10120.67	63.06
8	ऊर्जा विभाग	41	12460.60	12460.60	10295.93	
			12460.60	12460.60	10295.93	82.62
9	ग्रामोद्योग विभाग (अ) रेशम उद्योग	41	727.21	727.21	437.47	
			45.00	45.00	20.00	
		41	196.35	196.35	196.35	
			968.56	968.56	653.82	67.50
10	जल संसाधन विभाग	41	35123.25	35103.25	29154.63	
			35123.25	35103.25	29154.63	83.05
11	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41	75485.48	75485.48	52300.52	
			75485.48	75485.48	52300.52	69.29
12	स्कूल शिक्षा विभाग	41/82	40207.29	40207.29	24989.68	
			40207.29	40207.29	24989.68	62.15
13	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	41	87346.00	87346.00	77749.07	
			48230.00	48230.00	45280.92	
		82	135576.00	135576.00	123029.99	90.75

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	राज्य आयोजना			
			प्रावधान	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
14	उच्च शिक्षा विभाग योग	41	2615.70 2615.70	2615.70 2615.70	2482.88 2482.88	
15	जन शक्ति नियोजन विभाग (अ) तकनीकी शिक्षा (ब) रोजगार एवं प्रशिक्षण	41	2678.00	2678.00	315.74	
		41	3388.00	3088.00	1041.08	
	योग		6066.00	6066.00	1356.82	22.37
16	समाज कल्याण विभाग पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग योग	41 / 82	293.31 34436.00 34729.31	293.31 34436.00 34729.31	119.30 34421.00 34540.30	
		82	13.00	13.00	12.53	
			15214.73	15214.73	10866.70	71.42
18.	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग योग	41	11064.06 11064.06	11064.06 11064.06	10443.19 10443.19	
						94.39
19.	लोक निर्माण विभाग	42	27936.50	27936.50	16400.93	
		68	11564.50	11564.50	7616.71	
		76	12000.00	12000.00	11657.20	
	योग		51501.00	51501.00	35674.84	69.27
20.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय (राज्य योजना) योग	41	1792.00	1792.00	1651.28	
			1792.00	1792.00	1651.28	92.15
21.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग	41	7674.50	7674.50	6442.01	
		82	507.00	507.00	23.79	
	योग		8181.50	8181.50	6465.80	79.03
22.	चिकित्सा शिक्षा विभाग योग	41	3091.40	3091.40	1964.91	
			3091.40	3091.40	1964.91	63.56
23.	संस्कृति विभाग योग	41	250.00	250.00	248.20	
			250.00	250.00	248.20	99.28
24.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग योग	41	1899.00	1899.00	1750.00	
		83	75.00	75.00	75.00	
			1974.00	1974.00	1825.00	92.45
25.	वाणिज्य एवं उद्योग योग	41	2608.00	2608.00	1975.40	
			2608.00	2608.00	1975.40	75.74
26.	विधि एवं विधायी कार्य योग	41	73.40	73.40	35.95	
			73.40	73.40	35.95	48.98
27.	जनसम्पर्क योग	41	60.00	60.00	59.99	
			60.00	60.00	59.99	99.98
28.	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्यायैथी विभाग योग	41	1651.60	1651.60	430.61	
			1651.60	1651.60	430.61	26.07
29.	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग योग	41	2293.13	2293.13	2253.90	
			2293.13	2293.13	2253.90	98.29
	महायोग		502482.83	499018.87	401008.55	80.35

## 4.1 कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

**4.1.1** छ.ग. राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से खरीफ मौसम में 12.82 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है जो निरा फसली क्षेत्र का 27.61 प्रतिशत है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर कृषि एवं फल उत्पादन अन्य विकसित कृषि क्षेत्रों की तुलना में कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में धान, मक्का कोदो इत्यादि फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। अतः अनुसूचित क्षेत्रों में कृषि के विस्तार के लिए उन्नत कृषि उपकरण, तकनीक का प्रयोग, उन्नत बीजों तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस राज्य में कुल 32.55 लाख कृषक परिवार हैं जिसमें से 76 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति कृषकों की संख्या 32 प्रतिष्ठत है।

**4.1.2** वर्ष 2010–11 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 20463.22 लाख रुपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 19536.30 लाख रुपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :—

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना		
1.	कृषक समग्र विकास योजना	570.00	558.76
2.	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	60.00	60.00
3.	भू जल संवर्धन	20.00	19.10
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14547.00	13935.44
5.	शाकम्बरी	550.00	549.43
6.	सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकलर	60.00	60.00
7.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1140.00	1140.00
8.	आइसोपाम विकास योजना	595.91	487.88
9.	मैक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान	904.56	856.62
10.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	20.00	20.00
11.	मशीन ट्रेक्टर योजना	65.00	64.47
12.	दण्डकारण्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शाला की स्थापना	7.25	6.56
13.	बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना	250.00	138.49

14.	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	325.00	325.00
15.	वृष्टि छाया योजना	140.00	123.82
16.	लघु सिंचाई माइक्रोइनर सिंचाई योजना	820.00	820.00
17.	नलकूप स्थापना पर अनुदान	360.00	359.44
18.	कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	28.50	11.29
	योग	20463.22	19536.30

#### 4.1.3 उद्यानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष में आदिवासी मद अंतर्गत राशि रु. 1033.10 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध राशि रु. 1031.33 लाख का व्यय किया गया। योजनावार राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मसाला उत्पादन एवं विकास योजना	45.00	45.00
2.	आलू विकास योजना	40.00	39.75
3.	बड़े शहरों के आसपास साग-भाजी उत्पादन योजना	45.00	44.94
4.	घरेलु बागवानी की आदर्श योजना	43.00	43.00
5.	अधिकारियों / कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण	10.00	10.00
6.	सघन फलोद्यान विकास योजना	110.00	108.61
7.	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	72.00	71.93
8.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	647.59	647.59
9.	स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	20.51	20.51
	योग	1033.10	1031.33

#### 4.2 पशुपालन विभाग

4.2.1 वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 2714.72 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया था। जिसके विरुद्ध 2023.88 लाख की राशि व्यय कर निम्न योजनायें संचालित की गईं।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :—		
1.	गौवंशीय योजना	1.00	1.00
2.	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	40.00	38.64
3.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	162.00	159.54
4.	सूकर वितरण अनुदान	80.00	71.49
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	100.00	85.62
6.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	108.00	16.74
7.	बस्तर जिले में पशुधन विकास	250.08	189.84
8.	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	65.64	32.47
9.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1908.00	1428.54
	योग :—	2714.72	2023.88

4.2.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	योजना का नाम	ईकाई	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि
1.	बैल जोड़ी का प्रदाय	संख्या		
2.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	कुक्कुट संख्या	18,000	8285
3.	सुकर वितरण अनुदान	सुकर 1 नर +2 मादा	1150	657
4.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	बकरा संख्या	3999	176
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	सांड संख्या	499	295

### 4.3 मत्स्य विभाग

4.3.1 प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

4.3.2 वर्ष 2010–11 में क्रियान्वित विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :—

(रुपये लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :—		
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	63.52	55.33
2	मत्स्य बीज उत्पादन	87.00	86.62
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	1.95	1.95
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	5.75	5.75
5	आदिवासी मत्स्य / पालकों को सहायता अनुदान	76.00	75.83
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	2.50	2.50
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	9.25	8.91
8	मत्स्य पालन प्रसार (अभिकरणों को अनुदान)	63.00	63.00
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	850.00	846.85
	योग —	1158.97	1146.74

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	स्टेफाई संख्या (लाख में)	198.88	191.88
2	मत्स्य बीज उत्पादन	स्टेफाई (लाख में)	3250	3250
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	हित. संख्या	78	78
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	हित. संख्या	38333	38333
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	समिति संख्या	30	30
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	हितग्राही संख्या	740	740
7	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनु.)	हित.संख्या	1439	1439
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	हित संख्या	9896	9896

#### 4.4 सहकारिता विभाग

**4.4.1** जनजातियों में सहकारिता की भावना नैसर्गिक रूप से पायी जाती है। वनोपज संग्रहण, कृषि कार्य तथा गृह निर्माण कार्य में जनजाति समुदाय की सामूहिकता तथा सहकारिता की परंपरागत भावना आज भी परिलक्षित होती है। आधुनिक सहकारिता का स्वरूप व्यवसायिक है। यह

जनजातियों की वर्तमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हुआ है।

**4.4.2** सहकारिता के अंतर्गत बैंकों तथा लैम्पस् के माध्यमों से आदिवासियों को उनके सामाजिक उपभोग के लिए बिना ब्याज ऋण तथा अग्रिम प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं से ऋण एवं अनुदान की पात्रता सदस्यों को होती है, अतएव जनजाति व्यक्तियों को समिति की सदस्यता/अंशपूँजी क्रय करने हेतु ऋण तथा अनुदान दिया जाता है ताकि आधिकारिक संख्या में जनजाति के व्यक्ति सहकारिता क्षेत्र से समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

**4.4.3** सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 3939.82 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध 3939.82 लाख व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	6.00	6.00
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	7.00	7.00
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी में धनवेष्टन	100.00	100.00
4	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूँज में धनवेष्टन	100.00	100.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	20.00	20.00
6	कृषक ऋण राहत योजना	2560.00	2560.00
7	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	526.00	526.00
8	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	84.80	84.80
9	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण अनुदान	4.02	4.02
10	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूँजी धनवेष्टन	526.00	526.00
11	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण धनवेष्टन	6.00	6.00
	योग	3939.82	3939.82

4.4.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	व्यक्ति संख्या	120	155
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	सदस्य	10000	7000
3.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी का धनवेष्ठन	संस्था	200	172
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूजी में धनवेष्ठन	संस्था	1	1
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	40000	40000
6.	कृषक ऋण राहत योजना	सदस्य	256000	256000
7	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूजी	संस्था	1	1
8	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	संस्था	1	1
9	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	संस्था	8	8
10	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण अनुदान	संस्था	2	2
11	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण धनवेष्ठन	संस्था	2	2

## 4.5 वन विभाग :—

4.5.1 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।

**4.5.2** छत्तीसगढ़ में वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए विभागीय ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। उत्पादन वन मण्डलों तथा सामाजिक वानिकी मण्डलों को गुण दोषों के आधार पर औचित्यपूर्ण परीक्षण कर नया सेटअप तैयार किया गया है। इससे आशा की जाती है कि वन विभाग का स्थापना व्यय कम होगा तथा योजनाओं के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

**4.5.3** वन विभाग को आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या-41 में राशि 10694.00 लाख रुपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध राशि 10509.47 लाख रुपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	3600.00	3576.18
2	सामाजिक वानिकी	210.00	209.84
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	225.00	224.67
4.	लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षेत्र.यो.)	87.00	87.00
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	400.00	396.55
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	360.00	349.46
7.	पौधा प्रदाय योजना	60.00	58.78
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	580.00	560.55
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	240.00	134.99
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	250.00	249.65
11.	सड़के तथा मकान निर्माण	650.00	649.81
12	बांस वनों का पुनरोध्दार	1800.00	1797.32
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	180.00	182.80
14	लाख विकास योजना	200.00	200.00
15	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	300.00	300.00
16	वन मार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण	750.00	747.13

17	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	99.55
18	त्वरित वन क्षेत्र पुनरोत्पादन	292.00	285.18
19	वन अधिकारों की मान्यता	200.00	193.67
20	हरियाली प्रसार योजना	80.00	81.83
21	भू-जल संरक्षण कार्य	130.00	124.53
	योग	10694.00	10509.47

4.5.4 वन विभाग द्वारा संचालित योजना की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु. जनजाति (मानव दिवस)
1.	राज्य की आयोजना बिगड़े वनों का सुधार	हेक्टर	126849	114505	647412
2.	सामाजिक वानिकी	हे.	18577	3091	37988
3.	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण का कार्य	हे.	5673	5597	45195
4.	सड़के तथा मकान निर्माण	नग	111	161	117838
5.	पौधा प्रदाय योजना	लाख पौधे	32.05	35.19	10641
6.	हरियाली प्रसार योजना	लाख पौधे	23.00	23.00	14814
7.	नदी तट वृक्षारोपण	लाख पौधे	24.60	25.20	63264
8.	बांस वनों का पुनरोद्धार	हे.	86071	85211	325377
9.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज / औषधिरोपण	हे.	7330	8560	101479
10.	पर्यावरण वानिकी	पौध रोप रखरखाव	2200	3435	71786
11.	भू-जल संरक्षण कार्य	हेक्टेंयर	11824	11823	22544
12.	वन मार्गों पर रपटा / पुलिया निर्माण	नग पुलिया	179	232	135256
13.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष	हेक्टेयर	18487	2069	40673
15.	कर्मचारी कल्याण योजना	आवास	11	22	18022
16.	त्वरित वन क्षेत्र पुनरोत्पादन	हेक्टे.	350	1000	51627
17.	वन अधिकारों की मान्यता	हेक्टे.	101437	21377	35061

## **4.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

**4.6.1 इंदिरा आवास योजना :—** योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले आवासहीन लोगों को आवास निर्माण के लिए शत—प्रतिशत आवासीय सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। योजना अन्तर्गत नये आवास योजना के लिए 35 हजार रुपये एवं उन्नयन के लिए 15 हजार रुपये प्रति आवास के मान से शत—प्रतिशत राशि हितग्राही को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 75 / 25 प्रतिशत है।

**4.6.2 क्रेडिट कम समिक्षा :—** इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय रुपये 32,000 तक है लाभान्वित होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

**4.6.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :—** इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75 / 25 का है इस योजना की विशेषता निम्नानुसार है :—

**4.6.3.1** योजना के क्रियान्वयन में ग्रुप/कलस्टर प्रोजेक्ट/ऐप्रोच अपनायी जायेगी।

**4.6.3.2** योजना अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल और बाजार की उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुए मुख्य गतिविधियों का चयन किया जायेगा।

**4.6.3.3** ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उद्यमों की स्थापना कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।

**4.6.3.4** योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले चयनित परिवार सहायता हेतु पात्र होंगे।

**4.6.3.5** योजना अन्तर्गत जनजातियों के कार्यों को 10,000 और समूह के लिए 1.25 लाख अनुदान सीमा निर्धारित है सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

**4.6.3.6** गठित समूहों में 50 प्रतिष्ठत समूह महिलाओं के लिए होंगे।

**4.6.4 राजीव गाँधी जलग्रहण विकास कार्यक्रम :—** कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, इस योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।

**4.6.5** विभाग को वित्तीय वर्ष 2010–11 में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 16048.03 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त था जिसके विरुद्ध रु. 10120.67 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :—		
1	इंदिरा आवास योजना	1893.93	1852.79
2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	918.79	793.44
3	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	196.46	27.22
4	म.गां.राष्ट्रीय रोजगार गॉरेन्टी योजना	10701.55	5946.06
5	—	20.90	0.00
6	डी.आर.डी.ए.(प्रशासन)	114.95	114.95
7	आई.डब्ल्यू.एम.पी.	526.68	518.22
8	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1174.77	867.99
9	प्र.म.ग्राम सङ्क योजना	500.00	0.00
	योग —	16048.03	10120.67

#### 4.7 उर्जा विभाग

4.7.1 आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रूपये 12460.60 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। आविटि राशि के विरुद्ध रु 10295.93 व्यय किया गया। विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	1652.60	1652.60
2.	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	1903.00	2714.44
3.	उर्जा के गौर पारंपरिक उर्जा स्रोतों के अंतर्गत अक्षय उर्जा संस्था को अनुदान	2225.00	2225.00
4.	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	5800.00	2823.89
5.	कृषि पंपों का उर्जीकरण	880.00	880.00
	योग—	12460.60	10295.93

4.7.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	12	12
एकल बत्ती कनेक्शन	हितग्राही	97935	72405
हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	हितग्राही	36009	44150
घरेलू बायो गैस	संख्या	1000	400
आदिवासी छात्रावास व आश्रम का विद्युतीकरण	संख्या	25	51
सौर गर्म जल संयंत्र	लि./दिन	50000	29600
सौर सड़क प्रकाश संयंत्र	संख्या	50	49
सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र	संख्या	25	20
सौर घरेलू प्रकाश संयंत्र	संख्या	250	500
सौर पावर प्लांट	संख्या	250	250
सौर जनरेटर	संख्या	25	25

## 4.8 रेशम एवं ग्रामोद्योग

4.8.1 राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ-साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

4.8.2 बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते हैं।

### 4.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या—41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 727.21 लाख के विरुद्ध रूपये 437.47 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.00	0.00
2	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	439.13	284.04
3	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	36.48	24.95
4	पालित प्रजाति के कृषि पालको को ट्रेसर स्व समूह	100.00	77.75
5	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	151.60	50.73
	योग—	727.21	437.47

4.8.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनुसूचित जनजाति
1. पालित प्रजाति के पालको को टसर	हित संख्या	11107	11107	7494
2. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	हित संख्या	0	0	0
3. नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	केम्प सं.	77	17	134
4. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	हितग्राही सं.	731	188	177
5. अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	पौध रोपण (एकड़ में ) कोसा उत्पा. (कि.ग्रा.)	1000 80000	1189.50 4354	258

ब. ग्रामोद्योग (खादी ग्रामोद्योग ) वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को 196.35 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा रु 196.35 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लाभान्वित अनु. जनजाति हितग्राही
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	24.00	24.00	0
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	13.00	13.00	25
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	145.20	145.20	2287
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रषिक्षण	10.45	10.45	1217
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	3.70	3.70	125
	योग—	196.35	196.35	3654

स. हाथकरघा :— वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 45.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 20.00 लाख व्यय किया गया है।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	25.00	0.00
2	बाजार अध्ययन	15.00	15.00
3	रिवाल्विंग फण्ड	5.00	5.00
	योग—	45.00	20.00

## 4.9 जल संसाधन विभाग

4.9.1 वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 35103.25 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 29154.63 लाख व्यय किया गया है ।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :—		
1	हसदेव बांगो परियोजना	273.25	229.93
2	सोंदूर परियोजना	2500.00	2499.93
	मध्यम परियोजना		
1.	खरखरा	650.00	359.30
2.	कोसारटेडा	2077.00	1793.98
3.	मोंगरा	318.00	286.37
4.	परालकोट	72.00	0.00
	लघु सिंचाई		
1.	ल.सि.यो. नाबार्ड	6340.00	6097.71
2.	ल.सि.यो. (सामान्य)	6508.00	8091.93
3.	ल.सि.यो. सर्वेक्षण	240.00	273.62
4.	मरम्मत एवं पुनर्रोद्धार	1100.00	0.15
5.	अपूर्ण सिं.यो. को पूर्ण करना अनुच्छेद 275 (1)	25.00	14.83
6.	एनिकट निर्माण	15000.00	9506.88
	महायोग	35103.25	29154.63

4.9.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
वृहत परियोजना	हेक्ट.	0	0
मध्यम परियोजना	हेक्ट.	11110	4500
लघु सिंचाई	हेक्ट.	22985	10032

## 4.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा छ.ग. में मुख्यतः निम्नानुसार कार्य कराये जाते हैं—

- 4.10.1 प्रदेश के उपभोक्ताओं को शक्कर, खाद्यान्न, मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध कराना अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन कराना।
- 4.10.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 के अंतर्गत बने विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना।
- 4.10.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम—1986 का क्रियान्वयन।
- 4.10.4 केन्द्रीय शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा गेहूँ का उपार्जन करना, ताकि कृषकों को उनकी कृषि उपज शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम दर पर न बेचना पड़े।

**4.10.5** छत्तीसगढ़ चांवल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश 2001 के तहत शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चावल मिलों से लेबी चांवल का उपार्जन।

वर्ष 2010–11 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 75485.48 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था इसके विरुद्ध रूपये 52300.52 लाख व्यय किया गया है

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	आदिवासी जिलों में रियायती दर पर नमक वितरण	1292.00	1292.00
2	अन्नपूर्णा योजना	6.08	5.89
3.	अंत्योदय अन्न योजना	562.40	562.40
4.	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	38000.00	33815.23
5	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	19000.00	0.00
6	मार्कफेड को बारदाना कर्य हेतु ऋण	16625.00	16625.00
	योग	75485.48	52300.52

## 4.11 स्कूल शिक्षा विभाग

4.11.1 वर्ष 2010–11 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 40207.29 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था। इसके विरुद्ध 24989.68 लाख रुपये का व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	सर्व शिक्षा अभियान	16500.00	12220.90
2.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	1620.00	1134.73
3.	पुस्तकालय योजना	230.00	227.97
4.	सूचना शक्ति योजना	350.00	94.59
5.	सामाजिक शिक्षा कक्षाएं (राज्य+केन्द्र)	25.00	0.00
6.	कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना	380.00	320.50
7.	एन.पी.ई.जी.एल.	200.00	132.40
8.	सूचना संचार तकनीकी	1400.00	0.00
9.	छात्राओं को गणवेश	300.00	250.00
10.	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	7599.50	6414.96
11	हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	515.00	501.50
11.	यूरोपियन कमीशन	3600.00	1634.38
12	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3000.00	0.00
13	मॉडल स्कूल योजना	3200.00	1547.75
13	कन्या छात्रावास का निर्माण	1287.79	510.00
	योग —	40207.29	24989.68

4.11.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
पुस्तकालय योजना	शाला सं.	75	75
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	छात्र	362000	362000
सूचना शक्ति योजना	छात्राएं	93500	93500
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय	विद्यार्थी	806000	804500
निःशुल्क गणवेश	विद्यार्थी	84000	83661
निःशुल्क सायकल प्रदाय	छात्राएं	30000	29566

#### 4.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रों में शालाओं के संचालन के साथ पूरक शैक्षिक योजनाएं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन एवं शैक्षिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास की कतिपय योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 2010–11 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

4.12.1 **शैक्षिक संस्थायें** आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाएं संचालित की जा रही हैं। इन शालाओं के अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विशिष्ट आवासीय शैक्षिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	संस्थाओं का प्रकार	संस्थाओं की संख्या
1.	प्राथमिक शाला	16941
2.	माध्यमिक	6202
3.	हाईस्कूल	587
4.	उच्चतर माध्यमिक शाला	661
5.	आदर्श उच्चतर मा.शा. (बालक)	05
6.	कन्या शिक्षा परिसर	07
7.	एकलव्य आवासीय विद्यालय	08
8.	ग्रूकूल विद्यालय	01
9.	खेल परिसर	13
10.	प्री-मैट्रिक जनजाति छात्रावास	1236
11.	पोस्ट मैट्रिक जनजाति छात्रावास	255
12.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (प्राथमिक)	1048
13.	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (माध्यमिक)	85

जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षिक संस्थाएं संचालित की जा रही है :—

**4.12.1.1 आवासीय संस्थाएं** :— घर से दूर रहकर विद्या अर्जन करने वाले जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु 255 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 1236 प्री मैट्रिक छात्रावास एवं 1133 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है जिनमें 144472 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी निवासरत हैं।

राज्य छात्रवृत्ति में हाईस्कूल स्तर तक प्रतिमाह 10 रु. की वृद्धि की गई है पूर्व की दर रु. 20 से बढ़ाकर अब रु. 30 की गई है। हाईस्कूल स्तर तक के छात्रावासी छात्र, छात्राओं को देय शिष्यवृत्ति में 100 रु. प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। अब छात्रों को 350 रु. एवं छात्राओं को रु. 360 प्रतिमाह की पात्रता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के आगमन भत्ते की दर रु. 500 की जगह रु. 800 कर दी गई है।

**4.12.1.2 खेल परिसर** :—

अध्ययन के साथ-साथ जनजाति के छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 13 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 5 परिसर कन्याओं के लिए हैं। प्रत्येक परिसर में 100 छात्र/छात्राएं आवासीय होकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रु. 450 शिष्यवृत्ति, 300 रु. पोषण आहार, वर्ष में एक बार रु. 350 गणवेश के लिए तथा रु. 500 खेल किट्स के लिए दिए जाते हैं।

#### 4.12.1.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :—

कक्षा 1ली से 8वीं तक अध्ययरत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं एवं कक्षा 9वीं एवं 10वीं की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2010–11 में 1ली से 10वीं के 103535 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं इनमें से नक्सल प्रभावित 07 जिलों में 17040 विद्यार्थीयों को लाभान्वित किया गया।

#### 4.12.1.4 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :—

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम बनाया गया है।

2. राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 33 अशासकीय संस्थाएं इस विभाग से अनुदान प्राप्त कर रही है। शिक्षण संस्थाओं में 29 संस्थाएं अनुसूचित जनजाति तथा 03 संस्थाएं अनुसूचित जाति एवं चिकित्सा क्षेत्र में 01 संस्था अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कार्य कर रही है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उ.मा. शालाएं, छात्रावास, आश्रम, बालबाड़ी, औषधालय आदि प्रवृत्तियां पर कार्य किया जा रहा है।
3. उक्त अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रु. 1701.00 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में कुल 5023 अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं,

#### 4.12.2 राहत योजनाएं

##### 4.12.2.1 आकस्मिकता योजना :—

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुर्णवास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

#### **4.12.1.6 जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना :—**

राज्य में ऐसे प्रतिभावन आदिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 5वीं, तथा 10 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों का चयन जिला स्तर पर किया जाकर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में जिला मुख्यालय के निजी उत्कृष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा। विद्यार्थी आवास एवं पढ़ाई का सारा खर्च शासन वहन करेगी।

इसी तरह कक्षा 5 वीं, तथा 10 वीं बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, अंक पाने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों के आवास एवं पढ़ाई का सम्पूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1030 बच्चे तथा अनुसूचित जाति के 150 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 494 विद्यार्थी शामिल हैं।

#### **4.12.2.2 राहत योजना :—**

इस योजना के तहत ऐसी साधन विहीन कन्या जिसके मा—बाप न हो तथा जिसका पालन पोषण उसके रिश्तेदार कर रहे हो के विवाह के लिए 3000/- एवं ऐसी कन्या जिसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो या गरीबी रेखा के नीचे हो के विवाह हेतु 1500/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना अतिसंकटापन्न स्थिति में प्रकरण की परिस्थिति के अनुरूप रु.100/- से 1000/- तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

#### **4.12.3 आर्थिक योजनाएं**

**4.12.3.1 स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :—** छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए जिला कार्यालय से बैंकों के माध्यम से बैंक प्रवर्तित स्वरोजगार योजना संचालित है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की विभिन्न रोजगार योजनांतर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण मद से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना संचालित है।

(अ) बैंक प्रवर्तित योजनांतर्गत :— अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे अथवा परिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 19750/- एवं शहरी क्षेत्र में रु. 27250/- के

वयस्क लोगों को जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण वितरित किया जाता है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से ऋण कम्पोनेंट के साथ अनुदान समाप्त कर दिये जाने के कारण अब छ.ग. राज्य शासन के बजट में प्रावधान कर स्थीकृत ऋण के विरुद्ध अधिकतम रु. 10,000/- अथवा 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान प्रति हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की संचालित योजनांतर्गत :— अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार कर छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा राष्ट्रीय निगम को प्रेषित किया जाता है, जिसमें से परियोजना/प्रस्ताव लागत का 90 प्रतिशत तक राष्ट्रीय निगम द्वारा टर्म लोन उपलब्ध कराया जाता है एवं कम से कम 5 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा अधिकतम 5 प्रतिशत हितग्राही को देना होता है। योजना का क्रियान्वयन एवं ऋण का वितरण जिला स्तर पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा जिले के मूल निवासी, वयस्क एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा की दोगुनी आय वर्ग के लोगों को किया जाता है साथ ही हितग्राही चयन हेतु जिला स्तर पर राज्य शासन द्वारा गठित योजनाओं में हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय निगम द्वारा छ.ग.राज्य निगम से दिये जा रहे ऋण वापसी की गारंटी लेता है एवं राज्य निगम हितग्राही से ऋण की गारंटी हेतु जमानतदार एवं ऋण दस्तावेज पूर्ण कराता है। राष्ट्रीय निगम को प्राप्त ऋण पर निम्नानुसार ब्याज दिया जाता है :—

क्र.	प्रति परियोजना इकाई लागत	राष्ट्रीय निगम द्वारा राज्य निगम से ली जा रही ब्याज का प्रतिशत	राज्य निगम द्वारा हितग्राही से ली जा रही ब्याज का प्रतिशत
1.	रु. 50,000/- तक	2 प्रतिशत	4 प्रतिशत
2.	रु. 5,00,000/- तक	3 प्रतिशत	6 प्रतिशत
3.	रु. 5,00,000/- से अधिक	4 प्रतिशत	8 प्रतिशत

(स) अनुसूचित जनजाति-शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना :— राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वावलंबी बनाने हेतु ‘शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन’ के नाम से योजना संचालित की जा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं किन्तु उनके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है अथवा स्वयं के साधन एवं पूँजी नहीं है, उन्हें आर्थिक

योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन एवं पूँजी उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय में स्थापित कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े और व्यावसायिक की ओर प्रोत्साहित हो। स्वरोजगार स्थापना करने हेतु दुकान आबंटन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हे साज-सज्जा, कार्यशील पूँजी आदि हेतु भी ऋण की सहायता आवश्यक होगी। इस हेतु कुल राशि रु. 1,00,000/- तक में योजना के अनुरूप 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था की जावेगी। ऋण के निर्धारित मासिक किश्तों का 5 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित चुकाना होगा। नियमित किश्त तीन वर्ष ब्याज सहित अदायगी करने की स्थिति में दुकान का मालिकाना हक हितग्राही को दे दिया जावेगा। हितग्राहियों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें रु. 2000/-राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी की मान से व्यय किया जाता है। प्रोत्साहन लाभ योजना में नियमित तीन वर्ष तक मासिक किश्त अदा करने वाले को रु. 75,000/- की राशि रियायती किश्तों एवं दूकान के मालिकाना हक के रूप में प्राप्त होगी। ब्याज दर कुल ऋण राशि पर मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हितग्राहियों से लिया जायेगा। योजना में राशि रु 1.00 लाख बढ़ाकर राशि रु. 1.50 लाख की सहमति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है।

(द) आदिवासी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के (स्कीम) अंतर्गत स्वीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण (जनजातीय वर्ग के लिए ) :— भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना में वर्ष 2003–04 से छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अधीन राज्य के 11 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण निरंतर संचालित की जा रही है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित विभिन्न ट्रेडों में यथा— इलेक्ट्रिकल एवं मोटर वाइंडिंग रिपेयरिंग, रेडियो, टी.वी., डी.वी.डी. रिपेयरिंग, कम्प्यूटर असैम्बलिंग एवं रिपेयरिंग, वेल्डर (स्टील फर्नीचर निर्माण आदि), वस्त्र कटाई सिलाई/कढ़ाई, टू व्हीलर पिरेयरिंग, मोटर मैकेनिक/वाहन चालक आदि में वर्ष 2010–11 तक लगभग 5500 से अधिक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य कम पढ़े—लिखे प्रशिक्षार्थियों में व्यवसायिक मानसिकता का विकास एवं तकनीकी कौशल का ज्ञान प्रदान करना है। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षित युवा संबंधित व्यवसाय में अपने—अपने निवास स्थल में या नजदीकी गांव के आस—पास स्वतः स्वरोजगार से जुड़ते जा रहे हैं कितिपय कुछ निजी व्यवसायिक क्षेत्रों में, इच्छुक प्रशिक्षार्थियों द्वारा अंत्यावसायी निगम व बैंक से ऋण प्राप्त कर तथा कुछ स्वयं के संसाधनों से अपना—अपना व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में लगभग 2000 से अधिक युवक—युवतियां व्यवसाय में जुड़ चुके हैं।

#### 4.12.4 क्षेत्रीय विकास योजनाएँ :—

4.12.4.1 स्थानीय विकास कार्यक्रम —योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विकास विभागों द्वारा जिला के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, लघु अंचल क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गों, पुल-पुलियों एवं रपटों का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वरक्ष्य सेवाएं तथा चिकित्सक आवास गृह के निर्माण कार्य कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।

#### 4.12.4.2 विभागीय संस्था भवनों का निर्माण :—

योजनान्तर्गत भवन विहीन विभागीय छात्रावासों/आश्रमों, उ.मा.शालाओं हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं संधारण कार्य विभागीय एवं अन्य निर्माण एजेन्सीयों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

#### 4.12.5 आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ :—

वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 135576.00 लाख के आवंटन के विरुद्ध 123029.99 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

(राशि लाखों में )

क्रमांक	योजना का नाम	उपलब्धियां	
		वित्तीय	भौतिक हितग्राही
<b>शैक्षणिक योजनाएँ –</b>			
1	राज्य छात्रवृत्ति	815.29	960630 विद्यार्थी
2	कन्या शिक्षा प्रोत्साहन	324.79	53799 छात्राएं
3	शिष्यवृत्ति छात्रावास	3230.49	52499 विद्यार्थी
4	शिष्यवृत्ति आश्रम	5656.73	75496 विद्यार्थी
5	छात्रगृह योजना	6.26	280 विद्यार्थी
6	आगमन भत्ता	64.00	9433 विद्यार्थी
7	मा.शि.मण्डल परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	14.65	3662 विद्यार्थी
8	निःशुल्क गणवेश प्रदाय	665.00	43,1439 विद्यार्थी
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1010.18	88545 विद्यार्थी

10	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	16122.64	1629830 विद्यार्थी
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1697.70	5023 छात्र / छात्राएं
12	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	811.68	28447 विद्यार्थी
13	छात्रावास / आश्रम शैक्षणिक संस्था का निर्माण	13664.15	अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने 108
14	मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा	1381.48	1954 विद्यार्थी
15	छात्र भोजन सहाय योजना	139.19	10405 विद्यार्थी
16	विशेष कोचिंग योजना	161.15	21062 विद्यार्थी
17	कम्प्यूटर शिक्षा योजना	209.73	20437 विद्यार्थी
18	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	61.86	700 विद्यार्थी
19	वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	17.54	231
20	आदिवासी संस्कृति का परीरक्षण एवं विकास	362.26	1420 कार्य
21	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	2.55	364 विद्यार्थी
22	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	169.00	59031 विद्यार्थी
23	बस्तर विकास प्राधिकरण	3500.00	637 कार्य
24	सरगुजा विकास प्राधिकरण	3499.14	729 कार्य
25	पायलट प्रशिक्षण योजना	32.48	03 संस्था
26	नर्सिंग प्रशिक्षण	300.32	245
27	स्वस्थ्य तन स्वस्थ मन	58.42	60859 विद्यार्थी

### आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएँ :—

4.12.7.1 अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित हैं।

4.12.7.2 परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आवंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके।

4.12.7.3 परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन व्यय तथा उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :—  
(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विवरण	प्राप्त आवंटन	व्यय	स्वीकृत कार्य
1.	ए.आ.वि. योजना	6910.55	6910.55	3016
2.	माडा पाकेट	611.16	611.16	294
3.	लघु अंचल	32.00	32.00	18
4	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण	635.29	635.29	198
5	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	7286.00	7286.00	783

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4 – अ, ब, स, द, इ में संलग्न है।

4.12.7.4 परियोजनाओं को प्रदत्त आवंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

#### 4.12.7.5 परियोजना सलाहकार मण्डल :—

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ-23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए तथा सदस्य सचिव, परियोजना अधिकारियों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :—

1. अध्यक्ष — राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा जनपद अध्यक्ष।
2. सदस्य —
  - क. जिला पंचायत अध्यक्ष।
  - ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।
  - ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

- घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।
- ज. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
- च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।
- छ. कलेक्टर।
- ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।
- झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
- ज. अध्यक्ष भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ—23725 / 95 / 3 / 25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलों के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद से राशि उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :—

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कुलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज—सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के

अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्ठ कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

#### 4.12.7.6 परियोजना क्रियान्वयन समिति :-

जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य हैं:-

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यों में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

#### 4.12.7.7 आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन :— वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिये प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, विकास कार्यों से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

(अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :— राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाडा को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005–06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका विस्तार किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया। जिसके विरुद्ध 3500.00 लाख की राशि व्यय की गई एवं 637 कार्य कराये गये।

(ब) सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :— राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले कमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005–06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया जिसके विरुद्ध 3499.14 लाख की राशि व्यय की गई एवं 729 कार्य कराये गये।

#### 4.13 उच्च शिक्षा विभाग :—

4.13.1 उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनाओं के संचालन के लिए राशि रु. 2615.70 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 2482.88 लाख रु. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :		
1	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	12.00	11.98
2	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	1649.70	2085.22
3	आयोग से प्राप्त सहायता से महाविद्यालय का विकास	2.00	1.99
4	स्वशासी महाविद्यालय विकास	2.00	2.00
5	आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय	60.00	55.02
6	सरगुजा में वि. वि.हेतु	420.00	200.00
7	बस्तर विकास वि.वि. हेतु	420.00	105.00
8	महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण	50.00	21.67
	योग —	2615.70	2482.88

#### 4.14 जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधायें देने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थीं अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन

विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

**4.14.1 तकनीकी शिक्षा विभाग** :—तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:—  
(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	12.00	0.00
2	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	200.00	0.00
3	बुक बैंक योजना	10.00	7.84
4	वेतन भत्ते	129.00	73.33
5	पॉली संस्थाएं	1015.00	118.16
6	भवन निर्माण	400.00	0.00
7	मशीन / उपकरण	605.00	116.41
8	वृहद निर्माण कार्य	307.00	0.00
	योग	2678.00	315.74

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	इंजीनियरिंग महाविद्यालय विशेष कोचिंग	संस्था.	3	0
2	पॉली संस्थाएं	संस्था	5	5
3	बुक बैंक योजना	संस्था	4	3
3	मशीन / उपकरण	संस्था	9	3

**4.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग :—** विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:—  
(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	2857.50	938.44
2.	बेरोजगारी भत्ता	125.00	83.84
3.	जनजागरण अभियान	69.00	0.00
4	नवीन जिला कार्यालय व्यय	36.50	18.80
	योग	3088.00	1041.08

प्रशिक्षण प्रभाग—विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वितों की संख्या
1.मिनी आई.टी.आई. की स्थापना	हितग्राही	2236	2236	2236

रोजगार प्रभाग—विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	क्र. योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	बेरोजगारी भत्ता	हितग्राही	3300	2084
2	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	हितग्राही	1500	0
3	नवीन जिला नारायणपुर/बीजापुर में कार्यालय व्यय	जिला	2	2

#### **4.15 समाज कल्याण विभाग:—**

**4.15.1** समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	30.00	25.10
2.	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां एवं छात्रवृत्ति	20.00	18.72
3.	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	40.00	39.91
4.	बालिका किशोर गृह की स्थापना	18.06	0.00
5.	अंधे तथा बहरे के लिए शालायें तथा संस्थाएं	128.25	35.57
6.	जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र	57.00	0.00
	योग	293.31	119.30

4.15.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि	अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों की संख्या
1	अंधमूक बधिर शालाओं को अनुदान	हित.	800	683	547
2	अंधमूक बधिरों को वृत्तियां / छात्रवृत्तियां	हितग्राही	4200	3919	3919
3	विकलांग तथा अपंगों को विशेष सहायता	हितग्राही	900	704	704
4	बालिका किशोर गृह का निर्माण	संस्था	3	0	0
5.	अंधे बहरे तथा गूंगों के लिये शालाएं तथा संस्थाएं	हितग्राही	250	117	36

#### 4.15.1 पंचायत

पंचायत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिये आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2010–11 में प्राप्त आबंटन व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है।

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1.	मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना	2850.00	2850.00	संख्या	966	966
2.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना	570.00	570.00	संख्या	261	261

3.	ग्राम विकास योजना	570.00	570.00	संख्या	114	114
4	छत्तीसगढ़ गौरव हमारा छत्तीसगढ़	570.00	555.00	संख्या	360	369
5	पिछ़ड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	29800.00	29800.00	संख्या	5399	1891
6	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	76.00	76.00	संख्या	482	482
	योग	34436.00	34421.00			

#### 4.16 महिला एवं बाल विकास

4.16.1 आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

4.16.2 उपर्युक्त योजनाओं के लिए वर्ष. 2010–11 में विभाग को राशि रु.15214.73 लाख रुपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रु. 10866.70 लाख व्यय किये गये। योजनावार जानकारी निम्नानुसार है:—

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	निराश्रित बाल संस्थाओं को सहायक अनुदान	25.00	15.18
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन एवं भ्रमण	4.00	4.00
3.	आयुष्मति योजना	45.00	28.54
4.	महिला जागृति शिविर	30.25	27.72
5.	मुख्यमंत्री कन्या दान योजना	95.00	89.61
7.	शक्ति स्वरूपा योजना	25.00	2.44
8.	अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	110.00	0.00
9.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	357.10	173.04
10.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	760.00	0.00
11	सबला योजना	240.00	0.00
12	आंगनबाड़ी सुधार व निर्माण	760.00	759.00
13	जिला प्रशिक्षण सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	4.18	0.00
14	जागृति शिविर	13.00	12.53

15	आदिवासी क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	11308.80	8662.94
16	समाज कल्याण के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं को अनुदान	1.00	0.00
17	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	1436.40	1091.70
योग:-		15214.73	10866.70

4.16.3 विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण

निम्नानुसार है

क्र	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	आयुष्मति योजना	हितग्रही	0	6995
2	दिशा दर्शन	हितग्रही	0	150
3	आदिवासी क्षेत्र में विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	छात्र सं.	0	948474
4	जागृति शिविर	हितग्रही	0	125993
5.	कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मानदेय	हितग्रही	16663	13902
7	निर्धन युवक युवतियों का विवाह	हितग्रही	0	17922
8.	निराश्रित बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान	हितग्रही	200	180

## 4.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.17.1 आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

4.17.2 आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए हैं, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

4.17.3 विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं:-

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
3.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र	5,000	3,000

विभाग को वर्ष 2010–11 में राशि रु. 11064.06 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रु.10443.19 लाख रूपयों का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :—		
1	जिला चिकित्सालयों का उन्नयन	1290.60	1232.88
2	एकीकृत बाल विकास सेवा (के.क्षे.यो.)	19.90	12.19
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3061.30	2780.04
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1593.46	1584.58
5	उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (के.प्र.यो.)	1446.83	1364.05
6	जीवन ज्योति चलित औषधालयों की स्थापना	95.20	50.69
7	गलगण्ड रोग नियंत्रण	1.40	0.83
8	मुख्यमंत्री दवा पेटी	298.09	298.09
9	रक्त कोष का शुद्धिकरण	0.50	0.00
10	शीत ज्वर (के.प्र.यो.)	549.50	456.75
11	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (के.प्र.यो.)	1668.00	1668.00
12	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	107.00	62.81
13	यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	932.28	932.28
	योग :—	11064.06	10443.19

#### 4.18 लोक निर्माण विभाग

4.18.1 छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा “नेट वर्क” विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाएँ चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेगी। विभाग द्वारा

संचालित योजनाओं की वित्तीय उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	आदिवासी उपयोजना :-		
1	वृहद पुल निर्माण	9325.00	7844.02
2	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	51.00	34.79
3	राज्यों के राज्यमार्ग	873.00	457.96
4	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण सड़क एवं पुल	950.00	440.74
5	मुख्य जिला मार्ग	5000.00	1390.53
6	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	10590.00	6194.56
7	सर्वेक्षण कार्य	51.50	25.74
8	पुलों का निर्माण अनुच्छेद 275 (1) सड़क एवं पुल	35.00	0.00
9	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम (आदिवासी राज्य आयोजना)	33.00	33.00
10	माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	111.00	37.21
11	उच्च शिक्षा महाविद्यालय भवन निर्माण	430.00	405.43
12	आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय भवन निर्माण	5.00	17.48
13	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	500.00	215.37
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	930.00	675.65
15	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	2.00	9.64
16	न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.)	150.00	0.00
17	छात्रावास आश्रम भवनों का निर्माण	610.00	754.97
18	शिक्षक आवास गृह एवं चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	61.00	45.93
19	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	1500.00	1699.56

20	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र	24.00	15.71
21	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पूलों का निर्माण	150.00	35.76
22	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	874.00	101.22
23	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	1.00	0.00
24	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	12000.00	11657.20
25	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	100.00	0.02
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	1450.00	843.46
27	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	2000.00	1915.67
28	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1)	1.00	0.00
29	जिला / विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	100.00	61.01
30	भाडागृह निर्माण	211.00	174.88
31	पुलिस निर्माण कार्य अतिरिक्त सहायता	100.00	47.45
32	विशेष अधोसंरचना विकास कार्य	1229.50	563.05
33	हवाई पटिटयों का निर्माण एवं विस्तार	900.00	0.80
34	भू-अर्जन मुआवजा धारित	10.00	0.00
35	खनिज प्रशासन	100.00	0.00
36	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम के लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	89.00	0.00
37	पुलिस प्रशासन	1003.00	0.00
38	शासकीय आवासों का उन्नयन	50.00	00
	योग	51501.00	35674.84

4.18.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि			अनु.ज.जा.के लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)
				पूर्ण	प्रगति पर	निविदा / प्रशासकीय स्वीकृति / बंद	
1	वृहद पुल निर्माण	संख्या	139	33	105	1	27.05
2	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	2	1	1	0	0.12
3	राज्यों के राज्यमार्ग	संख्या	1	0	1	0	0
4	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण सड़क एवं पुल	संख्या	3	2	1	0	1.52
5	मुख्य जिला मार्ग	संख्या	16	0	4	12	4.79
6	न्यूनतम आवश्यकता कार्य	संख्या	92	32	51	9	21.36
7	सर्वेक्षण कार्य	संख्या	0	0	0	0	0
8	पुलों का निर्माण अनुच्छेद 275 (1) सड़क एवं पुल	संख्या	0	0	0	0	0
9	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम(आदिवासी राज्य आयोजना)	संख्या	3	1	1	1	0.11
10	माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण	नग	6	0	4	2	1.13
11	उच्च शिक्षा महाविद्यालय भवन निर्माण	नग	21	4	11	6	1.40
12	आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय भवन निर्माण	संख्या	14	0	5	8	0.06
13	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	154	37	14	103	0.74
14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	34	9	22	3	2.33
15	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	नग	5	1	2	2	0.03
16	न्याय प्रशासन (के.प्र.यो.)	0	0	0	0	0	0

17	छात्रावास आश्रम भवन	नग	39	10	26	3	2.06
18	शिक्षक आवास गृह एवं चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	नग	18	4	6	8	0.16
19	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	नग	102	12	75	15	5.86
20	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र	नग	2	0	2	0	0.05
21	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृहत पूल	संख्या	4	0	3	1	0.12
22	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	संख्या	20	1	1	18	0.24
23	नाबाड़ ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	संख्या	0	0	0	0	0
24	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट	संख्या	10	6	4	0	19.75
25	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	नग	3	0	0	3	0
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	नग	103	23	35	45	2.87
27	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	नग	1	0	1	0	6.61
28	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 275(1)	नग	0	0	0	0	0
29	जिला / विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	नग	23	10	9	4	0.21
30	भाडागृह निर्माण	नग	8	1	2	5	0.60
31	पुलिस निर्माण कार्य अतिरिक्त सहायता	नग	5	0	2	3	0.20
32	विशेष अधोसंरचना विकास कार्य	संख्या	4	0	4	0	1.94
33	हवाई पटिटयों का निर्माण एवं विस्तार	संख्या	2	0	0	2	0

34	खनिज प्रशासन	नग	1	0	0	1	0
35	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम के लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	नग	1	0	0	1	0
36	पुलिस प्रशासन	नग	1	0	0	1	0

#### 4.19 राज्य योजना मण्डल

4.19.1 राज्य योजना मण्डल द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना संचालित की जाती है। इस योजना हेतु प्रतिवर्ष रूपये 50.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान से राशि जिला कलेक्टर को प्रदाय की जाती है जिससे क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर स्थानीय आवश्यकता के सार्वजनिक उपयोग हेतु पूँजीगत प्रकृति के निर्माण कार्य जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कर जिला स्तरीय विकास विभागों/एजेन्सीयों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। इस योजना अंतर्गत जिले को सामान्य एवं आरक्षित विधान सभा क्षेत्रों के लिए बराबर आवंटन दिया जाता है।

4.19.2 नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित कुल 34 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए रूपये 1792.00 लाख का आवंटन दिया गया था। जिसके विरुद्ध रूपये 1651.28 लाख रूपये व्यय किये गये।

योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
1	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1450.00	1405.49
2	जनसहभागिता योजना	342.00	245.79
	योग	1792.00	1651.28

#### 4.20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

4.20.1 वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस विभाग रु. 8371.50 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि रु. 6575.80 लाख रूपये व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	2	3	4
1	ग्रामीण सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	30.00	29.00
2	समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेयजल	300.00	260.93
3	पाइपों द्वारा ज.प्र.यो.	700.00	703.55
4	शालाओं में शौचालय	50.00	20.00
5	रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट	30.00	20.18
6	भू—जल संवर्धन	40.00	0.00
7	औजार एवं संयंत्र	110.00	108.29
8	पाइपों द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना	500.00	212.76
9	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	962.00	585.00
10	शालाओं में पेयजल व्यवस्था	400.00	334.39
11	शुद्ध पेयजल योजना	30.00	0.00
12	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	4888.50	4196.50
13	स्पॉट सोर्स द्वारा जल प्रदाय योजना	100.00	81.41
14	ग्रामीण. ज.प्र.यो.का संधारण	40.00	23.79
15	बटालियन में ओव्हर हेड टैंक निर्माण	1.00	0.00
	योग	8181.50	6465.80

योजनावार भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु. जनजाति संख्या
1	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	सेनेटरी काम्प्लेक्स बी.पी.एल. आंगनवाड़ी स्वच्छता परिसर शालाओं में शौचालय ए.पी.एल.	13 47969 84 197 2704	13 47969 84197 197 2704
2	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं जल संसाधन	नलजल योजना हैण्डपंप	46 पूर्ण 52 आंशिक पूर्ण 108 प्रगति पर 2282 बसाहटें	96600 342300
3	स्पॉट सोर्स योजना	नग	29 पूर्ण 75 प्रगति पर	24650

#### 4.21 चिकित्सा शिक्षा विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष में राशि रु. 3091.40लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 1964.91 लाख व्यय किया गया।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	चिकित्सा महा संबद्ध चिकित्सालय	1017.41	924.09
2	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना	1498.09	835.43
3	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	467.90	156.00
4	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	108.00	49.39
	योग :-	3091.40	1964.91

## 4.22 संस्कृति विभाग

विभाग को पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय की स्थापना तथा कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राशि रु. 250.00 लाख रुपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध राशि 248.20 लाख की राशि व्यय की गयी।

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	मुक्तांगन संग्रहालय अन्य प्रभार	250.00	248.20
	योग –	250.00	248.20

## 4.23 नगरीय प्रशासन एवं विकास

विभाग को वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रु. 1974.00 . लाख रुपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 1825.00 लाख व्यय किया गया।

(रुपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	75.00	75.00
2	मूलभूत सेवाओं के लिये एकमुष्ट अनुदान	1500.00	1500.00
3.	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना	95.00	0.00
4.	लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास	54.00	0.00
5	झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	250.00	250.00
	योग :—	1974.00	1825.00

#### 4.24 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2010–11 में राशि रु. 2608.00 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरुद्ध रु 1975.40 लाख व्यय किया गया। योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	ब्याज अनुदान	1140.00	928.16
2	लागत पूँजी अनुदान	237.50	230.24
3.	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	657.00	657.00
4.	अंश पूँजी सहायता योजना	12.50	0.00
5	अपारेल ट्रेनिंग डिजाईन सेंटर (ATDC) की स्थापना	160.00	160.00
6	केंडिट गारंटी फंड	400.00	0.00
7	दल्ली राजहरा रावधाट जगदलपुर रेल लाईन परियोजना	1.00	0.00
	योग	2608.00	1975.40

#### 4.25 विधि एवं विधायी कार्य विभाग

विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रु. 73.40 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 35.95 लाख व्यय की जाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया।

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	अ.ज.जा.के लाभान्वितों की संख्या
1.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	73.40	35.95	110244
	योग	73.40	35.95	

#### 4.26 भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग

भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रु. 2293.13 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 2253.90 लाख राशि व्यय की गई।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	गामीण क्षेत्रों के गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	2293.13	2253.90
	योग	2293.13	2253.90

#### 4.27 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना मद में रु.1651.60 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 430.61 लाख राशि व्यय की गई।

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	आयुर्वेद, होम्योपैथी / यूनानी औषधालय/चिकित्सालय	1651.60	430.61
	योग	1651.60	430.61

## अध्याय — 5

### विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

5.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 66.16 लाख है। इसमें से 1.14 लाख (1.72 प्रतिशत) जनसंख्या भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की है। ये जनजातियां अबूझमाड़ियां, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार हैं। प्रदेश में इन जनजातियों का वर्ष 2002 में किये गये सर्वेक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वि.पि.ज.जा. का नाम	जिला तह.	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1.	अबूझमाड़िया	बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिला		3895	19,401
		नारायणपुर (तहसील)	152		
		दंतेवाड़ा (तहसील)	8		
		बीजापुर (तहसील)	41		
		योग—	201		
2.	बैगा	जिला कवर्धा	229	6319	29612
		जिला बिलासपुर	62	2828	13226
		योग —	291	9147	42,838
3.	पहाड़ी कोरबा	जिला जशपुर	88	2450	10725
		जिला अम्बिकापुर	260	4571	20,630
		जिला कोरबा	26	541	2025
		योग—	374	7562	33380
4.	बिरहोर	जिला जशपुर	11	110	401
		जिला रायगढ़	21	194	704
		योग	32	304	1105
5.	कमार	जिला रायपुर	182	2954	13,797
		जिला धमतरी	81	908	3962
		योग —	263	3862	17,759
		महायोग —	1161	24,770	1,14,483

5.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

5.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एकट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है। दस लाख से अधिक के कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है।

क्र.	अभिकरण	स्थापना वर्ष	जनसंख्या सर्वेक्षण मई 2002 के अनुसार	ग्राम संख्या	टीप
1.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर	1978–79	19,401	201	अबूझमाड़िया
2.	बैगा एवं पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण बिलासपुर/कोरबा	1996	13,226	62	बैगा
3.	बैगा विकास अभिकरण कवर्धा	1996	29,612	229	बैगा
4.	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अम्बिकापुर	1996	2025 20630	26 260	पहाड़ी कोरवा
5.	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर रायगढ़	1978	10,725 401 704	88 11 21	पहाड़ी कोरवा बिरहोर बिरहोर
6.	कमार विकास अभिकरण गरियाबन्द	1981–82	17,759	263	कमार

5.4 नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष. 2010–11 में भी योजनाएं संचालित की गयी। प्रत्येक अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन व्यय एवं स्वीकृति कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है :—

(राशि लाखों में)

क्र.	अभिकरण	प्रदत्त आवंटन	व्यय (लाखों में)	स्वीकृत कार्य संख्या
1.	अबूझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर	107.67	107.67	16
2.	बैगा एवं पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण बिलासपुर	73.38	73.38	25
3	पहाड़ी कोरबा प्रकोष्ठ कोरबा	11.25	11.25	07
4	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा	164.35	164.35	34
5	पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अम्बिकापुर	114.48	114.48	28
6	पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर	65.63	65.63	29
7	कमार विकास अभिकरण गरियाबन्द	76.55	76.55	43
8	कमार प्रकोष्ठ नगरी	21.98	21.98	16
	योग –	635.29	635.29	198

अभिकरणवार / सेक्टरवार कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 4-द में संलग्न है।

5.5 इन अभिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :—

1. उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बाड़ी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, वन ग्रामों का विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं आवास कुटीर निर्माण करना।
2. विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भूमि क्रय कर उपलब्ध कराना।
3. तालाब निर्माण संस्थाओं की मरम्मत, शैक्षणिक संस्थाओं, गोदामों का निर्माण, विस्तार हैण्डपम्प, विद्युतीकरण, पुल-पुलिया, रपटा, मार्ग निर्माण आदि कार्य।

5.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002-03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक-पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

**5.6.1 पंडो विकास अभिकरण :—** सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2010–11 में इसके लिए रु. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य लिए गए।

**5.6.1 भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :—** राज्य के रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द जिले के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डों में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2010–11 में इसके लिए रु 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

## **5.7 शैक्षिक विकास हेतु पहल**

1. राज्य की पहाड़ी कोरबा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरबा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है।
2. पहाड़ी कोरबा तथा बिरहोर जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अंबिकापुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में एक कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना की गई है।

## **5.8 जनश्री बीमा योजना**

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों यथा – पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, बैगा एवं अबूझमाडिया परिवारों को सुरक्षा प्रदान कर लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004–05 से केन्द्र शासन की मंशा अनुसार जनश्री बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना 5 वर्षों के लिए संचालित है। जिसमें प्रति हितग्राही 100/- वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है।

वर्ष 2010–11 तक रु. 123.68 लाख से 24602 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का बीमा कराया गया विवरण निम्नानुसार है :—

जनश्री बीमा योजनांतर्गत वर्तमान तक 178 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को रु. 36.80 लाख दावा राशि का भुगतान कराया गया।

### 5.9 विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9-8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, छ.ग.राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब्स) जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एंव चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हो तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे।

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यार्थियों को शिक्षाकर्मी 02 (प्रधान पाठक) 260 शिक्षा कर्मी वर्ग-3, 12 तृतीय श्रेणी अन्य श्रेणी के 1372 अभ्यार्थियों को शासकीय सेवा में सीधे नियुक्ति दी गई।



## आदिम जाति मंत्रणा परिषद

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है, परिषद के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :–

क्रमांक / एफ-20-2/25-2/आजाकवि/2009 आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2006 द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	अध्यक्ष
2.	मान.प्रभारी मंत्रीजी,आ.जा.तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान.श्री. सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	मान.श्री राम विचार नेताम, विधायक,पाल (अनु.ज.जा.)	सदस्य
7.	मान.श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)	सदस्य
8.	मान.श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
9.	मान.श्री ननकी राम कंवर, विधायक,रामपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
10.	मान.श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
11.	मान.श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
12.	मान.श्री डमरूधर पुजारी,विधायक, बिन्द्रानवागढ़ (अनु.ज.जा.)	सदस्य
13.	मान.श्रीमती नीलिमा सिंह, टेकाम, विधायक,डौड़ी लोहारा (अनु.ज.जा.)	सदस्य
14.	मान.श्री ब्रह्मानंद विधायक, भानुप्रतापपुर, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
15.	मान.श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक,कांकेर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
16.	मान.श्री सेवकराम नेताम, विधायक,केशकाल, (अनु.ज.जा.)	सदस्य
17.	मान.सुश्री लता उसेण्डी, विधायक,कोणडागांव (अनु.ज.जा.)	सदस्य
18.	मान.डॉ.सुभाउ कश्यप,विधायक,बस्तर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
19.	मान.श्री भीमा मण्डावी, विधायक,दंतेवाड़ा, (अनु.ज.जा.)	सदस्य

20	मान.श्री महेश गागडा, विधायक, बीजापुर (अनु.ज.जा.)	सदस्य
21	सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग (अनु.ज.जा.)	सदस्य

2. विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपालन के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(डॉ. अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग

## छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 09 नवंबर, 2010 का कार्यवाही विवरण

—0—

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 9 नवंबर, 2010 को अपराह्ण 5.00 बजे मंत्रालयीन कक्ष क्रमांक 360 में छत्तीसगढ़ आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तदुपरांत बैठक में एजेण्डा अनुसार निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए।

एजेण्डा क्रमांक एक :

आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 28 जुलाई, 2009 में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :—

(1.1) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.2 :

फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरणों में जिन फर्जी प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने, माननीय उच्च न्यायालय से उक्त प्रकरणों में स्थगन प्राप्त होने तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने आदि विषयों पर चर्चा हुई।

विभाग द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि दिनांक 19.08.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय की 29 याचिकाओं में सामूहिक सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छान-बीन समिति के विरुद्ध प्रक्रियागत कारणों से 24 याचिकाएं स्वीकार की गई हैं। प्रक्रियागत त्रुटियों में से एक त्रुटि जाति प्रमाण पत्र परीक्षण संबंधी नियमों का अभाव भी था अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अधिनियम का प्रारूप तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था परंतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

चर्चा क्रम में माननीय सदस्य श्री रामविचार नेताम द्वारा अन्य राज्यों से नियम संबंधी जानकारी बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होने की बात कही गई। माननीय सदस्य श्री ननकीराम कंवर द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कलेक्टर या नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा कोई भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराने की जानकारी दी गई। सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में मंत्रालयीन कर्मचारी को सेवा मुक्त करने की जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक द्वारा फर्जी जाति प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय मे केवियेट दायर करने का सुझाव दिया गया। विभाग द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के एक प्रकरण में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा एक महिला छात्रावास अधीक्षिका को सेवा मुक्त करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उक्त अधीक्षिका को स्थगन देने से इंकार किये जाने की जानकारी दी गई।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया :—

(1.1.1) जाति प्रमाण पत्र परीक्षण के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत अधिनियम के प्रारूप पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर तदनुसार अधिनियम पारित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

(1.1.2) समस्त कलेक्टरों को पत्र के माध्यम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने संबंधी निर्देश दिए जावे।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

(1.1.3) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा छात्रावास अधीक्षिका को सेवा मुक्त करने तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उक्त अधीक्षिका को स्थगन देने से इंकार किये जाने संबंधी प्रकरण उदाहरण के रूप में समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित करते हुए तदनुसार अनुषांगिक प्रकरणों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए जावें।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

एवं आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग )

(1.2) पूर्व में बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.7 :

पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ की कतिपय जातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति सूची में शामिल कराने हेतु भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 2 नवंबर, 2010 को उनके द्वारा केन्द्रीय जनजातीय मंत्री माननीय श्री कांतिलाल भूरिया जी से भेंट कर अन्य विषयों के साथ—साथ अनुसूचित जनजाति सूची में राज्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जातियों को यथाशीघ्र जोड़ने का आग्रह किया गया है।

(1.2.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि माह दिसंबर में पुनः विभागीय मंत्री राज्य के 3–4 सांसदों तथा राज्य आयोगों के अध्यक्षों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ केन्द्रीय जनजातीय आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं केन्द्रीय जनजातीय मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से भेंट कर राज्य के प्रस्ताव अनुसार जातियों को जोड़ें जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र करने हेतु आग्रह करें।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग)

(1.3) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.1 :

पूर्व बैठक में ओरछा विकासखंड के 5 ग्रामों जमीनी सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए थे तथा इस हेतु सेवा निवृत्त पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार आदि को संविदा नियुक्ति प्रदान कर कार्य कराया जाना था। इस विषय पर प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 5 ग्रामों के एरियल सर्वे के आधार पर नक्शे बनाने का टेबलर्वर्क किया जा रहा है परंतु जमीनी सर्वेक्षण का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर के द्वारा किए गए प्रयास के बावजूद सेवा निवृत्त पटवारी, राजस्व निरीक्षकों आदि की संविदा नियुक्ति का कार्य नहीं हो सका है।

(1.3.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि स्थानीय युवकों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जावे तथा यदि उक्त युवक उस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है तो उन्हे उक्त क्षेत्र में काम करने की शर्त के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जावे।

( कार्यवाही राजस्व विभाग )

#### (1.4) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.3:

पूर्व बैठक में कांकेर जिले में नक्सली गतिविधियों के कारण विस्थापित आदिवासी परिवारों के व्यवस्थापन हेतु निजी भूमि के क्षय के अलावा छोटे झाड़ के जंगल का उपयोग आवासीय उपयोग हेतु करने संबंधी निर्णय के संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत फारेस्ट विलयरेंस नहीं मिल पा रहा है, वैयक्तिक प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं परंतु भूमि का उपयोग बदला नहीं जा सकता है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि वास्तव में राज्य में काफी राजस्व भूमि छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज हो गई है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है ऐसी भूमि को डिनोटीफाईड करने से भूमि के उपयोग का विषय नियमों के तहत आ जावेगा। प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के 13000 हजार वर्ग कि.मी. भूमि में से 8000 वर्ग कि.मी. भूमि डिनोटीफाईड किए जाने योग्य है। अपर मुख्य सचिव श्री एस.मिंज द्वारा अवगत कराया गया कि मंत्रणा परिषद के निर्देशानुसार वन विभाग एवं राजस्व विभाग के सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें अभिलेख दुरस्त करने एवं विवादों के निपटारे के संबंध में मार्गदर्शन है। अब डिनोटीफिकेशन की कार्यवाही वन मंडलाधिकारी तथा कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की जा सकती है।

(1.4.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसी भूमि जो वास्तव में राजस्व भूमि है, के डिनोटीफिकेशन की कार्यवाही कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदनों के आधार पर निरंतरता में संपादित की जावे।

(कार्यवाही राजस्व विभाग एवं वन विभाग)

#### (1.5) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.15:

पूर्व बैठक में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई योजनाएं तैयार कर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने तथा सिंचाई योजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का तत्परता से निपटारा किए जाने के निर्देश दिए गए थे। चर्चा कम में माननीय सदस्यगण श्री राम विचार नेताम द्वारा मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा संभाग स्तर पर किए जाने की बात कही गई तथा सरगुजा जिले की भंवरमाल सिंचाई योजना के फारेस्ट कंपनशेसन की राशि 7.00 करोड़ जमा नहीं होने की बात कही गई जिस पर जल संसाधन विभाग द्वारा इस वर्ष उक्त राशि का प्रावधान कराने का आश्वासन दिया गया। माननीय सदस्य श्री सेवक राम नेताम द्वारा उनके क्षेत्र की सिंचाई योजना में भुगतान नहीं होने की जानकारी परिषद को दी गई।

(1.5.1) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर आदि जिलों में 1 से 2 करोड़ की छोटी सिंचाई योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही जल संसाधन विभाग)

(1.5.2) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय सदस्य श्री सेवक राम नेताम के क्षेत्र में जिन परियोजना पर भुगतान शेष है, को शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही जल संसाधन विभाग)

#### (1.6) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.9:

पूर्व बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीद फरोख्त में सरगुजा जिले में कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति में काफी धोखाधड़ी होने की बात आई थी, जिसके परीक्षण के निर्देश दिए गए थे। इसी अनुक्रम में माननीय सदस्य श्री सोहन पोटाई द्वारा धमतरी एवं महासमुंद जिले में नियम विरुद्ध डायर्सन होने की जानकारी परिषद को दी गई। इसी अनुक्रम में माननीय सदस्य श्री रामविचार नेताम तथा माननीय

सदस्य श्री सोहन पोटाई द्वारा राजस्व निरीक्षकों की टीम बना कर जांच करवाने का आग्रह किया गया। माननीय सदस्य श्री सोहन पोटाई द्वारा नियम विरुद्ध हुए डायवर्सन की सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई।

( कार्यवाही राजस्व विभाग )

**(1.7) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 5:**

पूर्व बैठक में औद्योगिकरण के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को मुआवजा के अतिरिक्त संबंधित उद्योगों में शेयर होल्डर बनाने की बात कही गई थी। इस संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि इस आशय को पुनर्वास नीति में जोड़ने का प्रयास प्रक्रियाधीन है। चर्चा कम में माननीय श्री देवलाल दुग्गा द्वारा रायगढ़ जिले में पुनर्वास नीति का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की बात कही गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि उन्हे यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि रायगढ़, जांजगीर तथा कोरबा आदि जिलों में जहां औद्योगिकरण की गति तेज है कुछ बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि क्य किया जा रहा है तथा इस संबंध में उक्त जिलों के कलेक्टरों को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय सदस्य डॉ. सुभाउ कश्यप द्वारा बस्तर संभाग में आदिवासी महिला से शादी कर उसके नाम से जमीन खरीदने/बेचने के धंधे में कतिपय लोगों के लिप्त होने की जानकारी दी गई।

**(1.7.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदिवासी महिला से शादी कर उसके नाम से जमीन बेचने—खरीदने संबंधी विषय की जांच करने के निर्देश दिए गए।**

( कार्यवाही आयुक्त, बस्तर संभाग )

**(1.8) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.11 :**

पूर्व बैठक में विशेष पिछड़ी जनजाति के 8वीं, 10वीं तथा 12 वीं पास लोगों को आरक्षित पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 1372 तृतीय श्रेणी के 12 एवं शिक्षा कर्मी के पद पर 272 विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को सीधे नियुक्त करने की जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्या सुश्री लता उसेंडी द्वारा अवगत कराया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पदों पर हाल ही में नियुक्ति की गई थी परंतु बस्तर संभाग के कई स्थानों पर नियुक्ति के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं किया गया है। इस संबंध में सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिन पदों पर नियम अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया है उनकी नियुक्ति समाप्त कर उक्त पद रिक्त मान लिए गए हैं।

**(1.8.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त हुए महिला पर्यवेक्षक के पदों पर एक वर्ष के संविदा पर नियुक्ति प्रदान की जावे। 1 वर्ष के उपरांत उन्हे स्थाई करने पर विचार किया जायेगा।**

( कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग )

**(1.9) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.1:**

पूर्व बैठक में राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग को जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलने का विषय उठाया गया था। इस विषय पर यथाशीघ्र ठोस कार्यवाही करने का आग्रह परिषद सदस्यों द्वारा किया गया।

**(1.9.1) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यथाशीघ्र आरक्षण एवं भर्ती विषय पर मुख्य सचिव से जिलेवार चर्चा किए जाने के बात कही गई। उक्त चर्चा में जिले के मंत्री एवं विधायकगण को भी आहूत किया जावेगा।**

( कार्यवाही सामान्य प्रशान विभाग )

(1.10) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.3 :

पूर्व बैठक में शासन की ओर से दिए जाने वाले लीज एवं ठेके में नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिए जाने का मांग परिषद सदस्यों द्वारा की गई थी। इस संबंध में खनिज सचिव द्वारा गौण खनिजों के लिए दिए जाने वाले लीज में अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों को प्राथमिकता के अधिकार का प्रावधान होने की जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा 230 अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों को लीज प्रदान की गई है।

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा 38 बस व मिनी बसों व 248 जीप टैक्सी का परमिट अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने की जानकारी परिषद को दी गई तथा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को 2 वर्ष तक टैक्स में छूट देने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सिटी बस चलाने हेतु दिए जाने वाले परमिट में आरक्षण का भी प्रावधान है। परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भी सिटी बस चलाने के लिए परमिट दिए जाने संबंधी नियममें आरक्षण व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

(1.10.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को अच्छे मार्ग का परमिट दिए जाने के निर्देश दिए गए।

( कार्यवाही परिवहन विभाग )

(1.11) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.8:

पूर्व बैठक में एस.पी.ओ. का मानदेय 1500/- से बढ़ाकर 3000/- दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। पुलिया महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मानदेय 4000/- करने हेतु भारत शासन के गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा एस.पी.ओ. को जैकेट, स्वेटर, कंबल तथा जूते आदि देने की बात कही गई जिस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा नवीन एस.पी.ओ. को कंपलीट किट देने की जानकारी दी गई।

(1.11.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी एस.पी.ओ. को प्रति वर्ष कंबल, स्वेटर, जूते आदि का किट प्रदान करने का निर्देश दिया गया तथा शहीद एस.पी.ओ. की विधवाओं को विधवा पेंशन के अलावा रुपए 500/- प्रतिमाह दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

( कार्यवाही गृह विभाग )

(1.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 5.3 :

पूर्व बैठक में नरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलंब होने तथा भुगतान व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह समस्या आ रही है। भारत सरकार द्वारा बीजापुर जिले में मजदूरी का नगद भुगतान करने की अनुमति दी गई है। विभाग द्वारा बस्तर संभाग के सभी जनपद पंचायतों में नगद भुगतान की अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को लिखे जाने की जानकारी दी गई। माननीय सदस्य श्री राम विचार नेताम द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से भी भुगतान किए जाने का सुझाव दिया गया।

(1.12.1) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने के संबंध में परीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए।

( कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग )

एजेण्डा क्रमांक दो :

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्य की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के प्रारूप पर चर्चा एवं अनुमोदन :

(2.1) छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर महामहिम राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरांत प्रतिवेदन पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

( कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग )

एजेण्डा क्रमांक तीन :-

विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण क्षेत्रों के विस्तार एवं बाहर निवासरत परिवारों को शामिल करने पर विचार :

(3.1) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य की पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा तथा अबूझमाड़िया के संरक्षण सह विकास हेतु राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण गठित है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है जो विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों के माध्यम से संबंधित जनजातियों के संरक्षण सह विकास पर व्यय की जाती है। वर्तमान में विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों का विवरण वर्ष 2002 के बेसलाईन सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसके अनुसार संरक्षण सह विकास योजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में 4 विशेष पिछड़ी जनजातियों कमार, बैगा, बिरहोर तथा पहाड़ी कोरवा का बेसलाईन सर्वेक्षण किया गया था। अबूझमाड़िया जाति का बेस लाईन सर्वेक्षण नक्सल समस्या के कारण नहीं किया जा सका है। नवीन बेसलाईन सर्वेक्षण के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजातियों की परिवार संख्या तथा निवास क्षेत्र का विस्तार होना प्रतिवेदित हुआ है। वर्ष 2002 के बेसलाईन सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में पांच विशेष पिछड़ी जनजातियां 11 जिलों में निवास करती थीं एवं उनकी परिवार संख्या 24,770 थीं नवीन बेस लाईन सर्वेक्षण के अनुसार परिवार संख्या 34,203 है तथा अभिकरण क्षेत्रों के बाहर 6759 परिवार पाये गए।

(3.1.1) विभाग द्वारा सर्वेक्षित नवीन क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के लिए संबंधित जिलों में अभिकरण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया तथा जिन जिलों में अभिकरण पूर्व से कार्यरत है वहां नवीन चिह्नित क्षेत्र को अभिकरण में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया गया। परिषद द्वारा चर्चा उपरांत विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

( कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग )

एजेण्डा क्रमांक चार :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :

(4.1) परिषद के द्वारा स्थानीय लोगों को शासकीय सेवा में समुचित अवसर उपलब्ध कराने हेतु यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भरती नियमों को शिथिल करने का प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल को भेजा जावे।

( कार्यवाही सामान्य प्रशासन )

अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिषद को संबोधित करते हुए कहा गया कि पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां के बजट में आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत की दर से आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान किए जाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के वर्ष 2001 के एवं वर्ष 2010 के बजट की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि इन 10 वर्षों में उक्त बजट में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार पत्र देने में प्रथम स्थान पर है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिषद को आश्वस्त किया गया कि यथाशीघ्र स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता देने तथा आरक्षण के विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग से चर्चा करेंगे तथा तय किया जावेगा कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर नियमों के शिथिलीकरण के संबंध में क्या प्रस्ताव किया जावे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषण की गई।

सही

(आर.पी. मंडल)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

\*\*\*\*\*

## अध्याय – 7

### अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

—0—

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./987 / 25– 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

- |    |  |   |              |
|----|--|---|--------------|
| 1. | मुख्य सचिव, छ.ग. शासन  | — | अध्यक्ष      |
| 2. | प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग   | — | सदस्य        |
| 3. | प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व विभाग   | — | सदस्य        |
| 4. | सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा<br>अनुसूचित जाति विकास विभाग  | — | सदस्य        |
| 5. | सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग  | — | सदस्य        |
| 6. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक  | — | सदस्य        |
| 7. | जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति<br>सदस्य, (माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत )— | — | सदस्य        |
| 8  | आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. — सदस्य / सचिव  | — | सदस्य / सचिव |

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य / सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 15,147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाकर 14,871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग से समन्वय करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पात्रता रखने वाले 218462 अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 1413 अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदकों को 212610.23 हेक्टेयर वनभूमि के अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के अंतर्गत छ.ग.राज्य में कुल 493903 दावा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 219875 वन अधिकार पत्रों का शत-प्रतिशत वितरण किया जाकर 212610.23 हेक्टेयर भूमि का वितरण किया गया। वन अधिकार नियम के प्रावधान अनुसार 275441 अपात्र आवेदकों के प्रकरण निरस्त किये गये। जिलावार स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.	जिला	कुल प्राप्त दावा आवेदन पत्रों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि का रकबा (हेक्टेयर)	निरस्त प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत
1.	सરगुजा	89526	27419	45366.71	62107	100
2.	कोरिया	26824	6643	6045.13	20181	100
3.	बिलासपुर	47284	13714	8047.93	33570	100
4.	कोरबा	46367	24674	12338.35	21693	100
5.	जांजगीर	2926	754	361.87	2172	100
6.	रायगढ़	20653	4356	2523.22	16297	100
7.	जशपुर	13319	3554	1785.63	9765	100
8	राजनांदगांव	17779	5826	6807.24	11953	100
9	कबीरधाम	8622	4440	5421.05	4182	100
10	दुर्ग	1368	784	511.84	584	100
11	रायपुर	26142	12855	12984.51	13287	100
12	महासमुंद	16399	5420	4028.12	10979	100
13	धमतरी	11166	9598	14087.83	1568	100
14	जगदलपुर	108711	64180	50840.11	44531	100
15	कांकेर	27646	17928	21693.26	9718	100
16	दंतेवाड़ा	22969	11496	14522.90	11473	100
17	बीजापुर	3425	2298	2618.81	1127	100
18	नारायणपुर	2777	2523	2625.74	254	100
	योग	493903	218462	212610.23	275441	100

## अध्याय—8

### अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम—1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध / प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम—1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन / पालन—

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
4 (क)	पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाये रुद्धिजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा।	<p>छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम के अध्याय 14 के में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशेष उपबंध के रूप में पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 एवं पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम—1999 में रुद्धिजन्य, विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप पंचायतों पर निम्नानुसार राज्य विधान बनाया गया है— कंडिका—129 क</p> <p>(क) “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।</p> <p>(ख) “ग्राम” से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटागांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रुद्धियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। कंडिका—129 ख</p> <p>1. राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी “ग्राम” को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।</p> <p>2. साधारणतया, ग्राम के लिये, जैसे कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी, परन्तु ग्राम सभा का गठन ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि</p>

विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रुद्धियों के अनुसार अपने कार्यकलाओं का प्रबंध करेगा।

3. “ग्राम सभा” के सम्मिलन के लिये “ग्राम सभा” के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होगी।

4 “ग्राम सभा” के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या कोई सदस्य न हों और उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो।

#### कंडिका 129—ग

ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों का उल्लेख करते हुए निम्न प्रावधान रखे गये हैं:-

(एक) व्यक्तियों को परंपराओं तथा रुद्धियों उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुद्धिगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना।

(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के, प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं, उसकी परंपरा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान में रखते हुए प्रबंध करना।

(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना।

(छह) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, तथा

(सात) ऐसी अन्य भावितियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना ऐसी राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें या न्यस्त करें।

#### धारा 129 घ

अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं—

(दो) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला

सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, प्रबंध करना।

(सात) स्थानीय योजनाओं र, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करें, या न्यस्त करें।

#### कंडिका 129—ड

1. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी—अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा।

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।

2. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।

2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्यामें स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत केसमस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

#### कंडिका 129—च

अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां भी होगी—

(एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध करना।

(दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना।

(तीन) स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजातीय उप योजनाएं सम्मिलित है, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।

		(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृते का पालन करनाजिससे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करें, या न्यस्त करें।
4 (ख)	‘ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा छोटागांव या छोटेगांवों के समूह से मिलकर बनेगा। जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रुद्धियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।’	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-क (ख) में निम्न प्रावधान किया गया— ‘ग्राम’ से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्रों में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटागांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रुद्धियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।
4 (ग)	‘प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का समावेश ग्राम स्तर पर पंचायत के लिये निर्वाचक नामावलियों में किया गया है।’	छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम – 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका-129 (ख) 3 में प्रावधान अनुसार साधारणतया, ग्राम के लिये, एक ग्राम सभा होगी। परंतु ग्राम सभा के सदस्य यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परंपराओं और रुद्धियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करेगा। छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129-क (क) में निम्न प्रावधान अनुसार “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है, ऐसा निकास जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिये उसका गठन किया गया हो पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित है।
4 (घ) (19)	‘प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की परंपराओं और रुद्धियों उनकी सांस्कृतिक संपदाओं और विवाद निपटाने के रुद्धिक ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी।’	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-ग (एक) के अंतर्गत व्यक्तियों की परंपराओं तथा रुद्धियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रुद्धिगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है।

<p>क (ड) (i)</p>	<p>प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना, कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन के लिये ली जाती है, करेगी।</p> <p>गरीबी उन्नमूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिये उत्तरदायी होगी।</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129—ग (दो) प्रावधान है कि— समस्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत किये गये हैं, उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा की है। धारा 129—घ में प्रावधान है कि— अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं अर्थात् प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सक्षम होगी।</p> <p>छ.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (च) में गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करने की शक्तियां एवं कृत्य ग्राम सीा को दी गई हैं। पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (छ) में हिताधिकारियों को निधियों या आस्तियों के समुचित उपयोग तथा वितरण को सुनिश्चित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा को दी गई हैं।</p> <p>अधिनियम की धारा 49 क में ग्राम पंचायत के लिये अन्य कृत्य का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है—</p> <p>(तीन) ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों को चुनना</p> <p>(दस) ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को ग्राम पंचायत कार्यान्वयन करने का प्रावधान किया गया है।</p>
<p>4(च)</p>	<p>ग्राम स्तर की प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड (ड) में निर्दिष्ट योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उक्त पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करें,</p>	<p>छ.ग. पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 (ख) एवं (ड) में उल्लेखित सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने से पूर्व अनुमोदित करने तथा निधियों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करने तथा प्रमाणित करने की शक्तियां और कृत्य ग्राम सभा को दी गई हैं।</p>
<p>4(छ)</p>	<p>प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129—ड में निम्न प्रावधान रखे गये हैं—</p>

	<p>के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग—9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।</p>	<p>अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी—अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा।</p> <p>परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।</p> <p>परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।</p>
4 (ज)	<p>राज्य सरकार ऐसी अनुसूचितम जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।</p>	<p>छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय—14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129—ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है—</p> <p>3. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।</p> <p>4. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।</p>
4(झ)	<p>ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक</p>	<p>धारा 170—ख—आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन—</p> <p>(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड</p>

	<p>योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।</p>	<p>अधिकारी को ऐसे प्ररूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई।</p> <p>(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी।</p> <p>(2-क)–यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी।</p> <p>परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।</p> <p>(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।</p>
4 (ज)	अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का योजना और प्रबंध समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जायेगा।	<p>छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के अध्याय-14 “क” अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129-च(1) में निम्न प्रावधान रखे गये हैं :–</p> <p>किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना उन पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंध</p>

		करने की जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है।
4(ट)	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञाप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापक बनाया जाएगा।	छ.ग. खनिज गौण—नियमावली 1996 के अध्याय—३ उत्थनन अनुज्ञापत्र प्रदान करने संबंधी शक्तियों के नियम—18(2) में प्रावधान किया है कि उत्थनन अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वे उचित समझे तथा संबंधित ग्राम पंचायत की राय प्राप्त करने के पश्चात आवेदक को उत्थनन पट्टा प्रदान कर सकेगा या उसे नवीनीकृत कर सकेगा या मंजूरी से इंकार कर सकेगा।
(ठ)	नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिये रियायत देने के लिये ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को आज्ञापत्र बनाया जाएगा।	
4ड (i)	मध्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति	(अ) छ.ग. आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय 8 (क) अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विशेष उपबंध की कंडिका 61 (ख) 61 (ग) 61 (घ) 61 (ड) एवं 61 (च) में निम्नलिखित प्रावधान रखे गये हैं। (1) अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड—1 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। (2) इस अधिनियम के उपबंध में आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण उसके कब्जे तथा उपयोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। तथापि अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे— (अ) अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा। (ब) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा। (स) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति परिवार 15 लीटर तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति परिवार 45 लीटर होगी परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की

		<p>सीमा को कम कर सकेगी।</p> <p>(3) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति होगी परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है तथा उपबंध के पूर्व से स्थापित है।</p> <p>(4) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार द्वारा बगैर ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना मादक द्रव्य/विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी तथा विक्रय के लिये नया निकास नहीं खोला जायेगा।</p> <p>(5) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे—</p> <p>(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जायेगी।</p> <p>(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जायेगा और विद्यमान निकास, यदि कोई हो प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिये जायेंगे।</p> <p>(ग) कोई भी व्यक्ति, किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण कब्जा, परिवहन विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।</p> <p>(ब) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम सभा द्वारा किये गये विशिचयों तथा पारित किये गये आदेशों को ग्राम पंचायत द्वारा अपने—अपने क्षेत्र में प्रभावी किया जायेगा। जहां, राज्य सरकार के प्रवर्तन अभिकरण की सहायता आवश्यक समझी जाये, वहां ग्राम पंचायत, क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी ऐसे अधिकारी के पास जाने की कार्यवाही करेगी जो अपेक्षित सहायता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।</p>
4ड (ii)	गौण वन उपज का स्वामित्व	राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुरूप आदिवासियों को लघु वनोपज के संग्रहण पर पूरी छूट (बिना रॉयल्टी दिये) उपलब्ध है। आदिवासी समुदाय राज्य के वनों से वनोपज का संग्रहण निःशुल्क कर उसका विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है। राज्य में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण के लिए

897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं और इनका सामान्यतः कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर पर ही है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य राज्य शासन द्वारा सहाकरी अधिनियम के अंतर्गत रास्त स्तर पर गठित एक शीर्ष सहकारी संस्था, राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) संघा मर्यादित के द्वारा किया जाता है। इससे संग्राहकों को उनके वनोपज का वाजिब मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां आदिवासी समुदाय के संग्राहकों से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय संग्रहण एवं विपणन के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार पेसा कानून की मंशा अनुरूप राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत क्षेत्र से लघु वनोपज के संग्रहण, विक्रय आदि पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के अधिकार पूर्व से ही सुरक्षित किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता, सालबीज, हर्रा, कुल्लू धावड़ा, खैर के गोंद वनोपज हैं। इनकी संग्राहकों से क्रय दरों का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है।

प्रदेश में तेंदुपत्ता का व्यापार छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 से तथा अन्य वनोपजों का व्यापार छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) 1969 से नियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान भी लागू हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य की वर्ष 2001 की वन नीति के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ को लघु वनोपज के व्यापार तथा दीर्घकालीन संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत गठित जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विक्रय का कार्य किया जाता है।

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत सीधे लघु वनोपज के व्यापार से सम्बद्ध नहीं हैं। परंतु जब भी राष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण मूल्य या प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) का भुगतान किया जाता है तो पंच/सरपंच को भी उपस्थित रहने की सचूना दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 तथा उसके अधीन प्रस्तावित नियमों में भी लघु वनोपज पर ग्राम सभाओं के अधिकार का उल्लेख किया गया है।

4 ड (iii)	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संकरण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधिविरुद्धतया अन्य संकामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाइ करने की शक्ति	<p>(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा-170-ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2-क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है—</p> <p>(2-क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू-स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी।</p> <p>(ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।</p>
4 ड (iv)	ग्राम बाजारों को चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, प्रबंधन करने की शक्ति	<p>छत्तीसगढ़ पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 129 (घ) की कंडिका (दो) में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध के रूप में ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशु मेला सम्मिलित है चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए। प्रबंध करने संबंधी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम की धारा 49 की कंडिका (18) में सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना प्रबंध और विनियमन संबंधी कृत्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। धारा 49 “क” की कंडिका (दस) में यह भी प्रावधान कर दिया गया है, कि ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंसाओं और किये गये विनिश्चयों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगा।</p>
4 ड (v)	अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति	<p>छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक /एफ-4-52/राजस्व/2006, दिनांक 16.10.08 में संलग्न टी/अभिमत अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारों को धन उधार देने हेतु पंजीयन कराने तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।</p>
4 ड (vi)	सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति	<p>छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम की धारा 129 च (दो) अनुसूचित क्षेत्रों में समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अंतरित संस्थाओं तथा कृत्य कार्यों पर नियंत्रण रखने की शक्तियां जनपद तथा जिला पंचायतों को दी गई हैं।</p>

4(ङ) (vii)	<p>‘स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिये जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं हैं स्त्रोतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति’</p>	<p>छ.ग. पंचायतराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय-14-क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिट उपबंध की कंडिका-129-च (3) में निम्न प्रावधान किये गये हैं :—      “स्थानीय योजनाओं पर जिनमें जनजाती उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना”</p>
4(ङ)	<p>ऐसे राज्य विधानों में, जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, यह सुनिश्चित करने के लिये रज्जोपाय अन्तर्विष्ट होंगे कि उच्चतर स्तर पर पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत को या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार हाथ में न ले।</p>	<p>छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंचायतराज अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्यपाल लोक अधिसूचना (Notification) द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायतराज अधिनियम के प्रयोजन के लिये ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट (To specify) किया गया है।      धारा 8 के अधीन पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है—      (क) अधिसूचित प्रत्येक ग्राम के लिये एक ग्राम पंचायत होगी।      (ख) खण्ड के लिये जनपद पंचायत।      (ग) जिला के लिये जिला पंचायत का गठन किया जायेगा।      अर्थात प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू है। पंचायतराज प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई (Foundation Unit) ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम सभा की स्थापना से पंचायतराज प्रणाली में विनिर्दिष्ट ग्राम की प्रशासनिक एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की गई है और ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत से तथा जनपद पंचायत को जिला पंचायत से जोड़ा गया है। किंतु इनकी स्वतंत्र सत्ता है, अलग-अलग कानूनी निकाय है, अलग-अलग कृत्य है।      धारा 11 के अनुसार पंचायतों को निगमित किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत एक निगमित निकाय (Body Corporate) होंगी, उनका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होगा और उनकी एक सामान्य मुद्रा (Seal) होगी तथा निगमित निकाय के नाम से या उसके विरुद्ध मामले/वाद चलाये जा सकेंगे। साथ ही उन्हें जंगम या स्थावर (चल या अचल) संपत्ति अर्जित करने, धारण करने या अंतरित करने, संविदा करने और अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।      प्रदेश में तीनों स्तर के पंचायतराज संस्थाओं को स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ</p>

		<p>बनाने के लिए पंचायतराज अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा धारा 49 ‘क’ में ग्राम पंचायत, धारा 50 में जनपद पंचायत, धारा 52 में जिला पंचायत के कृत्य निर्धारित करते हुये प्रावधान</p> <p>किये गये हैं। धारा 53 में पंचायतों के कृत्य के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति का भी प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है।</p>
4(ण)	राज्य विधान मण्डल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करने की छठी अनुसूची के पेटर्न का अनुरक्षण करने का प्रयास करेगा।	<p>प्रदेश में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 46 में ग्राम पंचायत की पांच स्थायी समितियां तथा धारा 47 में जनपद और जिला पंचायत की न्यूनतम पांच अधिकतम दस स्थायी समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।</p> <p>जनपद पंचायतों के तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन, मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करने, जिला के आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और पंचायतों को ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, पंचायतों को अंतरित किये गये कृत्यों, संकर्मों, स्कीमों तथा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुर्नआबंटित करने हेतु जिला पंचायतों को पंचायतराज अधिनियम की धारा 52 (1) (एक) (दो) (तीन) (चार) एवं (सात) में प्रावधान किया गया है।</p> <p>प्रदेश में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को जिला पंचायत में संविलियन किया गया है।</p> <p>प्रदेश में पंचायतराज संस्थाओं (ग्रामीण एवं शहरी) के कार्य योजना अनुमोदन एवं समीक्षा हेतु जिला योजना समिति (District Planning Committee) का भी गठन किया गया है।</p>

\*\*\*\*\*

## अध्याय—9

### औद्योगिक नीति –2009

राज्य शासन एतद् द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2009–14 दिनांक 01 नवंबर 2009 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु छुट एवं रियायतें

#### 1— ब्याज अनुदान

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के पात्र उद्योगों को लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

#### क—सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु.10 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 20 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत —अधिकतम सीमा रु. 15 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 25 लाख वार्षिक।</p>
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 40 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 50 लाख वार्षिक।</p>

ख—मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।</p>
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।</p>

## 2—स्थायी पूंजी निवेश अनुदान —

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा —

### क—सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 30 लाख।</p> <p>अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 60 लाख</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के</p>



	90 लाख अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 100 लाख	110 लाख अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 120 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 100 लाख  अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 120 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख  अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 140 लाख

घ— मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट —

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक क्षेत्र से विकासशील क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 300 लाख रु.	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 350 लाख रु
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत—अधिकतम सीमा रु. 350 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 500 लाख,

### 3—विद्युत शुल्क छूट—

केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :—

क—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट  अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट  अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा

<p><b>क्षेत्रों में</b></p>	<p>स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट</p>	<p>स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट</p>
-----------------------------	---	---

ख— वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा/प्रोजेक्ट-		
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 03 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट

#### 4. स्टाम्प शुल्क से छूट —

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी—

- पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद और मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट।
- 1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर।
- 1.2 ऋण—अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत दिनांक से तीन वर्ष तक।
2. औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू—खंडों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रभावित भू—स्वामियों द्वारा भू—अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू—अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर,
3. राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क।
4. औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू—खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.द्वारा क्रय किये गये जाने वाली भूमि पर

टीप— यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली मार्झनिंग लीज पर प्राप्त नहीं होगी

5— औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन पर भू—प्रीमियम में छूट/रियायत

पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू-प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी—  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग —

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	निरंक  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर पर 1 रुपये एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक

वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट—

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट  अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक</p>
---------------------------------------	--	--

- टीप –(1) वृहद/मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू-प्रीमियम में प्राप्त नहीं होगी।
- (2) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक व्यवसायिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रु प्रति एकड़ होगी।—
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग, व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु औद्योगिक नीति 2009–14 के दिनांक के पश्चात राज्य शासनछत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक होगी। इसके उपरांत आरक्षण समाप्त कर नियमानुसार आबंटन की जायेगी।
- (4) शासन की अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत बजट प्रावधान कर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाये जायेंगे, जो उन्हे निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (5) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी।

## 6— परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा—

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेदन का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 1 लाख</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 2 लाख</p>
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 3 लाख</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 4 लाख</p>

### 7. भूमि उपयोग में परिवर्तन –

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिये भू— व्यपवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।

### 8. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू—आबंटन सेवा शुल्क –

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि के अर्जन पर एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आबंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क नियत दिनांक 01 नवंबर 2009 से निम्नानुसार लागू किया जायेगा –

- क— निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू—अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि
- ख— औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी/शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 20 प्रतिशत राशि

टीप:-यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू—आबंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. को देय 20 प्रतिशत भू—आबंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा। जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू—अर्जन शुल्क भू—प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

### 9. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान –

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को आई.एस.ओ.9000, आई.एस.ओ.,14000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि

अधिकतम रु.1 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रु.1. 25 लाख होगी।

10. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान—

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिक उद्योग) को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रु.6 लाख होगी।

11. मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान —

राज्य में फुट प्रोसेसिंग से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को (केवल पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट को) उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल कृषि उपज मंडी समितियों से किये जाने पर मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु.5 लाख वार्षिक होगी। यह छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी।

12. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान —

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के उद्योग स्थापना हेतु वित्त पोषण की एक पृथक योजना भी तैयार की जायेगी, जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जाये।

13. औद्योगिक पुरस्कार योजना —

- वर्तमान में राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य प्रोत्साहित करने “छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना” कियान्वित है जिसके अंतर्गत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर कमशः रुपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 की जायेगी।
- सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा किये गये निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये उल्लेखनीय कार्य की महत्ता प्रदान करने “लघु उद्योग निर्यात पुरस्कार” एवं “लघु उद्योग पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार” भी दिये जायेंगे जिसकी राशि कमशः 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 दी जायेगी। पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।
- राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने हेतु केवल वर्ग के उद्यमियों हेतु ही “छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार योजना” प्रारंभ की जावेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत कमशः रुपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
- ऐसे उद्योग जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, एवं उद्योग में बायरल/

हेवी मशीनरी स्थापित है, में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्धारित किये गये मापदंड अनुरूप औद्योगिक सुरक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित की है, उन्हे राज्य सरकार की ओर से “औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार” रु., 1,00,000 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

- 5 राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु एक “महिला उद्यमी पुरस्कार” योजना प्रारंभ की जायेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः रुपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

उपरोक्त समस्त पुरस्कार एक गरिमामय कार्यक्रम में दिये जायेंगे।

टीप-1— यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन संतुप्त श्रेणी के उद्योग को प्राप्त नहीं होगी।

- 2— कोर सेक्टर के उद्योगों को परियोजना हेतु भूमि क्य करने /लीज पर (मार्झनिंग लीज को छोड़कर) लिये जाने से केवल स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त होगी।

## परिशिष्ट 1— (अ)

### प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग—दो, अनुभाग—तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :—

#### छत्तीसगढ़

- (1) सरगुजा जिला
- (2) कोरिया जिला
- (3) बस्तर जिला
- (4) दन्तेवाड़ा जिला
- (5) कांकेर जिला
- (6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरिल्ला—1, गोरिल्ला—2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल
- (7) कोरबा जिला
- (8) जशपुर जिला
- (9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।
- (10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड
- (11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड
- (12) रायपुर जिला में गरियाबांद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड
- (13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

\*\*\*\*\*

## परिशिष्ट – 1 (ब)

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लधु अंचल
1.	बस्तर	1— जगदलपुर		
		2— कोण्डागांव		
		3— नारायणपुर		
2.	कांकेर	4— भानुप्रतापपुर		
3.	दन्तेवाड़ा	5— दन्तेवाड़ा		
		6— कोन्टा		
		7— बीजापुर		
4.	रायपुर	8— गरियाबंद	1— बलोदाबाजार	1— धुरीबांधा
5.	धमतरी	9— नगरी	2— गंगरेल	
6.	महासमुन्द		3— महासमुन्द—1	
			4— महासमुन्द—2	
7.	दुर्ग	10—डोण्डीलोहारा		
8.	राजनांदगांव	11— राजनांदगांव	5— नचनियां	
9.	कवर्धा		6— कवर्धा	2— वछेराभाटा
10.	सरगुजा	12— अंबिकापुर		
		13— सूरजपुर		
		14—पाल(रामानुजगंज)		
11.	कोरिया	15— बैकुण्ठपुर		
12.	कोरबा	16— कोरबा		
13.	बिलासपुर	17— गौरेला		
14.	जांजगीर—चांपा		7— रुकजा	
15.	रायगढ़	18— धरमजयगढ़	8— सारंगढ़	
16.	जशपुर	19— जशपुरनगर	9— गोपालपुर	

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## परिशिष्ट – 2 (अ)

छत्तीसगढ़ – उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(अ)	छत्तीसगढ़	
1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी.
2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	208.33 लाख
3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	66.16 लाख
4.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	31.76 प्रतिशत
(ब)	आदिवासी उपयोजना :–	
1.	आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000वर्ग किमी.
2.	आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
3.	कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	91.45 लाख
5.	उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	43.90 प्रतिशत
6.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	80.03 लाख
6.1	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	61.03 प्रतिशत
6.2	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	73.82 प्रतिशत
6.3	उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	89.88 प्रतिशत

\*\*\*\*\*

## परिशिष्ट – 2 (ब)

छत्तीसगढ़, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति

क्र.	विवरण	छत्तीसगढ़	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. से)	135133	88000	81861
	कुल प्रतिशत	100.00	65.12	60.58
2.	कुल जनसंख्या (लाखों में)	208.33	91.45	80.03
	कुल से प्रतिशत	100.00	43.90	38.41
3.	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लाखों में	66.16	54.34	48.84
	कुल से प्रतिशत	100.00	82.13	73.82
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल – जनसंख्या के अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत		59.42	—
5.	अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या में – अनु. जनजाति जनसंख्या		—	61.03
6.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनजाति – जनसंख्या का उपयोजना क्षेत्र की अनु. जनजाति संख्या में प्रतिशत		—	89.88

\*\*\* \* \*\*\*

## परिशिष्ट –3 (अ)

### अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं

#### 1 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश

राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त होता है। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिये वही अधिकारी सक्षम है जो सामान्य अवकाश मंजूर करने के लिये सक्षम है। इसकी गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी।

अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ शासकीय सेवकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ होने की दशा में ही प्राप्त होगा बशर्ते कि वह इस क्षेत्र में कम से कम 6 माह की सेवा पूरी कर चुका हो।

इसका लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जो अपने निवास स्थान से कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर नियुक्त हो।

ऐसे कर्मचारियों को जो उसी जिले के रहने वाले न हों, जहां कि वे पदस्थ हैं, एक साथ 10 दिन तक का आकस्मिक अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

अनुसूचित क्षेत्र से आशय भारत सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किये गये अनुसूचित क्षेत्र से है।

(सामान्य प्रशासन क.314 / 1103 / 1(3) / 81, दिनांक 25.7.1981  
तथा क. सी-3 / 41 / 83 / 3 / 1, दिनांक 11.1.1984

#### 2 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11-3-83 / नि-2 / चार, दिनांक 11 जनवरी, 1984 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश देय है।

#### 3. बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के दो बच्चों तक को निकटतम आदिवासी आश्रम तथा छात्रावास में रहने की सुविधा होगी तथा शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

उपरोक्त के अलावा आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक डी-113-242-25-3-83, दिनांक 4 फरवरी, 1983 के अंतर्गत जिन जिला मुख्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के तथा महाविद्यालय स्तर के दो-दो छात्रावास खोलने की जो मंजूरी दी गई थी, उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को इन छात्रावासों में प्रवेश मिल सकेगा (अधिकतम दो बच्चों तक) तथा आदिवासी छात्रों के समान और उन्हीं नियमों के अंतर्गत शिष्यवृत्ति मिल सकेगा।

(वित्त विभाग क.सी-3 / 41 / 83 / 3 / 1, दिनांक 11.1.1984)

4 गृह भाड़ा भत्ता

सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को देय होगा—

- |  |            |
|--|------------|
| (1) वर्ग 1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये मूल वेतन का | 10 प्रतिशत |
| (2) वर्ग 2 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का      | 7 प्रतिशत  |
| (3) वर्ग 3 के विकासखण्डों के लिये मूल वेतन का      | 5 प्रतिशत  |

(वित्त विभाग क्र. 11-3-83/नि-2/चार, दिनांक 25.1.1986)

गृह भाड़ा भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित शासकीय कर्मचारी को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो।

शासन द्वारा 1-4-2005 से पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में शासकीय सेवकों को 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान गृह भाड़ा भत्ता अथवा जनसंख्या के आधार पर ज्ञापन दिनांक 19.04.2005 के अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता, इनमें से जो भी अधिक हो, की दर से गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश दिनांक 1.4.2005 से लागू माना गया है।

(वित्त विभाग क्र.302/622/वि/नि/चार/2005, दिनांक 27.7.2005)

5. लायसेंस शुल्क

यदि संबंधित कर्मचारी को शासन की ओर से आवास गृह आवंटित किया जाता है तो उससे आवास गृह का लायसेंस शुल्क निम्नानुसार दर से वसूल होगा—

- |                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| (1) वर्ग 1 व 2 के क्षेत्रों के लिए | — | कुछ नहीं                         |
| (2) वर्ग 3 के क्षेत्रों के लिए     | — | निर्धारित दर से 2-1/2 प्रतिशत कम |

टिप्पणी— आवास गृह भत्ता एवं विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो—

- |     |  |
|-----|--|
| (क) | उस विकासखण्ड के मूल निवासी न हों, जहां वह पदस्थ है, तथा              |
| (ख) | अपने स्थाई निवास के ग्राम या नगर से कम से कम 20 किमी. दूर पदस्थ हों। |

6 अनुसूचित क्षेत्र भत्ता (01.07.2006 से लागू )

क्र.	वेतन रेज	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	रूपये 2600/-—प्रतिमाह तक	120/-	80/-	40/-
2	रूपये 2601/-—से 3000/-प्रतिमाह तक	180/-	120/-	60/-
3	रूपये 3001/-—से 4600/-प्रतिमाह तक	240/-	160/-	80/-
4	रूपये 4601/-—से 5900/-प्रतिमाह तक	300/-	200/-	100/-
5	रूपये 5901/-—से 7100/-प्रतिमाह तक	360/-	240/-	120/-
6	रूपये 7101/-—से 10000/-प्रतिमाह तक	450/-	300/-	150/-
7	रूपये 10000/-से अधिक	600/-	400/-	200/-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्रमांक 218/ सी-235/ वित्त/ नियम/चार/2006, दिनांक 29 जून 2006 द्वारा दरें घोषित की गई। ये संशोधित दरें दिनांक 1.7.2006 से लागू। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.03.96 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अन्य शर्ते—

1. इन आदेशों के अंतर्गत देय निश्चित अनुसूचित क्षेत्र भत्ता परिशिष्ट 3''ब'' अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा।

2. उपरोक्त पुनरीक्षण के कारण फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी को पूर्व की तुलना में कम राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व में प्राप्त हो रही राशि के बराबर राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

3. विकासखण्डों के परिशिष्ट 3''ब'' अनुसार वर्गीकरण के फलस्वरूप जो विकास खण्ड इन आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र हो गये है, उन विकासखण्डों को एक पृथक श्रेणी के रूप माना जाकर वहां पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान दर से देय भत्ता की सीमा पर सीमित करते हुए यह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत् रहेंगी।

(वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ—आर—17—01/96/चार/ब—9, दिनांक 11.3.1996)

इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर/ग्राम से 8 (आठ) कि.मी. से अधिक दूरी पर पदस्थ हों। परन्तु

आवास गृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर/ग्राम से 8 किमी.के अन्दर ही पदस्थ हों।

गृह नगर/ग्राम वही माना जावेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11.01.84 से पूर्व घोषित किया गया है। साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है वरन् ऐसे स्थान से भी है जहां कर्मचारी ने अपने अथवा, अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो।

स्पष्टीकरण— वह स्थान जहां भूखण्ड स्थित है संबंधित कर्मचारी का गृह नगर/ग्राम तब तक नहीं माना जावेगा जब तक कि उस पर मकान नहीं बना लिया जाता है।

यह लाभ नियमित कर्मचारियों की भांति वर्कचार्ज तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी देय है।

(वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11 / 3 / 83 / नि.-2 / चार, दिनांक 25.1.86, 7.5.86,  
29.3.86 एवं 19.9.86)

\*\*\*\*\*

परिशिष्ट –3 (ब)

विकासखण्डों का वर्गीकरण

जिला	विकासखण्ड	जिला	विकासखण्ड
प्रथम श्रेणी के विकासखण्ड			
1. रायगढ़	मनोरा		राजपुर
2. सरगुजा	कुसमी ओडगी प्रतापपुर रामानुजगंज	3. बस्तर	दरभा बस्तानार बकावड
लोहांडीगुडा			
	सोनहट चन्द्रमेड़ा वाङ्फनगर		सरोना कोंटा
3. बस्तर	उसूर कुआकोंडा कटेकल्याण माकड़ी दुर्गकोंडल कोइलीबेड़ा ओरछा बड़ेराजपुर		तृतीय श्रेणी विकासखण्ड
		1. रायपुर	मैनपुर
		2. राजनांदगांव	छुरा मानपुर
		3. रायगढ़	कांसावेल
द्वितीय श्रेणी विकासखण्ड			
1. रायगढ़	बगीचा दुलदुला लैलूंगा तमनार	4. बिलासपुर	कुनकुरी पोंडीउपरोडा करतला मरवाही
2. सरगुजा	मैनपाट उदयपुर धोरपुर रामचंद्रपुर बलरामपुर शंकरगढ़ प्रेमनगर भरतपुर	5. सरगुजा	गौरेला (1) गौरेला (2) पाली बतौली सीतापुर लखनपुर बैकुंठपुर खेलगंधा

क्र.	जिला	विकासखण्ड	जिला	विकासखण्ड
	तृतीय श्रेणी विकासखण्ड			छिन्दगढ़
4.	बस्तर	नारायणपुर अन्तागढ़ फरसगांव बस्तर दंतेवाड़ा गीदम		सुकमा बीजापुर भैरमगढ़ भोपालपट्टनम

---



परिशिष्ट 4-अ

विशेष केन्द्रीय सहायता राशि अंतर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2010-11 एकी.आदि.वि.परियोजना

क्र	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत (Unit Cost)	राशि लाखों में																			
			जगदल पुर	नारायन पुर	कोडा गांव	दंतेवाडा	कोटा (सुकमा)	बीजा पुर	भानुप्रताप पुर	गरिया बंद	नगरी	डौडी लोहारा	राजनांद गांव (चौकी)	अंबिका पुर	सूरजपुर	रामानुज गंज (पाल)	बैकुंठपुर	कोरबा	गौरेला	जशपुर	धरमजय गढ़	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	कृषि विभाग																					
1	आईसोपाम योजना																					
	धानबीज(इ)	0.03	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	234	0	250	0	0	234	0	918
	राशि	0.00	0	0	0	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0	7.02	0	7.50	0	0	7.00	0	27.52
	दलहन (इ)	1	0	160	200	0	0	0	46	0	0	0	136	0	267	167	167	0	0	234	500	1877
	राशि	0.03	0.00	4.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	4.08	8.00	5.00	5.00	0.00	0.00	7.00	15.00	56.28
	तिलहन (इ)	1	0	160	0	0	0	0	0	46	0	0	0	136	0	257	167	0	0	250	0	1016
	राशि	0.03	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	7.70	5.00	0.00	0.00	7.56	0.00	30.54
	मक्का (इ)	1	0	160	200	0	0	0	333	46	0	0	0	192	269	300	200	0	0	234	400	2334
	राशि	0.03	0.00	4.80	6.00	0	0.00	0.00	10.00	1.40	0.00	0.00	0.00	5.76	8.07	9.00	6.00	0.00	0.00	7.00	12.00	70.03
	योग (इ)		0	480	400	0	0	0	533	138	0	0	0	464	770	724	784	0	0	952	900	6145
	योग(राशि)		0.00	14.40	12.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.20	0.00	0.00	0.00	13.92	23.09	21.70	23.50	0.00	0.00	28.56	27.00	184.37
2	सिंचाइ हेतु डीजल पंप विद्युत पंप, लो लिफ्ट पंप, केरोसीन पंप एवं स्प्रिगलर सेट का प्रदाय																					
1	नलकूप खनन (इ)	1	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	राशि	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
2	डीजल पंप (इ)	0	0	0	45	0	73	70	0	75	0	37	38	59	0	83	65	167	54	94	0	860
	राशि	0.18	0.00	0.00	8.10	0.00	13.26	12.55	0.00	13.50	0.00	6.60	6.82	10.68	0.00	15.00	11.61	30.35	9.66	16.90	0.00	155.03
3	विद्युत पंप(इ)	1	212	0	52	66	0	0	0	0	0	71	30	0	0	0	0	178	0	0	0	609
	राशि	0.12	25.39	0.00	6.30	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	73.20
4	लो लिफ्ट पंप (इ)	1	250	200	265	0	150	0	250	0	0	50	0	200	150	125	127	0	0	0	0	1767
	राशि	0.04	10.00	8.00	10.59	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	8.00	6.00	5.00	5.088	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
5	केरोसीनपंप(इ)	1	0	88	0	0	30	0	130	0	0	0	0	0	83	0	40	0	0	0	0	371
	राशि	0.12	0.00	10.52	0.00	0.00	3.60	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	44.55

6	स्प्रिंगलर सेट का वितरण																								
	इकाई	1	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58				
	राशि	0.14	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16				
	योग (₹)		462	288	362	124	253	70	380	90	0	158	68	259	233	208	232	345	54	94	0	3680			
	योग (राशि)		35.39	18.52	24.99	16.16	22.86	12.55	25.58	28.90	0.00	17.09	10.42	18.68	16.00	20.00	21.5 5	51.7 7	9.66	16.90	0.00	367.02			
3	जैविक खेती परियोजना अंतर्गत पीटस का निर्माण																								
	वर्मिकम्पोस्ट(₹)	1	0	80	90	40	0	0	96	0	0	0	50	0	119	100	0	0	168	304	180	1227			
	राशि	0.10	0	8.00	9.00	4.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	11.88	10.00	0.00	0.00	16.78	30.40	18.00	122.66			
4	मैक्रो मैनेजमेंट वर्किंग प्लान																								
	धान बीज(₹)	1	0	0	400	0	0	0	300	0	0	0	272	0	166	0	0	0	0	0	0	1138			
	राशि	0.03	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	8.16	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26			
	गन्नाबीज (₹)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	58	62	0	0	0	0	247			
	राशि	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21	7.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71			
	उर्द्धरक(₹)	1	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	700	1500	3450		
	राशि	0.01	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	7.00	15.00	34.50		
	योग (₹)		0	0	400	400	0	0	300	0	0	0	272	127	224	912	0	0	700	1500	4835				
	योग (राशि)		0.00	0.00	12.00	4.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	8.16	15.21	12.00	16.0 0	0.00	0.00	7.00	15.00	91.47				
5	उन्नत कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम																								
	(इकाई)	1	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	160			
	राशि	0.02	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.20			
6	मिनी राइस मिल एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान																								
1	मिनी राइस मिल इकाई																								
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	राशि	2.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	चेपकटर(₹)				1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	160	0	60	93	0	0	0	260	673		
	राशि	0.05	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	3.00	4.65	0.00	0.00	0.00	13.00	33.65			
3	उडावनी पंखाइ(₹)				1	500	0	200	140	150	400	600	150	0	245	350	600	0	75	68	0	327	200	0	4005
	राशि	0.02	10.00	0.00	4.00	2.80	3.00	8.00	12.00	4.20	0.00	4.90	7.00	12.00	0.00	1.50	1.35	0.00	6.53	4.00	0.00	81.28			
4	स्प्रेयर पंप(₹)				1	800	240	160	102	120	640	400	240	0	424	0	640	0	120	0	540	506	160	669	5761
	राशि	0.01	10.00	3.00	2.00	1.28	1.50	8.00	5.00	3.00	0.00	5.30	0.00	8.00	0.00	1.50	0.00	6.74 4	6.32	2.00	8.36	72.00			
5	ट्रेकटर पावर ड्रलर सहित प्रदाय (₹)				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5			
	राशि	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50				

5	अन्य(इ) गैती, फावड़ा, हसिया, खुरपी, घमेला आदि	1	585	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	
	राशि	0.06	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	
	योग (ई)		1885	240	360	242	270	1047	1000	390	0	669	450	1400	0	255	161	540	833	365	929	11036
	योग(राशि)		37.56	3.00	6.00	4.08	4.50	16.40	17.00	7.20	0.00	10.20	12.00	28.00	0.00	6.00	6.00	6.74	12.85	23.50	21.36	222.39
2	उद्यानिकी विकास																					
1	कंदमूल फसल आलू (इ)	1	0	34	100	33	0	33	0	0	0	100	126	600	167	116	0	166	0	167	0	1642
	राशि	0.06	0	2.00	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.56	12.00	10.02	7.00	0.00	10.0 0	0.00	10.00	0.00	74.58
2	अन्य (कोचई शकरकंद अदरक, लहसून हल्दी प्याज)(इ)	1	300	67	100	0	0	54	334	0	0	0	0	200	250	50	166	0	0	0	300	1821
	राशि	0.06	18.00	4.00	6.00	0.00	0.00	3.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	15.00	3.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	18.00	109.25
	योग (ई)		300	101	200	33	0	87	334	0	0	100	126	800	417	166	166	166	0	167	300	3463
	योग (राशि)		18.00	6.00	12.00	2.00	0.00	5.25	20.00	0.00	0.00	6.00	7.56	24.00	25.02	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	18.00	183.83
3	बड़े शहरों के आसपास साग—सब्जी उत्पादन की योजना (सब्जी मिनीकीट, खाद, पेस्ट्रीसाइड)																					
	सब्जी बीज मिनी कीट (इकाई)	1	900	200	300	0	200	400	250	600	0	450	187	600	900	550	577	750	549	500	1000	8913
	राशि	0.02	18.00	4.00	6.00	0.00	6.00	8.00	5.00	9.00	0.00	9.00	3.75	12.00	18.00	11.00	11.55	15.00	10.98	10.00	20.00	177.28
4	मसाला की योजनायें																					
	(इकाई)	1	167	134	0	375	100	0	167	0	0	100	0	400	0	166	205	66	265	333	0	2478
	राशि	0.03	5.00	4.00	0.00	11.26	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	12.00	0.00	5.00	6.15	2.00	7.95	10.00	0.00	74.36
5	सघन फलोद्यान योजना																					
	(इकाई)	1	0	100	120	0	0	167	0	0	0	0	0	160	0	100	100	0	0	0	240	987
	राशि	0.05	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	49.33
6	घरेलू बागवानी की आदर्श योजना(बाड़ी विकास योजना)																					
	(इकाई)	1	40	0	0	4	9	0	0	0	0	10	0	24	20	10	0	0	32	36	8	193
	राशि	0.50	20.00	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12.00	10.00	5.00	0.00	0.00	16.00	18.00	4.00	96.50
7	अंतर्देशीय मत्स्योद्योग (मत्स्य उत्पादन, विस्तार, प्रशिक्षण, सहकारी समितियों को अनुदान)जाल,बीज,खाद																					
	(इकाई)	1	100	40	120	90	189	173	60	150	0	120	210	176	30	100	293	223	120	30	200	2424
	राशि	0.10	10.00	4.00	12.00	9.00	18.90	17.30	6.00	15.00	0.00	12.00	21.00	17.60	3.00	10.00	29.264	22.31	12.00	3.00	20.02	242.39

8	पशुपालन विकास																		
1	दुधारू पशु(इ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	राशि	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	बैलजोड़ी (इ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	राशि	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.00
3	कुक्कुट (इ)	1	270	250	450	60	150	300	150	54	0	0	0	200	0	0	236	600	232
	राशि	0.02	5.40	5.00	9.00	1.20	3.00	6.00	3.00	1.08	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.725	12.00	4.65
4	सुकर वितरण (इ)	1	45	91	109	28	150	51	164	24	0	0	0	94	40	91	36	0	72
	राशि	0.11	5.00	10.00	12.00	3.12	16.50	5.60	18.00	2.64	0.00	0.00	0.00	10.40	4.36	10.00	4.00	0.00	7.97
5	बकरी पालन(इ)	1	58	78	0	30	150	48	0	15	0	0		54	86	96	46	46	0
	राशि	0.13	7.50	10.22	0.00	3.90	19.50	6.20	0.00	1.95	0.00	0.00	7.15	11.20	12.50	10.00	5.98	0.00	9.09
	पशु पालन क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण																		
	इकाई	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2940	0	1200
	राशि	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	1.80
	योग (इ)	373	419	559	118	450	399	314	93	0	0	0	348	126	187	3258	721	1504	123
	योग राशि	17.90	25.22	21.00	8.22	39.00	17.80	21.00	5.67	0.00	0.00	7.15	25.60	16.86	20.00	19.12	27.00	23.51	15.33
9	ग्रामीण विभाग																		
1	एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण योजना(कंबल,दरी,वस्त्र बुनाई)																		
	(इकाई)	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	7	3	1	1	0	0	2
	राशि	5.50	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	39.00	16.00	6.00	6.98	0.00	0.00	0.00	12.00
2	हस्तशिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान																		
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	राशि	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	रेशम कीट पालन उद्योग																		
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
	राशि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
4	रससी निर्माण टाट पट्टी बुनाई कार्यक्रम																		
	(इकाई)	1	0	80	0	0	180	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	420
	राशि	0.05	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	योग (इ)	0	80	0	4	180	0	0	0	0	4	7	163	1	1	0	100	0	2
	योग राशि	0.00	4.00	0.00	21.76	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	39.00	24.00	6.00	6.98	0.00	5.00	0.00	12.00
10	वन विभाग																		
1	लघु वनोपज औपधी रोपण— सफेद काली मुसली, घृत कुमारी ,बांस,सीसल पौध आदि																		
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	67
	राशि	0.03	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	2.00
																	18.00	29.00	

2	लघुवनोपज कार्य हेतु अनुदान (वनोपज संग्रहण)																				
	(इकाई)	1	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	140
	राशि	0.1	0	0	0	4.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	14.00
3	लाख विकास योजना																				
	(इकाई)	1	100	0	120	0	0	100	100	0	0	0	0	320	159	100	140	400	159	60	240
	राशि	0.05	5.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	7.96	5.00	7.00	20.00	7.96	3.00	12.00
4	मधुमक्खी पालन कार्यक्रम																				
	(इकाई)	1	0	0	75	0	0	0	0	50	0	32	0	160	0	62	0	75	0	0	454
	राशि	0.08	0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.60	0.00	12.80	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	0.00	36.40
5	दोना पत्तल प्रशिक्षण एवं मशीन प्रदाय																				
	(इकाई)	1	0	40	70	0	60	0	100	50	0	0	0	120	0	50	69	100	67	50	120
	राशि	0.1	0	4.00	7.00	0	6.00	0.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	5.00	6.90	10.00	6.70	5.00	12.00
6	बांस, बर्टन निर्माण / बांस शिल्प प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता एवं चटाई निर्माण																				
	(इकाई)	1	0	20	0	0	0	0	0	50	50	30	35	172	0	50	25	100	80	0	60
	राशि	0.10	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.00	3.50	17.20	0.00	5.00	2.543	10.00	8.00	0.00	6.00
	योग (इ)	100	60	265	40	60	100	200	150	50	62	35	772	159	262	234	1075	306	177	1020	5127
	योग राशि	5.00	6.00	19.00	4.00	6.00	5.00	15.00	14.00	5.00	5.60	3.50	58.00	7.96	20.00	16.44	65.00	22.66	10.00	48.00	336.16
1	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम																				
1	राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय																				
	(इकाई)	1	150	40	90	96	60	64	50	0	0	120	0	204	240	50	0	200	40	0	1404
	राशि	0.10	15.00	4.00	9.00	9.60	6.00	6.40	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	20.48	24.05	5.00	0.00	20.00	4.00	0.00	140.53
2	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम																				
	(इकाई)	1	100	0	150	120	60	45	50	90	0	50	0	120	0	100	70	120	60	0	120
	राशि	0.10	10.00	0.00	15.00	12.00	6.00	4.50	5.00	9.00	0.00	5.00	0.00	12.00	0.00	10.00	7.00	12.00	6.00	0.00	12.00
3	मोटर ड्रायविंग / मैकेनिक प्रशिक्षण																				
	(इकाई)	1	200	0	120	0	0	0	100	60	200	48	199	0	0	100	60	0	0	200	
	राशि	0.05	10.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	10.00	2.40	9.96	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	10.00	
4	जे.सी.बी. मशीन ड्रायविंग / मैकेनिक																				
	(इकाई)	1	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	10	
	राशि	0.30	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	
5	सिलाइ / कढाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला विकास																				
	(इकाई)	1	0	40	90	70	60	120	70	70	7.00	82	77	80	70	50	75	0	60	100	
	राशि	0.10	0.00	4.00	9.00	7.00	6.00	12.00	7.10	7.00	0.00	8.20	7.75	8.00	7.00	5.00	7.50	0.00	6.00	10.00	
6	सायकिल मरम्मत प्रशिक्षण एवं सहायता																				
	(इकाई)	1	120	0	60	0	60	30	0	30	0	30	60	50	100	50	30	30	68	70	
	राशि	0.10	12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	5.00	10.00	5.00	3.00	3.00	6.80	7.00	

7	काष्ट कला प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)	1	0	40	120	120	90	198	0	0	81	60	0	160	0	0	0	0	180	100	200	1349	
	राशि	0.05	0.00	2.00	6.00	5.98	4.50	9.90	0.00	0.00	4.07	3.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	10.00	67.45	
8	टेराकोटा प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	राशि	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
9	मोटर सायकल रिपेयरिंग (दोपहिया वाहन) प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)	1	100	0	90	0	0	50	50	0	100	0	80	40	100	50	0	0	0	0	0	0	660
	राशि	0.10	10.00	0	9.00	0	0	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	8.00	4.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
10	स्कीन प्रिंटिंग एवं फोटो एडीटिंग एवं मिक्रोसग प्रशिक्षण																						
	(इकाई)	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	48
	राशि	0.28	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	13.50
11	विद्युत बाइंडिंग एवं मरम्मत प्रशिक्षण																						
	(इकाई)	1	0	0	60	0	0	40	50	31	100	0	42	42	100	50	25	0	0	0	0	0	540
	राशि	0.10	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	5.00	3.08	10.00	0.00	4.25	4.20	10.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.03
12	हैंडपंप मरम्मत																						
	(इकाई)	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	50	0	0	0	0	375
	राशि	0.04	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
13	फोटोकापी मशीन मरम्मत/प्रशिक्षण																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
	राशि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
14	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत/प्रशिक्षण एवं किट का प्रदाय																						
	(इकाई)	1	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660
	राशि	0.05	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8.73	32.73	
	योग (इ)		1020	120	801	416	330	547	380	291	628	390	468	706	610	575	320	387	408	680	920	9997	
	योग राशि		75.00	10.00	72.00	37.58	28.50	44.80	35.10	28.08	41.07	33.60	38.96	64.68	64.05	45.00	28.00	45.50	31.80	45.00	62.73	831.45	
12	स्वरोजगार हेतु स्वसहायता समूहों को वित्तीय सहायता																						
1	सैंट्रिंग प्लेट हेतु सहायता																						
	(इकाई)( 5 के समुह में)	1	10	8	12	0	0	0	10	0	10	8	10	0	14	0	10	25	7	18	18	160	
	राशि	1.00	10.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	8.00	10.00	0.00	14.00	0.00	10.00	5.00	7.00	18.00	18.00	140.00	
2	पलाईश ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)( 5 के समुह में)	1	20	11	16	60	11	16	13	20	50	0	0	0	0	0	200	45	7	0	469		
	राशि	0.75	15.00	8.00	12.00	9.00	8.10	12.00	10.00	3.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6.75	5.00	0.00	126.35		
3	खपरा निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)( 5 के समुह में)	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	10	0	46	
	राशि	0.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	23.00		

4	सीमेंट पोल निर्माण/गमला/जाली प्रशिक्षण एवं किट																						
	(इकाई) ( 5 के समूह में )	1	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	19	16	0	0	0	15	16	0	0	82	
	राशि	0.50	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	8.00	0.00	0.00	0.00	15.00	8.00	0.00	0.00	48.55	
5	किराया भंडार एवं लाऊड स्पीकर हेतु सहायता																						
	(इकाई) (पांच के समूह में )	1	20	16	24	0	0	0	30	0	0	18	0	16	16	20	0	10	9	48	24	251	
	राशि	0.5	10.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	9.00	0.00	8.00	8.00	10.00	0.00	5.00	4.50	24.00	12.00	125.50	
6	मशरूम उत्पादन																						
	(इकाई)	1	0	40	69	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	20	0	60	0	0	269		
	राशि	0.10	0.00	4.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	26.94		
7	किराना स्टोर्स																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	राशि	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	धान कृटी मशीन का प्रदाय																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	राशि	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	आटा चक्की मशीन का प्रदाय																						
	(इकाई)	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
	राशि	0.50	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
	रोड रोलर मशीन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता																						
	इकाई (पांच के समूह में )	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	राशि	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	
	योग (इ)		70	91	139	60	11	16	53	20	63	26	29	128	30	20	30	250	137	83	42	1298	
	योग राशि		45.00	36.00	51.94	9.00	8.10	12.00	35.00	3.00	40.34	17.00	19.55	32.00	22.00	10.00	12.00	55.00	32.25	52.00	30.00	522.18	
1	अनु.जा.महिलाओं के स्व सहायता समूहों का सुदृढीकरण एवं स्वरोजार हेतु सहायता																						
3																							
1	मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण सहायता एवं अन्य																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	104	0	0	0	0	120	0	0	284		
	राशि	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	14.20		
2	फूलझाड़ी निर्माण प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)	1	0	0	120	80	120	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	140	0	0	564		
	राशि	0.5	0.00	0.00	6.00	4.0	0	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	28.20		
3	अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण एवं सहायता																						
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	140	0	0	244		
	राशि	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	12.00		

4	रेडी टु इट (फूड) प्रशिक्षण																			
	(इकाई)	1	0.00	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	राशि	0.0 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
5	बड़ी पापड अचार निर्माण प्रशिक्षण																			
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	राशि	0.1 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
6	लाख चूड़ी निर्माण प्रशिक्षण																			
	(इकाई)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	राशि	0.1 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
7	कोसा धागा निर्माण प्रशिक्षण																			
	(इकाई)	1	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2600
	राशि	0.0 5	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12.0 0
	योग (इकाई)		1500	0	120	80	120	137	0	60	0	0	0	312	0	0	0	0	400	500
	राशि		30.00	0.00	6.00	4.0 0	6.00	2.74	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
	राजस्व मद का योग																			
	इकाई		5048	1530	2764	111 0	1610	2419	2540	1292	741	1271	1199	4469	1726	2124	5180	3296	3708	2910
	राशि		316.85	148.14	269.93	138 .26	156.36	150.17	210.28	120.15	86.41	139.49	167.89	374.04	239.07	217.68	206.57	305.32	216.4 4	289.69
	अधोसरंचना विकास कार्यक्रम																			
1	नलकूप खनन बिजली पंप सहित																			
	संख्या	1	63	0	47	25	32	39	26	0	20	21	13	40	66	50	15	102	61	0
	राशि	1.0 0	62.31	0.00	46.97	25. 00	31.77	39.10	25.53	0.00	20.00	21.02	13.00	40.00	66.46	50.00	15.01	101.85	61.00	0.00
2	हाट बाजार में गुमटी /शेड निर्माण																			
	संख्या	1	0	37	100	0	58	31	0	0	57	0	59	0	0	71	77	30	0	64
	राशि	0.3 0	0.0	11.00	30.00	0.00	17.25	9.28	0.00	0.00	17.03	0.00	17.55	0.00	0.00	18.29	23.00	9.00	0.00	19.1 4
3	चेकडेम निर्माण																			
	संख्या	1	10	3	8	0	12	0	3	6	0	2	0	9	7	5	5	0	0	11
	राशि	5.00	33.48	12.98	38.72	0.00	18.00	0.00	15.00	30.00	0.00	8.50	0.00	42.73	36.00	25.00	25.00	0.00	0.00	52.11
4	स्टापडेम संख्या																			
	संख्या	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	9	0	0	0	0	15	
	राशि	5.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	72.04	0.00
5	कार्यशाला निर्माण /आंगनबाड़ी/ सह बिक्री केन्द्र भवन निर्माण																			
	संख्या	1	8	3	0	4	0	0	2	4	0	2	8	8	0	0	2	10	6	2
	राशि	5.0 0	40.00	12.00	0.00	14. 25	0.00	0.00	6.58	8.37	0.00	10.00	41.40	32.00	0.00	0.00	10.03	20.00	31.76	0.00
																			9.05	235.44

6	सेंट्रिंग प्लेट हेतु सहायता																					
	सं.(प्रति एकड़)	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	राशि	1.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
7	वर्मीकम्पोस्ट पिट्स निर्माण																					
	सं.(प्रति एकड़)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	72
	राशि	0.1 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
8	वाटर हार्वेटिंग टैक निर्माण																					
	सं.(प्रति एकड़)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	राशि	5.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.0 0
9	बायो गैस संयंत्र की स्थापना																					
	इकाई	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64
	राशि	0.1 3	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
10	सिंचाई/मत्स्य तालाब/ सिंचाई सुविधा विस्तार																					
	इकाई	1	0	10	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	राशि	5.0 0	0.00	27.50	0.00	20. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
	पेयजल व्यवस्था हेतु हॉड पंप एवं नलजल योजना																					
	इकाई	1	0	0	0	0	0	0	0	22	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	राशि	0.7 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38
	सिंचाई हेतु नाली निर्माण																					
	इकाई	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	राशि	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	पूंजीमद का योग																					
	इकाई	81	53	155	33	102	86	39	32	77	28	80	66	73	126	235	142	67	26	92	1594	
	राशि	135.79	63.48	115.69	59.25	67.02	64.38	90.11	51.49	37.03	59.78	71.95	160.30	102.46	93.29	88.53	130.85	92.76	124.15	155.19	1763.50	
	महायोग (राजस्व + पूंजीमद)																					
	योग (ई)	5129	1583	2919	1143	1712	2505	2579	1324	818	1299	1279	4535	1799	2250	5415	3438	3775	2936	5007	51446	
	योग (राशि)	452.64	211.62	385.62	197.5	223.38	214.55	300.39	171.64	123.44	199.27	239.84	534.34	341.53	310.97	295.10	436.17	309.20	413.84	517.30	5878.35	